सत्यमेव जयते

71वीं वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110069

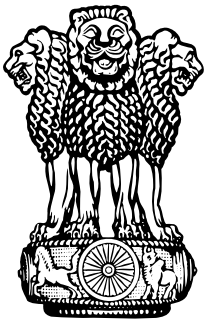

सत्यमेव जयते

71वीं (2020-21)

वार्षिक रिपोर्ट

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड

नई दिल्ली—110069

http://www.upsc.gov.in

संविधान के अनुच्छेद 323 (1) की अपेक्षानुसार संघ लोक सेवा आयोग अपनी इकहत्तरवीं रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

यह रिपोर्ट 01 अप्रैल, 2020 (12 चैत्र, शक 1942) से 31 मार्च, 2021 (10 चैत्र, शक 1943) तक की अवधि के लिए है।

विषयसूची

संकेताक्षरों की सूची (ix)-(xi)

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग की संरचना (xii)

अध्यायों की सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	मुख्य विशेषताएं	1-4
2.	संक्षिप्त इतिहास एवं पिछले वर्षों के दौरान कार्यभार	5-10
3.	परीक्षाओं द्वारा भर्ती	11-16
4.	चयन द्वारा सीधी भर्ती	17-21
5.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा बेंचमार्क दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व	23-26
6.	भर्ती नियम, सेवा नियम तथा भर्ती की पद्धति	27-28
7.	पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां	29-36
8.	अनुशासनिक मामले	37-38
9.	अनुशासनिक मामलों में सरकार द्वारा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया जाना	39-54
10.	आयोग का परामर्श लागू करने में विलम्ब	55-56
11.	प्रशासन, प्रशिक्षण और वित्त	57-58
12.	विविध	59-62
	कृतज्ञता ज्ञापन	63

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन–वृत्त।	64-70
2.	आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं– उम्मीदवारों/अधिकारियों की उपयुक्तता से संबंधित।	71
3.	आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं – छूट संबंधी मामलों, सेवा संबंधी मामलों, वरिष्ठता आदि से संबंधित।	71
4.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित परीक्षाएं।	72
5.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित, लेकिन वर्ष 2020–21 के दौरान पूरी की गई/अंतिम रूप दी गई परीक्षाएं।	73
6.	वर्ष 2020–21 के दौरान आरक्षित सूची के माध्यम से उन परीक्षाओं के संबंध में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या, जिनमें आरक्षित सूची नियम लागू होता है।	74
7.	वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित की गई परीक्षाओं के अन्तर्गत आने वाली सेवाएं।	75-76
8.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2019 तथा 2020 में बैठे उम्मीदवारों के परीक्षा देने के माध्यम (भारतीय भाषाएं/अंग्रेजी) को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण।	77-82
9.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2019 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण।	83-95
10.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा–2020 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण।	96
11.	भारतीय वन सेवा परीक्षा–2020: उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण	96
12.	इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पदों की मंत्रालयवार संख्या, जिन्हें वर्ष 2020–21 के दौरान विज्ञापित किया गया।	97
13.	इंजीनियरी पदों का विषयवार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2020–21 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया।	98
14.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का विषयवार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2020–21 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया।	99
15.	गैर–तकनीकी पदों का विषयवार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2020–21 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया।	100

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
16.	विषयवार चिकित्सा पद, जिनके लिए वर्ष 2020–21 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया ।	101
17.	वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी)।	102
18.	वर्ष 2020–21 के दौरान अंतिम रूप दिए गए विपुल भर्ती वाले मामले।	103-105
19.	संवर्ग को दर्शाने वाला विवरण जहां भा.प्र.से. (रा.सि.से.), भा.पु.से. एवं भा.व.से. संवर्ग और भा.प्र.से. (गै–रा.सि.से.) के सम्बन्ध में 2019 में कोई चयन सूची तैयार करनी अपेक्षित नहीं थी–शून्य रिक्ति/ कोई पात्र नहीं।	106
20.	अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन– वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बैठकें।	107-108
21.	वर्ष 2020–21 में आयोजित की गई पुनरीक्षा चयन समिति (आरएससीएम) बैठकें।	109
22.	अखिल भारतीय सेवाएं–चयन सूची 2019 के संदर्भ में वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित नहीं की गईं चयन समिति की बैठकें।	110-112
23.	मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2020–21 के दौरान ग्रुप 'क' एवं ग्रुप'ख' पदों/ सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियों की अर्ध–वार्षिक विवरणियां नहीं भेजीं।	113-117
24.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का मंत्रालय/विभागवार विवरण तथा विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।	118-119
25.	वर्ष 2020–21 में पूर्ण की गई परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अनु.जाति/अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती।	120
26.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित उन पदों की सूची, जिनके लिए इन वर्गों के किसी भी उम्मीदवार ने वर्ष 2020–21 के दौरान आवेदन नहीं किया।	121
27.	वर्ष 2020–21 के दौरान चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या।	122-125

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
28.	वर्ष 2020–21 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले।	126
29.	वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा अनुशासनिक मामलों में दिए गए परामर्श का मंत्रालय–वार विवरण।	127-128
30.	सरकार द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए जाने वाले मामलों की संख्या और विलम्ब की अवधि दर्शाने वाला विवरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)।	129-133
31.	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली,1958 के जारी होने के बाद से संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से पृथक किए गए पद/सेवाएं।	134-138
32.	आयोग के स्टाफ की संवर्ग एवं समूहवार संख्या तथा पदों की संख्या का विस्तृत विवरण।	139-145
33.	आयोग का संगठनात्मक चार्ट । (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)।	146-147
34.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व।	148-149
35.	वर्ष 2020–21 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण।	150
36.	आयोग के पूर्व अध्यक्षों तथा सदस्यों की सूची (1926 से)।	151-160

संकेताक्षरों की सूची

प्रशा.	प्रशासन
अ.भा.से.	अखिल भारतीय सेवा
अप.	अपराह्न
स.भ.नि.आ.	सहायक भविष्य निधिआयुक्त
प.आ.अ.	पद आवेदक अनुपात
एपी.	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति
एडीटी	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति
इं.स्ना.	इंजीनियरी स्नातक
वि.स्ना. (इंजी)	विज्ञान (इंजीनियरी) स्नातक
प्रौ. स्ना. (बीटेक)	प्रौद्योगिकी स्नातक
के.प्र.अ.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
के.सि.से. (व.नि.अ.) नियमावली	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली
मु.इं.	मुख्य इंजीनियर

के.लो.नि.वि.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
के.स.आ.से	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा
के.स.आ	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
वि. (डि. ऑफ)	.... विभाग
वि. (डि)	विभाग
रो.एवं प्र.महा.निदे.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
अनुशा.प्रा	अनुशासनिक प्राधिकारी
दि.ज.बो.	दिल्ली जल बोर्ड
का.एवं प्र.वि.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
दू.सं.वि.	दूरसंचार विभाग
वि.प.स.	विभागीय पदोन्नति समिति
उ.स.	उपसचिव

क.भ.नि.सं.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क.रा.बी.नि.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
प.सु.	परीक्षा सुधार
पू.	पूर्वाह्न
भू.वि.प.	भू–विज्ञानी परीक्षा
महा.प्र.	महाप्रबंधक
सर.	सरकार
स.	समूह
भा.प्र.से.	भारतीय प्रशासनिक सेवा
भा.आ.से.	भारतीय आर्थिक सेवा
भा.व.से.	भारतीय वन सेवा
भा.वि.से.	भारतीय विदेश सेवा
जां.अ.	जांच अधिकारी
भा.डा.से.	भारतीय डाक सेवा
भा.पु.से.	भारतीय पुलिस सेवा
भा.सां.से.	भारतीय सांख्यिकी सेवा
अ.सं.स.	अल्पकालिक संविदा सहित

सं.स.	संयुक्त सचिव
लाख	गणना संख्या = 1,00,000 मापने की इकाई के रूप में प्रयुक्त
क.नि. (एम.ए.)	कला निष्णात
दि.न.नि.	दिल्ली नगर निगम
वा.नि.. (एम.कॉम)	वाणिज्य निष्णात
इं.नि. (एम.ई.)	इंजीनियरी निष्णात
वि.नि. (एम.एससी.) (इंजी.)	विज्ञान निष्णात (इंजीनियरी)
प्रौ.नि. (एम.टैक.)	प्रौद्योगिकी निष्णात
मं.	..... मंत्रालय
वि.	विविध
से.का.स.	सेवा का सदस्य
मं.प्र.	मंत्रालय का प्रतिनिधि
एम.टी.एस.	मल्टीटास्किंग स्टाफ
रा.रा.क्षे.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
न.दि.न.प.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्
को.उ.न.पा.ग.	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया

सं.	संख्या
गै.रा.सि.से.	गैर–राज्य सिविल सेवा
नि.सा.स.	निपटान का सामान्य समय
अ.पि.व.	अन्य पिछड़े वर्ग
रा.भा.	राजभाषा
प्र.नि.स.	प्रधान निजी सचिव
नि.स.	निजी सचिव
दिव्यां.ज.	दिव्यांगजन
अनुशं.	अनुशंसित
भ.	भर्ती
से.नि.	सेवानिवृत्त
प.अ.अ.	पद अनुशंसा अनुपात
अनु.सां.एवं वि.	अनुसंधान, सांख्यिकी एवं विश्लेषण
अ.जा.	अनुसूचित जाति
च.स.बै.	चयन समिति की बैठक
रा.सि.से.	राज्य सिविल सेवा

वि.अ.या.	विशेष अनुमति याचिका
अनु.अधि.	अनुभाग अधिकारी
अ.अ./आशु. (ग्रेडख/ ग्रेड– ।) सी.विवि.प्र.प.	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेडख/ ग्रेड– ।) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा
व.प्र.नि.स.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
अ.ज.जा.	अनुसूचित जन जाति
ए.खि.प्र.	एकल खिड़की प्रणाली
उ.श्रे.लि.	उच्च श्रेणी लिपिक
श.वि.एवं ग.उप.	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन
अना.	अनारक्षित
अव.स.	अवर सचिव
सं.रा.क्षे.	संघ राज्य क्षेत्र
सत.	सतर्कता
से.प्र.	..... से प्रभावी
व.	वर्ष

संघ लोक सेवा आयोग

(दिनांक 1.4.2020 से 31.3.2021 तक की अवधि के दौरान आयोग की संरचना)

1.	श्री अरविन्द सक्सेना	अध्यक्ष	दिनांक 07.08.2020 (अपराहन) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
2.	प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी	अध्यक्ष	संविधान के अनुच्छेद 316–(1) के तहत दिनांक 07.08.2020 (अपराहन) से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।
3.	श्री भीम सैन बस्सी	सदस्य	दिनांक 19.02.2021 (अपराहन) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
4.	एअर मार्शल अजित एस. भोंसले (वेटरन) एवीएसएम, वीएसएम	सदस्य	
5.	सुश्री सुजाता मेहता	सदस्य	
6.	डॉ. मनोज सोनी	सदस्य	
7.	सुश्री स्मिता नागराज	सदस्य	
8.	सुश्री एम. सत्यवती	सदस्य	
9.	श्री भारत भूषण व्यास	सदस्य	
10.	डॉ. टी.सी.ए. अनंत	सदस्य	
11.	श्री राजीव नयन चौबे	सदस्य	

1 अध्याय

मुख्य विशेषताएं

I. परीक्षा

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग ने परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अन्तर्गत कुल 14 परीक्षाओं का आयोजन किया। इनमें से, 10 परीक्षाएं सिविल सेवाओं/पदों हेतु चयन के लिए और 04 परीक्षाएं रक्षा सेवाओं के लिए आयोजित की गईं। इन परीक्षाओं के लिए, कुल 25,03,345 आवेदन प्राप्त हुए और प्रोसेस किए गए। सिविल सेवाओं/पदों के लिए कुल 6127 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया और 16,360 उम्मीदवारों का साक्षात्कार रक्षा सेवाओं/पदों के लिए लिया गया। रक्षा सेवाओं के लिए साक्षात्कार रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा आयोजित किया गया। विभिन्न पदों के लिए कुल 3986 उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। इनमें से सिविल सेवाओं/पदों के लिए कुल 2516 उम्मीदवारों (मुख्य सूची के माध्यम से 2313+ आरक्षित सूची के माध्यम से 203 उम्मीदवारों सहित) और रक्षा सेवाओं/पदों के लिए 1470 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई।

(अध्याय–3)

2. परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अन्तर्गत भरे जाने वाले अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 1338 पदों में से, आयोग ने केवल 1115 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। इनमें अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वे 73 उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनकी अनुशंसा इनके लिए आरक्षित पदों पर तथा जिन मामलों में आरक्षित सूची लागू की जाती है उनमें सामान्य मानदंड के आधार पर की गई। अंतिम स्थिति, आरक्षित सूची का नियम लागू किए जाने पर सेवा आबंटन के बाद स्पष्ट होगी। उक्त के अलावा, अनारक्षित पदों के लिए 38 उम्मीदवारों की अनुशंसा सामान्य मानदंड के आधार पर की गई।

(अध्याय–5)

3. परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अंतर्गत नियुक्ति का प्रस्ताव, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजा जाता है। नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलंब के 107 मामलों की सूचना प्राप्त हुई।

(अध्याय–10)

4. आयोग को उम्मीदवारों द्वारा सूचना छिपाने, झूठी सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने आदि से संबंधित 04 मामलों की सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया और निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, दोषी उम्मीदवारों पर, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भावी परीक्षाओं/चयनों से उनकी उम्मीदवारी के निरस्तीकरण से लेकर 10 वर्ष तक के विवर्जन की शास्ति लगाई।

(अध्याय–12)

5. वर्ष 2020–21 के दौरान लागू किए गए परिवर्तन

(क) सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2021 सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2021 (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत श्रेणी–II के पद) के नियमों में निम्नलिखित बदलाव किए गए :

(i) खान मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के अंतर्गत समतुल्य पदों के लिए परीक्षा की योजना/पाठ्यक्रम को समान रखते हुए इस परीक्षा की योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'ख' (रसायन) तथा वैज्ञानिक 'ख' (भूभौतिकी) के पदों को शामिल किया गया है।

(ii) कनिष्ठ जल भूविज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख') के पद का नाम बदलकर वैज्ञानिक 'ख' (जल भूविज्ञान) किया गया है।

(ख) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020

(i) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कनिष्ठ समयमान पदों के मामले में अधिकतम आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष किया गया है। इस परीक्षा के अंतर्गत अन्य प्रतिभागी सेवाओं के मामले में इस संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ii) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

श्रेणी–I

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कनिष्ठ वेतनमान वाले पद

श्रेणी–II

(क) रेलवे के अंतर्गत सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी।

(ख) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सहायक चिकित्सा अधिकारी।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी।

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–II

(ग) सिविल सेवा परीक्षा, 2021

आयोग ने सिविल सेवा(प्रा.) परीक्षा, 2021 के लिए लेह (लद्दाख) में एक नया केन्द्र बनाने का निर्णय लिया।

II. चयन द्वारा सीधी भर्ती

6. आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 1,746 पदों के लिए 147 अधियाचनाएं प्राप्त हुईं। पिछले वर्ष से अग्रेनीत मामलों सहित, वर्ष के दौरान 3,266 पदों के लिए कुल 328 अधियाचनाओं पर कार्रवाई की गई। इनमें से, 702 पदों के लिए 38 अधियाचनाओं के बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से स्पष्टीकरण मांगा गया परंतु उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और उन पर कार्रवाई समाप्त हुई मान ली गई अथवा उनके द्वारा विज्ञापन दिए जाने से पूर्व के चरण में ही वापस ले लिया गया।

(अध्याय–4)

7. वर्ष के दौरान 109 अधियाचनाओं के लिए कुल 1,044 पदों हेतु विज्ञापन दिया गया जिनके लिए 91,381 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। विज्ञापनों के प्रकाशन के पश्चात, चार पदों के लिए चार अधियाचनाओं के संबंध में भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।

(अध्याय–4)

8. वर्ष के दौरान, कुल 30,278 आवेदन पत्रों को अंतिम रूप दिया गया जिसमें पिछले वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्र भी शामिल हैं; 1,463 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिनमें से वास्तव में 1,073 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। 272 पदों के लिए 82 अधियाचनाओं के मामलों में 228 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। आवेदक–पद अनुपात 111 और अनुशंसा–पद अनुपात 0.84 था।

(अध्याय–4)

9. चार मामलों में, कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण आयोजित किए गए, जिनमें रिक्तियों की संख्या की तुलना में आवेदकों की संख्या काफी अधिक थी।

(अध्याय–4)

10. 44 पदों हेतु चयन की प्रक्रिया, उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो गई। इनमें से अधिकांश पदों में विशेषज्ञ चिकित्सा अथवा इंजीनियरी योग्यता अपेक्षित थी।

(अध्याय–4)

11. 117 आरक्षित पदों के लिए, कुल 88 उम्मीदवारों (24 अ.जा., 16 अ.ज.जा., 42 अ.पि.व. तथा छः ईडब्ल्यूएस) की अनुशंसा की गई। इस प्रकार आरक्षित श्रेणी के 75.2 प्रतिशत

पदों पर भर्ती हुई। इसके अलावा, सामान्य मानदंडों के आधार पर अर्हक हुए 4 अ.जा., 29 अ.पि.व. और एक ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार की चयन हेतु अनुशंसा अनारक्षित पद के लिए की गई।

(अध्याय–5)

12. आयोग ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 13 पदों हेतु 7 उम्मीदवारों की अनुशंसा की।

(अध्याय–5)

13. 41 मामलों में आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलम्ब की सूचना प्राप्त हुई। कुछ मामलों में, संबंधित मंत्रालय/विभाग ने अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी।

(अध्याय–10)

III. नियुक्तियां

14. आयोग ने 7,637 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों पर विचार किया और पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन आदि के लिए उम्मीदवारों/कर्मियों की उपयुक्तता के आधार पर निम्नानुसार 4,804 अधिकारियों के संबंध में अनुशंसा की :

(क) केन्द्रीय सेवाओं के अंतर्गत 4,670 अधिकारियों की पदोन्नति और

(ख) प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन पर 134 अधिकारियों की नियुक्ति।

15. संबंधित मंत्रालयों/विभागों को पदोन्नति के 374 मामलों में तथा प्रतिनियुक्ति के 84 मामलों(08 निष्फल मामलों सहित) में परामर्श पत्र जारी किए गए।

(अध्याय–7)

IV. भर्ती नियम

16. वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग द्वारा 240 पदों [8 सेवा नियमों और 17 एकबारगी मोड (वन टाइम मोड) प्रस्तावों सहित, के संबंध में भर्ती नियम संबंधी संशोधन, निर्धारण के प्रस्तावों पर परामर्श प्रदान किया गया।

17. 171 पदों के संदर्भ में भर्ती नियमों के निर्धारण/संशोधन/वन टाइम मोड से संबंधित प्रस्तावों के बारे में आयोग का परामर्श आरआरएफएएमएस (भर्ती नियम निर्धारण एवं संशोधन की मानीटरिंग प्रणाली) के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया गया। सेवा नियमों तथा कतिपय संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव सिंगल विंडो सिस्टम(एकल खिड़की प्रणाली) के अंतर्गत ही प्राप्त हो रहे हैं।

(अध्याय–6)

V. अनुशासनिक मामले

18. वर्ष 2020–21 के दौरान, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से अनुशासनिक मामलों के 633 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 485 प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए और दस्तावेजों की कमी के कारण 148 प्रस्तावों को लौटा दिया गया।

19. इसके अतिरिक्त, 5 प्रस्ताव एक–समान कार्रवाई से संबंधित थे, जिनमें प्रत्येक प्रस्ताव के अंतर्गत दो आरोपित अधिकारी शामिल थे। साथ ही, 12 मामले सीधे डाक के माध्यम से प्राप्त हुए। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग में कुल 502 मामले प्राप्त हुए। 386 मामले, पिछले वर्ष अर्थात् 2019–20 से अग्रानीत थे। कुल 888 मामलों में से, 433 मामलों में आयोग का परामर्श प्रदान किया गया और 54 मामलों को प्रक्रियागत कमियों के कारण लौटा दिया गया। इस प्रकार, वर्ष के अंत में कुल 401 मामले अधिशेष थे।

20. वर्ष 2020–21 के आरंभ में, आयोग द्वारा विगत वर्षों के दौरान जारी 521 परामर्श पत्रों के संदर्भ में मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से अंतिम आदेश प्राप्त नहीं हुए थे। वर्ष 2020–21 के दौरान, इन लंबित आदेशों के संबंध में अनुस्मारक जारी किए गए। तत्पश्चात्, 328 मामलों में आदेश प्राप्त हो गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान जारी 433 परामर्श पत्रों में से 209 मामलों में आदेश प्राप्त हुए। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग में कुल 537 आदेश प्राप्त हुए।

(अध्याय–8)

21. इन 537 मामलों में कुल 533 मामले ऐसे थे, जिनमें सरकार द्वारा जारी आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप थे। आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के दौरान 4 मामलों में जारी परामर्श पत्रों के संदर्भ में, वर्ष 2020–21 के

दौरान सरकार से आदेश प्राप्त हुए, जो आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं थे।

(अध्याय–9)

VI. विविध

22. वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल 5194 आरटीआई आवेदन तथा 412 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं। इन आरटीआई आवेदनों तथा अपीलों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटाया गया।

23. आयोग का 94 वां स्थापना दिवस, दिनांक 01.10.2020 को मनाया गया।

24. वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग ने अपने परामर्श से छूट प्रदान करने के संबंध में सरकार से प्राप्त सात प्रस्तावों पर विचार करते हुए चार में अपने परामर्श से छूट प्रदान की।

25. लोक सेवा आयोगों के अर्धवार्षिक सूचना पत्रों का 78वां तथा 79वां संस्करण जारी किया गया। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ, संघ लोक सेवा आयोग तथा 29 राज्य लोक सेवा आयोगों के पदस्थता विवरण के साथ–साथ अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति, आयोजित की गई परीक्षाओं/भर्तियों, विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समितियों की बैठकों तथा गणमान्य व्यक्तियों के दौरों आदि की जानकारी प्रदान की गई।

26. वर्ष 2020–21 के दौरान, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 19 कार्मिकों ने टंकण प्रशिक्षण तथा एक आशुलिपिक ने आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त किया। दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(अध्याय–12)

2
अध्याय

संक्षिप्त इतिहास एवं विगत वर्षों के दौरान कार्यभार

संक्षिप्त इतिहास

1. भारत में लोक सेवा आयोग का उल्लेख दिनांक 05 मार्च, 1919 के भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार की प्रथम विज्ञप्ति में मिलता है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी कार्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव था जिसे सेवा मामलों के विनियमन का अधिकार हो। मुख्यतया, सेवा मामलों के विनियमन हेतु प्रस्तावित इस प्रकार के निकाय की संकल्पना को भारत सरकार अधिनियम, 1919 में कुछ व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया। इस अधिनियम की धारा 96 सी में भारत में एक ऐसे लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, जो ''भारत में लोक सेवाओं में भर्ती एवं उनके नियंत्रण संबंधी उन प्रकार्यों का निर्वहन करे जो उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।''

2. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के पारित होने के उपरांत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सरकार तथा स्थानीय सरकारों के बीच इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले निकाय के प्रकार्यों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत पत्राचार हुआ। यह पत्राचार चार वर्ष चला। इसके बावजूद किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका तथा इस मामले को रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया (ली कमीशन) को भेजा गया। दिनांक 27 मार्च, 1924 की अपनी रिपोर्ट में **ली कमीशन ने संस्तुति की कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 में परिकल्पित वैधानिक लोक सेवा आयोग को अविलम्ब स्थापित किया जाए।**

3. भारत सरकार अधिनियम,1919 की धारा 96 (सी) के प्रावधानों तथा 1924 में लोक सेवा आयोग की यथाशीघ्र स्थापना किए जाने की, ली कमीशन की प्रबल संस्तुति के बावजूद भारत में पहली बार अक्तूबर, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।

4. **प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्तूबर, 1926 को हुई।** आयोग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सदस्य थे। सर रॉस बार्कर, युनाइटेड किंगडम के होम सिविल सर्विस के सदस्य, आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। आयोग का गठन उनके एवं उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ब्रिटिश सिविल सेवा कमीशन के मॉडल तथा उसकी परम्पराओं के अनुसार किया गया।

5. लोक सेवा आयोग के कार्य भारत सरकार अधिनियम, 1919 में निर्धारित नहीं किए गए थे, बल्कि इन्हें भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 96 (सी) की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित लोक सेवा आयोग (कार्य) नियमावली, 1926 के अंतर्गत विनियमित किया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं तथा वर्ग 'I' एवं वर्ग 'II' केन्द्रीय सेवाओं हेतु भर्ती से संबंधित मामलों, परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी मामलों और चयन द्वारा भर्ती हेतु योग्यताओं, इन सेवाओं पर पदोन्नति, अनुशासनिक मामलों, वेतन एवं भत्तों से संबंधित मामलों, पेंशन, भविष्य अथवा पारिवारिक पेंशन निधि, अवकाश नियमावली और सेवा शर्तों, जो कि सामान्यतः इन सेवाओं से संबंधित हैं, के किसी भी विषय पर आयोग का परामर्श लिए जाने का प्रावधान है।

6. भारत में लोक सेवा आयोग के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिसम्बर, 1931 में श्वेत पत्र जारी होने के साथ आया। इस श्वेत पत्र में भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए प्रस्ताव शामिल थे। इसमें प्रस्तावित फेडरेशन तथा

प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोगों का ब्लूप्रिंट भी था। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर बनी संयुक्त समिति (1934) की रिपोर्ट इस दिशा में अगला कदम थी।

7. श्वेत पत्र में लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रस्तावों को **भारत सरकार अधिनियम,1935** की धारा 264 से 268 तक में मूर्त रूप दिया गया जैसा कि संवैधानिक सुधारों पर बनी संयुक्त समिति (1934) की रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक प्रांत अथवा प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की संभावना पर विचार किया गया।

8. **भारत सरकार अधिनियम, 1935 की लोक सेवा आयोगों से संबंधित धाराओं को 1 अप्रैल, 1937 से प्रभावी किया गया तथा केन्द्र का तत्कालीन लोक सेवा आयोग, फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया।**

9. संविधान सभा ने सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती तथा सेवा के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ तथा प्रांतीय स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को सुरक्षित तथा स्वायत्त बनाने की आवश्यकता अनुभव की। **स्वतंत्रता के पश्चात्, 26 जनवरी, 1950 को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रख्यापन के साथ ही, 'फेडरल लोक सेवा आयोग' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा इसे नया नाम दिया गया 'संघ लोक सेवा आयोग'।** संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड (1) के कारण फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य बन गए। 1926 से अध्यक्षों तथा सदस्यों की सूची **परिशिष्ट–37** में दी गई है।

आयोग के कार्य

10. **संविधान के अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:–**

(क) संघ की सेवाओं के अंतर्गत नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन।

(ख) साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती।

(ग) निम्नलिखित मामलों में भी आयोग का परामर्श लिया जाएगा:–

(i) पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन पर अधिकारियों की नियुक्ति।

(ii) भारत सरकार और संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं एवं पदों के लिए भर्ती नियम बनाना और उनमें संशोधन करना।

(iii) विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले।

(iv) भारत के राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया कोई अन्य मामला।

कार्यभार

11. वर्ष 1950–51 से अब तक आयोग का कार्यभार (दशकवार) **तालिका – 1, 2, 3, 4** और **5** में दर्शाया गया है।

12. **तालिका–1** में विगत वर्षों में प्राप्त आवेदनों, साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों/मूल्यांकन किए गए सेवा अभिलेखों और अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाई गई है।

तालिका –1: परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा भर्ती

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या			साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार/मूल्यांकन किए गए सेवा अभिलेख			अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या		कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया (एन.एफ.एस.)	कुल
	परीक्षा	भर्ती	कुल	परीक्षा*	भर्ती	कुल	परीक्षा¥	भर्ती	भर्ती	
1950-51#	24680	18047	42727	3383	6484	9867	2780	883	120	3783
1960-61	34349	36833	71182	4862	9078	13940	3298	1727	249	5274
1970-71	81539	65197	146736	3473	13706	17179	4187	2059	190	6436
1980-81	243374	58748	302122	9256	14090	23346	4093	2591	361	7045
1990-91	615850	72079	687929	13838	16788	30626	4609	2341	655	7605
2000-01	762501	48019	810520	3351	5662	9013	4177	1050	179	5406
2010-11	1893030	106083	1999113	5342	4083	9425	4896	1117	155	6168
2020-21	2503345	91,381	2594726	6127	1,073	7200	3986	228	44	4258

#ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं।

*संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार।

¥संघ लोक सेवा आयोग तथा एसएसबी (एनडीए+सीडीएस) द्वारा चयनित उम्मीदवार।

13. आयोग द्वारा निपटाए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या **तालिका–2** में दी गई है और **आरेख–1** में भी दर्शाई गई है।

तालिका–2 : अनुशासनिक मामले

वर्ष	वर्ष के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या	अनुशासनिक मामलों की संख्या, जिनमें परामर्श दिया गया	त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव, जिन्हें लौटाया गया
1950-51*	53	53	-
1960-61	101	64	37
1970-71	161	102	59
1980-81	381	260	121
1990-91	489	195	294
2000-01	815	566	249
2010-11	826	417	409
2020-21	502	433	54

*ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं ।

आरेख–1 अनुशासनिक मामले

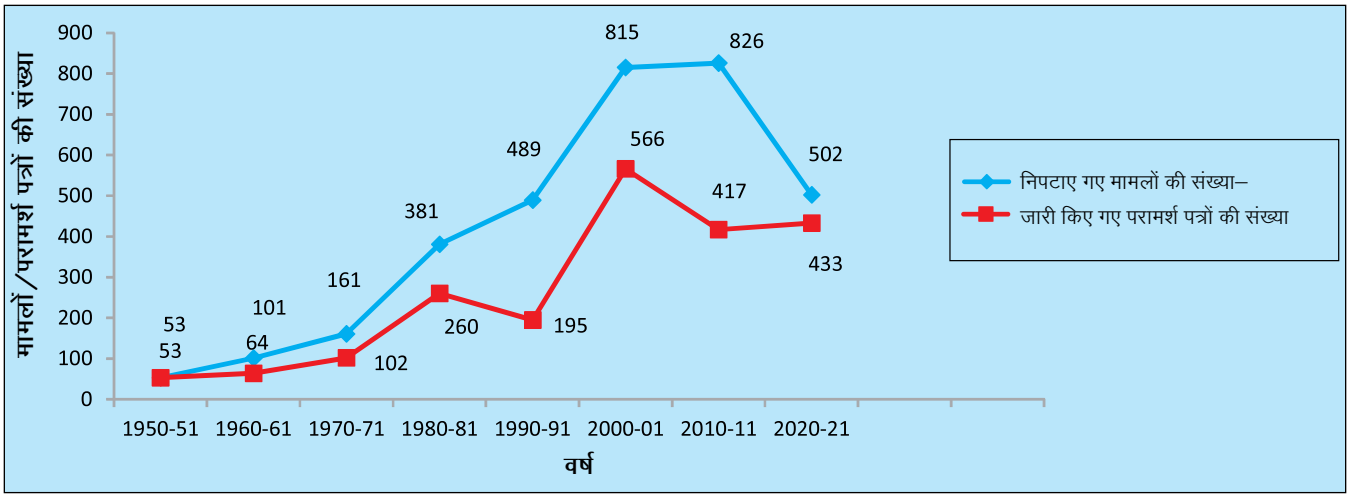

14. आयोग में प्राप्त और परामर्श दिए गए भर्ती नियमावली के मामलों की संख्या **तालिका–3** में दी गई है और **आरेख–2** में भी इसे दर्शाया गया है।

तालिका 3 : भर्ती नियमावली संबंधी मामले (1950–2021)

वर्ष	भर्ती नियमावली के प्राप्त मामले	भर्ती नियमावली संबंधी मामले जिनमें परामर्श दिया गया
1950-51	--	--
1960-61	332	299
1970-71	934	907
1980-81	1241	1359
1990-91	1660	1659
2000-01	1209	1233
2010-11	1386	1372
2020-21	57 (अग्रेनीत) + 232 = 289	240

आरेख 2 : प्राप्त हुए और परामर्श दिए गए भर्ती नियमावली मामले

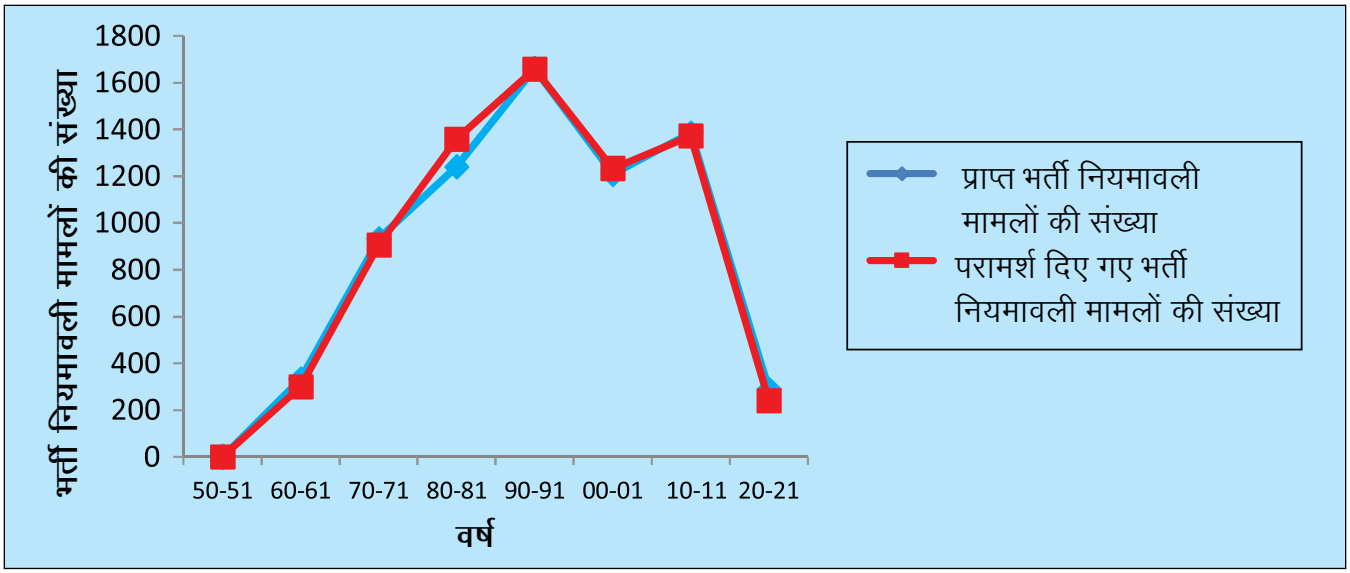

15. अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई किए गए अभिलेखों की संख्या **तालिका–4** में दी गई है और **आरेख–3** में भी इसे दर्शाया गया है।

तालिका 4 : अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करना

वर्ष	अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए जांच किए गए अभिलेखों की संख्या (अनुशंसित अधिकारी)
1950-51	-
1960-61	2054
1970-71	1617
1980-81	2010 (499 अधिकारी)
1990-91	1488 (543 अधिकारी)
2000-01	840 (268 अधिकारी)
2010-11	1105 (418 अधिकारी)
2020-21	1463 (481 अधिकारी)

आरेख 3 अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश

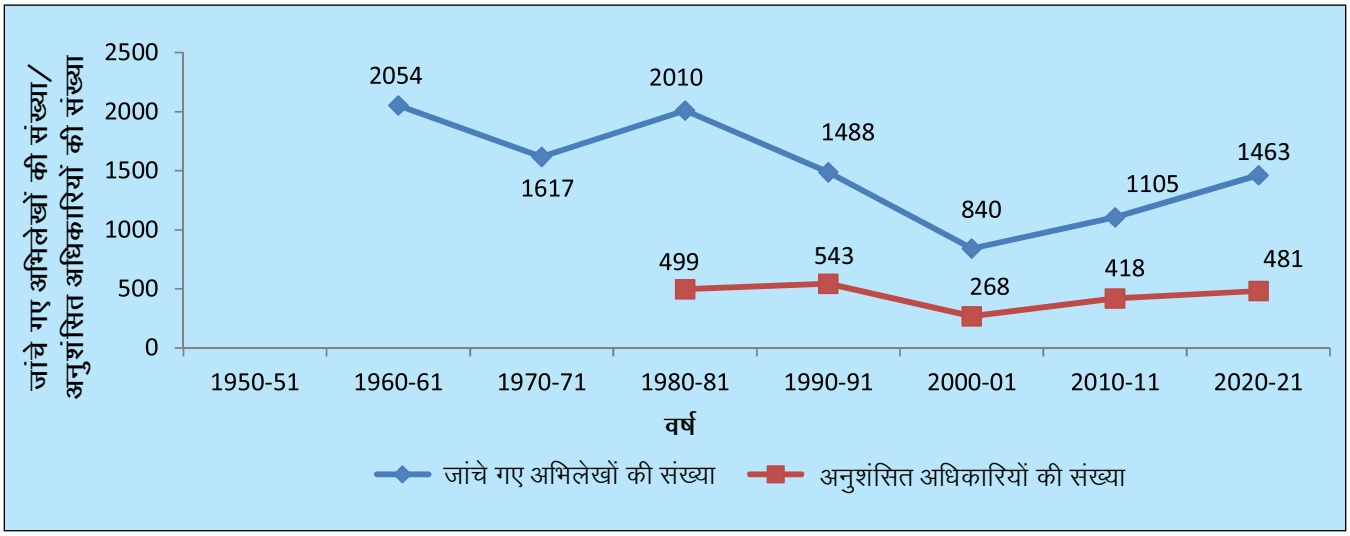

16. पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन मामलों के लिए प्रोसेस किए गए अभिलेखों की संख्या **तालिका–5** में दी गई है।

तालिका – 5 प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामले

वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामलों के लिए जांचे गए अभिलेखों की संख्या (अनुशंसित अधिकारी)
1950-51	-
1960-61	5200
1970-71	12924

वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामलों के लिए जांचे गए अभिलेखों की संख्या (अनुशंसित अधिकारी)
1980-81	20711
1990-91	35645 (4100 अधिकारी)
2000-01	32726 (6221 अधिकारी)
2010-11	17574 (3978 अधिकारी)
2020-21	7637 (4804 अधिकारी)

एकल खिड़की प्रणाली

17. आयोग में एकल खिड़की प्रणाली, सर्वप्रथम वर्ष 2011 में शुरू की गई और आयोग के विभिन्न कार्यों के लिए इसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया गया। इसका उद्देश्य पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति मामलों/ चयन समिति की बैठकों/ अनुशासनिक मामलों/ भर्ती नियमावली प्रस्तावों/सीधी भर्ती के मामलों को प्रोसेस करने में तेजी लाना है। इस व्यवस्था के तहत :–

(i) मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को अपने प्रस्तावों को आयोग में व्यक्तिगत रूप से लाना होता है। आयोग की संबद्ध शाखा में अवर सचिव रैंक का पदनामित अधिकारी मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से परामर्श करके, उसी समय प्रस्ताव की जांच करता है।

(ii) किसी भी प्रकार की कमियों वाले प्रस्तावों को, कमियां दर्शाते हुए, सुधार के लिए वापस लौटा दिया जाता है। जांच–सूची के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जाता है और समयबद्ध तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है।

18. एकल खिड़की प्रणाली के कारण मंत्रालयों/ विभागों/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने संबंधी मौजूदा दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने में सुधार आया है। इससे मामलों को प्रोसेस करने में लगने वाले समय में कमी आई है। विभिन्न मामलों को प्रोसेस करने में लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका – 6: एकल खिड़की प्रणाली अपनाने के बाद आयोग में प्रस्तावों को प्रोसेस करने में लगने वाले समय में आई कमी

वर्ष	विभागीय पदोन्नति समिति	प्रतिनियुक्ति
2007-08	133 दिन	180 दिन
2020-21	51 दिन	97 दिन
समय में प्रभावी कमी – (प्रतिशत में)	61.65%	46.11%

3 अध्याय

परीक्षा द्वारा भर्ती

आयोग ने वर्ष 2020–2021 के दौरान 14 परीक्षाओं, अर्थात् सिविल सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए 10 तथा रक्षा सेवाओं के लिए 04 परीक्षाओं का आयोजन किया। इन परीक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है:–

सिविल सेवाओं/पदों के लिए

(i) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2020 [सि.से.(प्रा.)] [भारतीय वन सेवा(प्रा.) परीक्षा, 2020 सहित]

(ii) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 [सि.से.(प्र.)]

(iii) भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 (भा.व.से.)

(iv) इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 (इं.से.प.–प्र.)

(v) भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 (भा.आ.से./ भा.सां.से.)

(vi) सम्मिलित भूवैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2020 [स.भू.वै.(प्र.)]

(vii) सम्मिलित भूवैज्ञानिक (प्रारंभिक)परीक्षा, 2021 [स.भू.वै.(प्रा.)]

(viii) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 (स.चि.से.)

(ix) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020 (के.स.पु.ब.)

(x) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सहायक कमांडेंट) (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2021 (के.औ.सु.ब.–सी.वि.प्र.प.)

रक्षा सेवाओं के लिए

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2020 (रा.र.अ.एवं नौसे.अ., (I) 2020)

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2020 (रा.र.अ.एवं नौसे.अ. (II) 2020)

(iii) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2020 (स.र.से.–(II), 2020)

(iv) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2021 (स.र.से.–(I), 2021)

आवेदन पत्रों की संख्या

2. वर्ष 2020–2021 के दौरान, आयोग को पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 30,41,246 आवेदन पत्रों की तुलना में 25,03,345 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। नीचे दी गई **तालिका–1** पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परीक्षाओं के आवेदकों की संख्या दर्शाती है।

तालिका–1

परीक्षा	2018-19	2019-20	2020-21
सिविल			
1. सि.से. (प्रा.) [भा.व.से.(प्रा.) सहित]	1065552	1154769	1056835
2. सि.से.(प्र.)	10419	11771	10534
3. भा.व.से.(प्र.)	1060	1044	1042
4. इं.से.प.(प्र.)	4206	4048	2263
5. इं.से.प. (प्रा.)	288294	233457	--

परीक्षा	2018-19	2019-20	2020-21
6. भा.आ.से./ भा.सां.से.	19591	19451	22548
7. स.चि.से.	40556	36415	43120
8. भूवि.(प्र.)/स. भू.वै.(प्र.)*	18244	19003	720
9. भूवि. (प्रा.)/ स.भू.वै.(प्रा.)*	--	20283	22238
10. के.स.पु.बल	307296	272475	296066
11. के.औ.सु.ब, सी.वि.प्र.प.	727	1115	871
कुल सिविल	1755945	1773831	1456237
रक्षा			
1. रा.र.अ. एवं नौ.से.अ. (I)	450641	462921	379977
2. रा.र.अ.एवं नौ.से.अ. (II)	348785	369979	197498
3. स.र.से. (II)	236248	195532	234343
4. स.र.से. (I)	244164	238983	235290
कुल रक्षा	**1279838**	**1267415**	**1047108**
सकल योग	**3035783**	**3 041246**	**2503345**

*वर्ष 2019–20 के दौरान सम्मिलित भू–वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा का नाम बदलकर सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा कर दिया गया।

– परीक्षा आयोजित नहीं की गई।

आवेदकों की संख्या

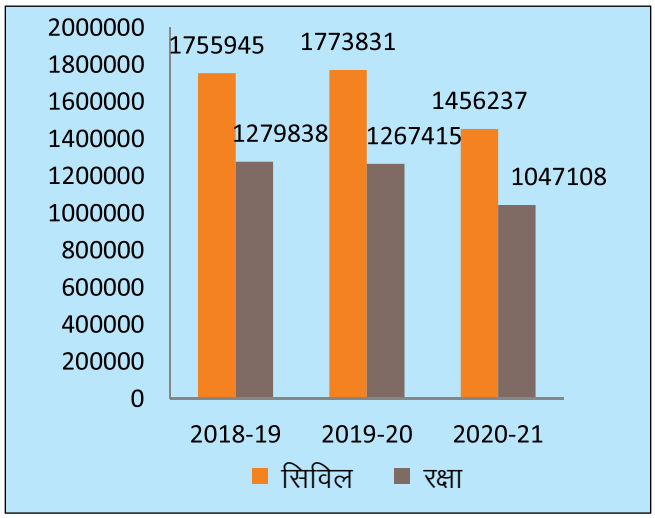

परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या

3. निम्नलिखित **तालिका–2** पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में बैठे उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है:–

तालिका–2

परीक्षा	2018-19	2019-20	2020-21
सिविल			
1. सि.से. (प्रा.) [भा.व.से. (प्रा.) सहित]	500484	574980 $	486952
2. सि.से. (प्र.)	10246	11474	10343
3. भा.व.से. (प्र.)	710	675	600
4. इं.से.प. (प्र.)	3889	3721	1955
5. इं.से.प. (प्रा.)	148499	117644	परीक्षा आयोजित नहीं हुई
6. भा.आ.से./ भा.सां.से.	3714	3697	3214
7. स.चि.से.	19873	19479	20213
8. भूवि. (प्र.)/ स.भू.वै.(प्र.)*	4872	5157	619
9. भूवि. (प्रा.)/ स.भू.वै. (प्रा.)*	--	9045	8000
10. के.स.पु.बल	108677	87579	89946
11. के.औ.सु.ब, सी.वि.प्र.प.	512	793	541
कुल सिविल	801476	834244	622383
रक्षा			
1. रा.र.अ.(I)	294688	297685	162906
2. रा.र.अ. (II)	240576	270527	115561
3. स.र.से. (II)	120579	101453	118250
4. स.र.से. (I)	115658	124659	119892
कुल रक्षा	**771501**	**794324**	**516609**
सकल योग	**1572977**	**1628568**	**1138992**

*वर्ष 2019–20 के दौरान सम्मिलित भूवैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा का नाम बदलकर सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा कर दिया गया है।

– परीक्षा आयोजित नहीं की गई।

$ पिछली रिपोर्ट में चूकवश 568282 रिपोर्ट की गई, जो केवल सि.से. (प्रा.) के लिए थी।

परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या

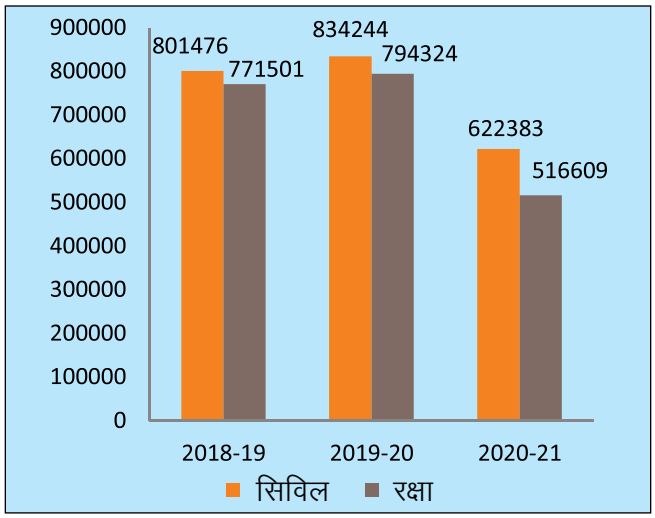

साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार:

4. आयोग केवल सिविल सेवाओं/ पदों हेतु साक्षात्कार आयोजित करता है/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन करता है। रक्षा सेवाओं के संबंध में, आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण आदि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेवा चयन बोर्ड आयोजित करते हैं। आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान, सिविल सेवाओं/ पदों के लिए वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान आयोजित निम्नलिखित परीक्षाओं तथा 2015–16 हेतु आयोजित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक समूह 'ख'/ ग्रेड–I सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015 के परिणामों के आधार पर साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किए तथा सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया:–

(i) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019

(ii) इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2020

(iii) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020

(iv) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल(सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019

(v) अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक समूह 'ख'/ग्रेड–I सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015

5. कुल मिलाकर, वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग ने विभिन्न सिविल सेवाओं/ पदों के लिए 6127 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया। रक्षा सेवा परीक्षाओं के संबंध में साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण आदि रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए। विभिन्न सिविल सेवाओं/ पदों के लिए आयोग द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की परीक्षावार संख्या नीचे **तालिका–3** में दी गई है:

तालिका–3

क्र. सं.	परीक्षा	वर्ष 2020–21 के दौरान साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की संख्या
सिविल सेवाओं/पदों हेतु		
1	सि.से. (प्र.), 2019	2302
2	इं.से.प. 2020	843
3	स.चि.से., 2020	1150
4	के.स.पु.ब., 2019	1037
5	अनु.अधि./आशु., 2015	795
योग		6127

अनुशंसित उम्मीदवार

6. आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान, सिविल सेवाओं/पदों और रक्षा सेवाओं/ पदों पर नियुक्ति हेतु 3986 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। रक्षा सेवाओं के लिए, नियुक्ति हेतु अनुशंसाएं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं तथा रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों एवं शारीरिक परीक्षणों पर आधारित थीं। उपर्युक्त 3986 उम्मीदवारों में से, 2313 उम्मीदवारों की अनुशंसा सिविल सेवाओं/ पदों के लिए तथा आरक्षित सूची, वर्ष 2020–21 के दौरान जारी, में से 203 उम्मीदवारों की भी अनुशंसा सिविल सेवाओं/ पदों हेतु की गई। अनुशंसित उम्मीदवारों की परीक्षावार संख्या नीचे तालिका–4 में दी गई है:–

तालिका–4

क्र. सं.	परीक्षा	वर्ष 2020–21 के दौरान अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
(क)	**सिविल सेवाओं/पदों हेतु**	
1.	सि.से. (प्र.), 2019	922*
2.	के.स.पु.ब. 2019	264
3.	स.चि.से., 2020	522
4.	अनु.अधि./आशु., 2015	605
	योग	2313
(ख)	**रक्षा सेवाओं/ पदों के लिए**	
1.	रा.र.अ (I), 2020	533
2.	स.र.से. (II), 2019	275
3.	रा.र.अ. (II), 2019	662
	योग	1470
(ग)	आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवार	203
(क), (ख) और (ग) का सकल योग		3986

*आंकड़ों में आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवार भी शामिल हैं।

पद–आवेदक अनुपात

7. किसी परीक्षा–विशेष के आवेदन पत्रों की संख्या को उस परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या से भाग देने पर पद आवेदक अनुपात (एपीआर) प्राप्त होता है। पद आवेदक अनुपात से प्रत्येक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं/ पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का सूचकांक प्राप्त होता है। पद आवेदक अनुपात की गणना के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के माध्यम से भरे गए प्रत्येक पद के लिए 1225 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसका अनुपात सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक था। विवरण **तालिका–5** में दिया गया है।

पद–अनुशंसा अनुपात

8. अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को पदों की संख्या से भाग देने पर पद–अनुशंसा अनुपात (आरपीआर) प्राप्त होता है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए पद अनुशंसा अनुपात **तालिका–5** में दिया गया है। विवरण **परिशिष्ट–4** और **परिशिष्ट–5** में दिया गया है।

तालिका–5

परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	पद आवेदक अनुपात	पद अनुशंसा अनुपात
सिविल सेवा परीक्षा, 2019	927	*1135261	922	1224.66	0.99
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019	330	272475	264	825.68	0.80
सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020	560	43120	522	77.00	0.93
अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक समूह 'ख'/ग्रेड–I सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015	940	2314	605	2.46	0.64
योग	2757	1453170	2313	527.00	0.84

*सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 के आवेदकों की संख्या

सिविल सेवा परीक्षा, 2019

(i) **मुख्य विशेषताएं:** सिविल सेवा परीक्षा, 2019 की अधिसूचना 19 फरवरी, 2019 को जारी की गई। अधिसूचना के संदर्भ में, उपर्युक्त परीक्षा के लिए कुल 11,35,261 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से 5,68,282 उम्मीदवार उक्त परीक्षा में बैठे। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 की लिखित परीक्षा 20 सितंबर, 2019 से 28 सितंबर, 2019 तक आयोजित की गई, जिसमें 11,474 उम्मीदवार बैठे। व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार दो चरणों में आयोजित किए गए। पहले चरण के साक्षात्कार 17 फरवरी, 2020 से 20 मार्च, 2020 तक तथा दूसरे चरण के साक्षात्कार 20 जुलाई, 2020 से 30 जुलाई, 2020 तक आयोजित किए गए। उल्लेखनीय है कि व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार 17 फरवरी, 2020 से 03 अपैल, 2020 तक होने निर्धारित थे। हालांकि कोविड–19 वैश्विक महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 23 मार्च, 2020 से होने वाले व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार दूसरे चरण के लिए स्थगित कर दिए गए।

(ii) **अनुशंसाएं:** सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 का अंतिम परिणाम 4 अगस्त, 2020 को घोषित किया गया। आयोग ने कुल 829 उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 की आरक्षित सूची 4 जनवरी, 2021 को जारी की गई, जिसके अंतर्गत 89 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। चार उम्मीदवारों की अनुशंसा माननीय न्यायालयों के निर्देश पर की गई। उक्त अनुशंसाओं के अंतर्गत आयोग ने कुल 922 उम्मीदवारों की अनुशंसा की जिनमें 130 अ.जा., 67 अ.ज.जा., 82 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 265 अ.पि.व. उम्मीदवार शामिल थे।

(iii) **महिला उम्मीदवार:** सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित महिला उम्मीदवारों की संख्या 220* थी, जो वर्ष 2018 में 193 थी। सिविल सेवा परीक्षा, 2018 और सिविल सेवा परीक्षा, 2019 की प्रधान परीक्षा में बैठने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः 1362 और 1510 थी। सिविल सेवा परीक्षा, 2018 और सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर जिन महिला उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया, उनकी संख्या क्रमशः 364 और 454 थी।

*इसमें आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं।

(iv) **शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवार:** सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों की संख्या 43 थी।

(v) **साक्षात्कार:** सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के लिए 17 फरवरी, 2020 से 20 मार्च, 2020 तक तथा 20 जुलाई, 2020 से 30 जुलाई, 2020 तक छह व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों का गठन किया गया। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी, हिन्दी अथवा भारतीय भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चुनने की अनुमति थी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक कुल 2306 उम्मीदवारों में से (वास्तव में 2302 उम्मीदवार ही व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित हुए) 2100 उम्मीदवारों ने अंग्रेजी, जबकि 206 उम्मीदवारों ने किसी एक भारतीय भाषा को साक्षात्कार के माध्यम के रूप में चुना। इस संबंध में विवरण **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका –6: व्यक्तित्व परीक्षण का माध्यम

माध्यम	उम्मीदवारों की संख्या
हिन्दी	179
कन्नड़	3
मलयालम	1
मराठी	11
पंजाबी	1
तमिल	6
तेलुगु	3
उर्दू	2
योग	**206**

वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यान्वित किए गए परिवर्तन

1. सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा, 2021

सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2021 (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत श्रेणी–II के पद) के नियमों में निम्नलिखित बदलाव किए गए :

(i) खान मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के अंतर्गत समतुल्य पदों के लिए परीक्षा की योजना/पाठ्यक्रम को समान रखते हुए इस परीक्षा की योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक 'ख' (रसायन) तथा वैज्ञानिक 'ख' (भूभौतिकी) के पदों को शामिल किया गया है।

(ii) कनिष्ठ जल भूविज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख') का नाम बदलकर वैज्ञानिक 'ख' (जल भूविज्ञान) किया गया है।

2. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020

(i) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कनिष्ठ समयमान पदों के मामले में अधिकतम आयु–सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष किया गया है। इस परीक्षा के अंतर्गत अन्य प्रतिभागी सेवाओं के मामले में इस संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ii) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

श्रेणी–I

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कनिष्ठ समयमान वाले पद।

श्रेणी–II

(क) रेलवे के अंतर्गत सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी।

(ख) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सहायक चिकित्सा अधिकारी।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी।

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत सामान्य ड्यूटी

3. सिविल सेवा परीक्षा, 2021

आयोग ने सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2021 के लिए लेह (लद्दाख) में एक नया केन्द्र बनाने का निर्णय लिया।

4 अध्याय

चयन द्वारा सीधी भर्ती

1. संविधान के अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 321 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग को केन्द्र सरकार, संघ शासित क्षेत्रों, सांविधिक संगठनों, स्थानीय निकायों और लोक संस्थाओं के सभी ग्रुप ''क'' पदों और राजपत्रित ग्रुप ''ख'' पदों के लिए चयन पद्धति द्वारा सीधी भर्ती करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

प्राप्त अधियाचनाओं की संख्या

2. आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 1,865 पदों के लिए 217 अधियाचनाओं की तुलना में, वर्ष 2020–21 के दौरान 1,746 पदों के लिए 147 अधियाचनाएं प्राप्त हुईं। आयोग ने 2019–20 के दौरान 3,059 पदों के लिए 367 अधियाचनाओं की तुलना में, वर्ष 2020–21 के दौरान 3,266 पदों के लिए कुल मिलाकर 328 अधियाचनाओं (बैकलॉग सहित) पर कार्रवाई की। इन 328 अधियाचनाओं में से, 702 पदों के लिए 38 अधियाचनाओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तावों में विसंगतियों के कारण वापस भेज दिया गया। आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को वापस किए गए प्रस्तावों को समाप्त हुआ माना गया। पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त अधियाचनाओं और इस से सम्बद्ध पदों का चित्रण **आरेख–1** में दर्शाया गया है।

आरेख–1 : प्राप्त अधियाचनाओं की संख्या और संबंधित पद

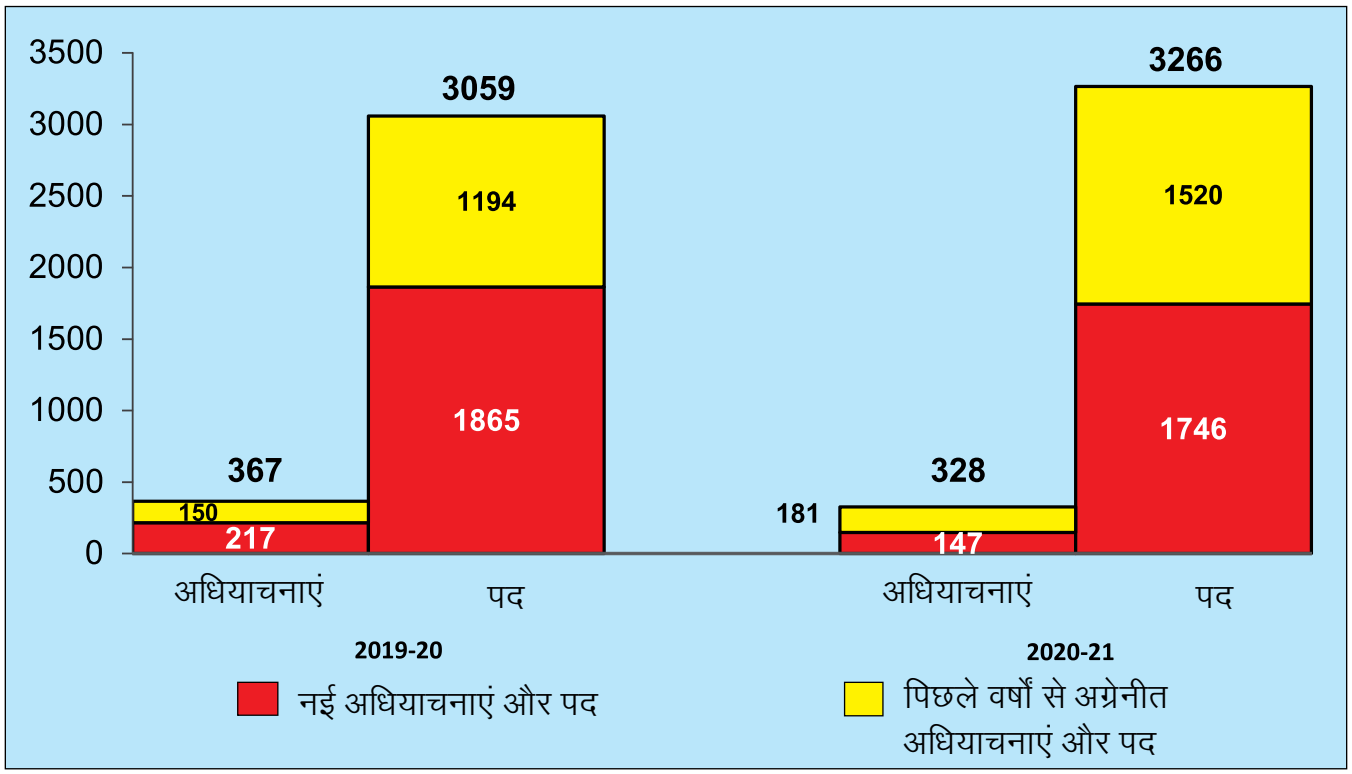

3. पिछले वर्ष 2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान संबंधित मंत्रालय/विभाग से आयोग को प्राप्त नई अधियाचनाओं तथा पदों की संख्या में आई महत्वपूर्ण कमी को आरेख–1 में दर्शाया गया है।

प्राप्त हुए आवेदन, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या का सांख्यिकीय सार

4. वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग ने 1044 पदों के लिए 109 अधियाचनाओं के संबंध में आवेदन आमंत्रित करने हेतु 17 विज्ञापन जारी किए। वर्ष 2020–21 के दौरान विज्ञापित पदों की मंत्रालय–वार संख्या **परिशिष्ट–12** में दी गई है। न्यायालय के आदेशों, अधियाचनाओं को वापस ले लेने आदि जैसे विभिन्न कारणों से, विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद चार पदों के लिए चार अधियाचनाओं संबंधी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई।

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग को कुल 91,381 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान कुल 30,278 आवेदनों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें पिछले वर्ष प्राप्त आवेदन भी शामिल हैं। लघुसूची तैयार करने के बाद, आयोग द्वारा 1,463 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिसमें से 1,073 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आए। वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग द्वारा 272 पदों हेतु कुल 82 अधियाचनाओं को अंतिम रूप देते हुए विभिन्न पदों के लिए 228 उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया। इसे आरेख–2 में दर्शाया गया है।

आरेख – 2 : प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

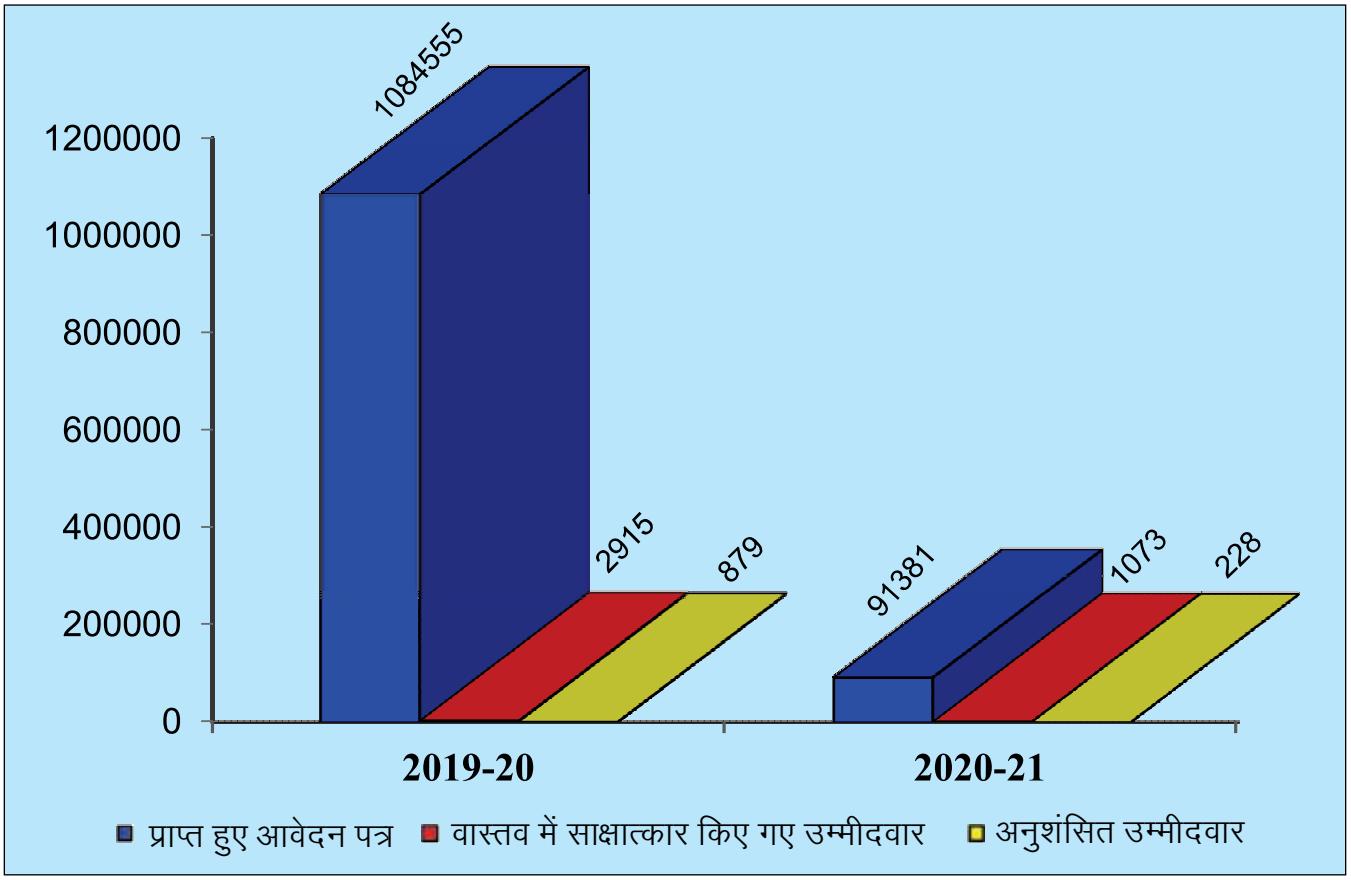

तालिका–1: वर्ष 2020–21 के दौरान अंतिम रूप दिए गए पदों और अनुशंसित उम्मीदवारों की विस्तृत विषयवार संख्या

विस्तृत विषय	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवार	पद आवेदक अनुपात	पद अनुशंसा अनुपात
इंजीनियरी	64	8735	51	136	0.80
वैज्ञानिक एवं तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर)	86	9664	84	112	0.98
गैर–तकनीकी	52	11451	49	220	0.94
चिकित्सा	70	428	44	6	0.63
कुल	**272**	**30278**	**228**	**111**	**0.84**

टिप्पणी : 1. पद–आवेदक अनुपात = आवेदकों की संख्या को पदों की संख्या से विभाजित करके।
2. पद–अनुशंसा अनुपात = अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को पदों की संख्या से विभाजित करके।

5. वर्ष 2020–21 के दौरान, इंजीनियरी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर), गैर–तकनीकी तथा चिकित्सा के चार विस्तृत विषयों के अन्तर्गत उन पदों की संख्या, जिनके संबंध में भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया, अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या, पद आवेदक अनुपात तथा पद अनुशंसा अनुपात का विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

6. उपर्युक्त चार विस्तृत विषयों में विषय/ विशेषज्ञता–वार तथा समुदाय–वार, जिनके संबंध में भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया, पदों की संख्या तथा वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः **परिशिष्ट–13, परिशिष्ट–14, परिशिष्ट–15** तथा **परिशिष्ट–16** में दर्शाई गई है। पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2020–21 में प्रतिशतता की भिन्नता दर्शाने वाला विवरण (विषय–वार) **परिशिष्ट–2** में दिया गया है।

कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी/आरटी)

7. भर्ती परीक्षण उन मामलों में आयोजित किए जाते हैं जहां बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी/आरटी) पद्धति का उद्देश्य उपयुक्त संख्या में उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करना है। कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण / भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रत्येक मामले के आधार पर उपयुक्त महत्व (वेटेज) दिया जाता है। अंतिम चयन के लिए भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार होता है।

8. वर्ष 2020–21 के दौरान, 89 पदों के लिए भर्ती के चार मामलों में कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण आयोजित किए गए। इन मामलों का विवरण **परिशिष्ट –17** में दिया गया है।

पद–आवेदक अनुपात (एपीआर)

9. पद–आवेदक अनुपात (एपीआर) एक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या का सूचक है। चयन द्वारा सीधी भर्ती के मामलों में, जिन्हें वर्ष 2020–21 में अंतिम रूप दिया गया, प्रति पद औसतन 111 आवेदक थे। आरेख– 3 से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में गैर–तकनीकी विषयों के मामले में एपीआर में वृद्धि हुई है, परंतु इंजीनियरी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा चिकित्सा विषयों के मामले में इसमें कमी आई है।

आरेख–3 : वर्षवार पद–आवेदक अनुपात

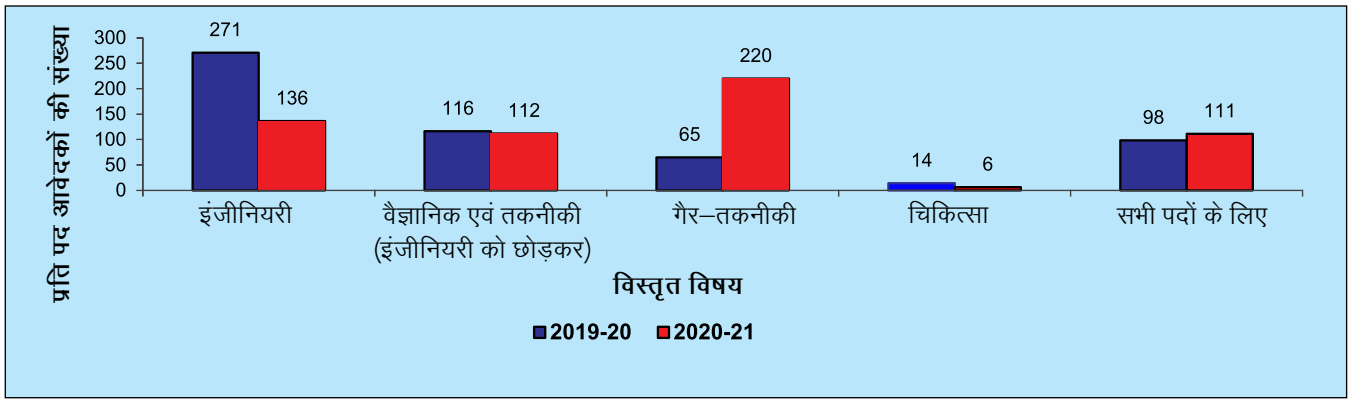

आरेख – 4 : वर्षवार पद अनुशंसा अनुपात

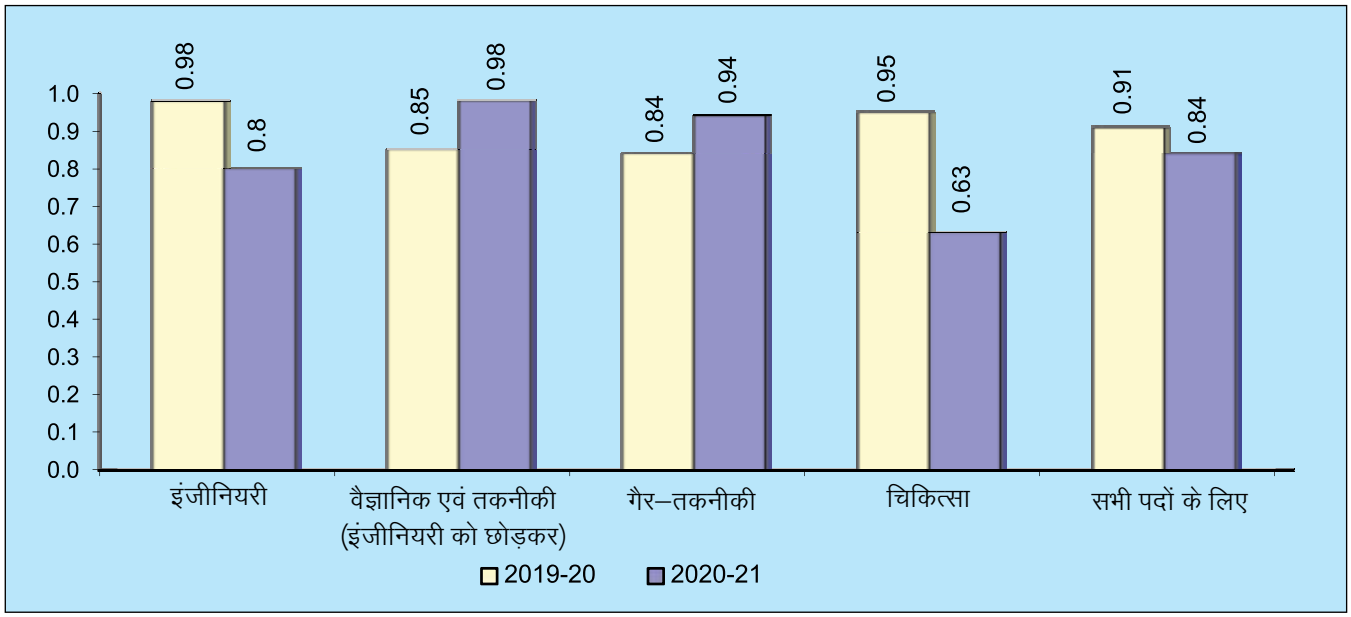

पद अनुशंसा अनुपात (आरपीआर)

10. आरपीआर का 1 से कम होना उस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता को दर्शाता है। आरेख–4 यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में इंजीनियरी तथा चिकित्सा विषयों के पदों के संबंध में आरपीआर कम है।

कोई योग्य उम्मीदवार नहीं पाया गया

11. वर्ष के दौरान, 44 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया निष्फल रही। इन पदों में से अधिकांश पदों में विशेषज्ञ चिकित्सा या वैज्ञानिक अर्हताएं अपेक्षित थीं।

विपुल संख्या (बल्क) में भर्ती संबंधी मामले

12. ऐसे मामले, जहां 500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, विपुल (बल्क) भर्ती के मामले माने जाते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, 115 पदों के लिए 16 ऐसे मामलों को अंतिम रूप दिया गया, जिनके लिए 22,547 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। ऐसे मामलों का विवरण परिशिष्ट–18 में दिया गया है।

सांविधिक निकायों/ स्थानीय प्राधिकरणों के लिए भर्ती

13. वर्ष 2020–21 के दौरान, सांविधिक निकायों/ स्थानीय प्राधिकरणों के लिए आयोग द्वारा कोई भर्ती नहीं की गई।

अधिशेष (सरप्लस) अधिकारियों हेतु भर्ती

14. वर्ष 2020–21 के दौरान, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पुनःप्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन प्रभाग द्वारा प्रायोजित एक अधिशेष (सरप्लस) अधिकारी की श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत सहायक निदेशक (सुरक्षा) (सिविल) के पद हेतु अनुशंसा भी की गई।

संविदा आधार पर (लेटरल एंट्री) संयुक्त सचिव/निदेशक तथा उप सचिव स्तर के पदों पर भर्ती

15. राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान करने के इच्छुक प्रतिभावान तथा प्रेरित भाव वाले भारतीय नागरिकों की भर्ती के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आयोग के समक्ष एक अधियाचना प्रस्तुत की। यह योजना भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत संयुक्त सचिव स्तर के तीन, निदेशक स्तर के 27 तथा उप सचिव स्तर के 13 अधिकारियों की संविदा आधार पर पार्श्व भर्ती (लेटरल एंट्री) के संदर्भ में थी। इन पदों के संबंध में फरवरी तथा मार्च, 2021 के दौरान विज्ञापन जारी किए गए।

आयोग की दक्षता और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए किए गए परिवर्तन

16. भर्ती आवेदनों की ऑनलाइन संवीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ओआरए पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उन्नत रूप लागू किया गया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास से तालमेल रखते हुए कार्यप्रणाली के अंतर्गत सुधार लाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

16.1 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों हेतु आरक्षण के विषय में सरकार द्वारा जारी संशोधित अनुदेशों के अनुरूप भर्ती अधियाचनाओं को जमा करने के प्रोफार्मा को संशोधित किया गया है।

16.2 ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) के अंतर्गत उम्मीदवार के जेंडर के संदर्भ में ट्रांसजेंडर को एक पृथक श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है।

16.3 शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव संबंधी समर्थक दस्तावेज ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) प्रक्रिया के दौरान ही ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं तथा उन्हीं के आधार पर समीक्षा की जाती है। दस्तावेज अपर्याप्त होने की स्थिति में, इन्हें अंतिम रूप से लघु सूचीबद्ध रूप में तैयार करने से पहले मंगवा कर इनकी समीक्षा की जाती है। इससे अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों को रद्द किए जाने के मामलों में कमी आई है।

आयोग के समक्ष आने वाली कठिनाइयां

17. विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विविध क्षेत्रों में जारी डिग्रियों में मिलती–जुलती अर्हताओं तथा विशेषज्ञताओं के नामों की भिन्नता के कारण उम्मीदवारों द्वारा धारित विभिन्न योग्यताओं की संगतता और समतुल्यता के निर्धारण में कठिनाइयां आती हैं।

17.1 अक्सर उम्मीदवार, दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं। कुछ मामलों में, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के साथ अपेक्षित/संगत दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं, जिससे संवीक्षा प्रक्रिया में विलंब हो जाता है।

प्रौद्योगिकी समावेशन

18. आयोग को, भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव/निदेशक तथा उप सचिव स्तर के पदों पर संविदा आधार (लेटरल एंट्री) पर भर्ती के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अधियाचना प्राप्त हुई। इस भर्ती मामले की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन मंगाने तथा आवेदनों की ऑनलाइन संवीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सॉफ्टवेयर में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

18.1 ओआरए के पोस्ट प्रोसेसिंग सर्वर डाटा को एनआईसी क्लाउड में माइग्रेट करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है और यह प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं।

5 अध्याय

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व

वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए कुल 1115 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित/पूर्ण हुई परीक्षाओं के लिए इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों का ब्यौरा **परिशिष्ट–25** में दिया गया है। वर्ष 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 का तुलनात्मक विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

2. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में वर्ष 2020–21 के दौरान आवेदन करने वाले/परीक्षाओं में बैठने वाले/अनुशंसित अनु.जाति/अनु.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों और जिनका साक्षात्कार लिया गया (या जिनके सेवा रिकार्डों का मूल्यांकन किया गया) तथा अनुशंसा की गई उनका ब्यौरा **परिशिष्ट–4** और **परिशिष्ट–5** में और प्रतिशतता–वार अलग–अलग विवरण क्रमशः आरेख 1, 2, 3 एवं 4 में उपलब्ध है। उपर्युक्त के अलावा, आरक्षित सूची से वर्ष 2020–21 के दौरान अनु.जाति के 10, अनु.जनजाति के 05, अन्य पिछड़ा वर्ग के 112 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 05 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। ब्यौरा **परिशिष्ट–6** में दिया गया है।

तालिका–1

विवरण	2019–20				2020–21			
	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित
परीक्षा द्वारा भर्ती	1572	1572	शून्य	35	1338	1115 *	222**	38
		100 %				83 %		

*(क) न्यायालय के निर्देश पर एक पद को रिक्त रखा गया था।

(ख) आंकड़ों में 73 उम्मीदवार शामिल हैं जिनकी अनुशंसा सामान्य स्तर के साथ–साथ उनके लिए आरक्षित पद के लिए की गई थी। अरक्षित सूची जारी होने के बाद उनकी अंतिम स्थिति का पता चलेगा।

**कुल अनुशंसा में 222 की कमी में से, अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक' (ग्रेड 'ख'/ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015 में 220 उम्मीदवारों की कम अनुशंसा की गई थी। सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2019 में अन्य 2 उम्मीदवारों की कमी एक न्यायालयाधीन मामला है। दूसरे शब्दों में, आयोग ने संरचित परीक्षाओं के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद के लिए 100% उम्मीदवारों की अनुशंसा की है।

आरेख–1
कुल आवेदनकर्ता उम्मीदवार

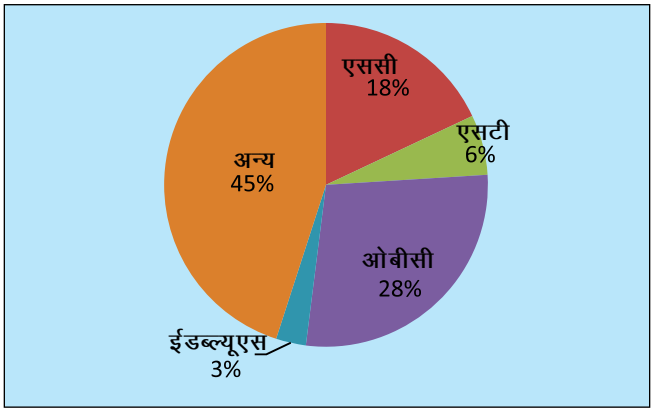

आरेख–2
परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवार

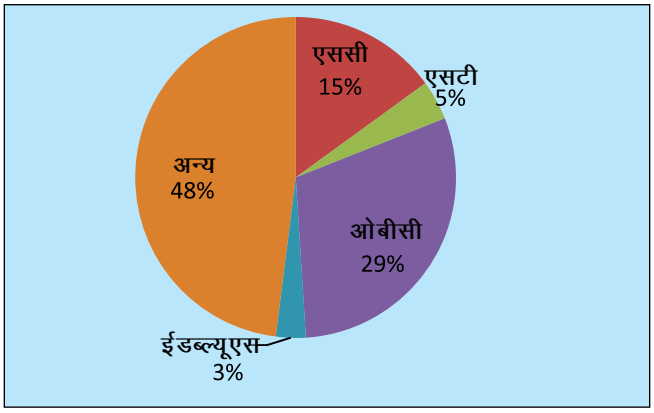

आरेख–3
साक्षात्कार किए गए कुल उम्मीदवार (सिविल पद)

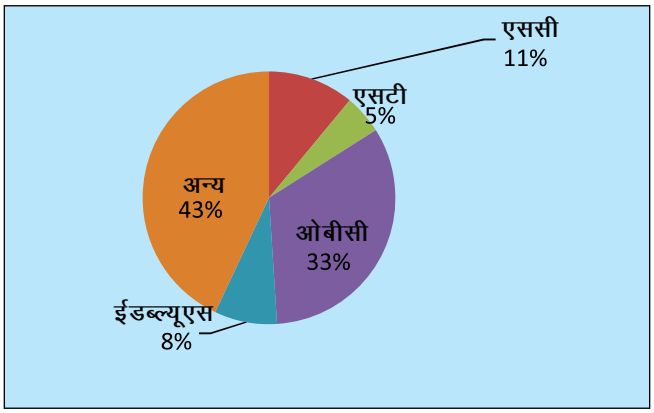

आरेख–4
कुल अनुशंसित उम्मीदवार (सिविल पद)

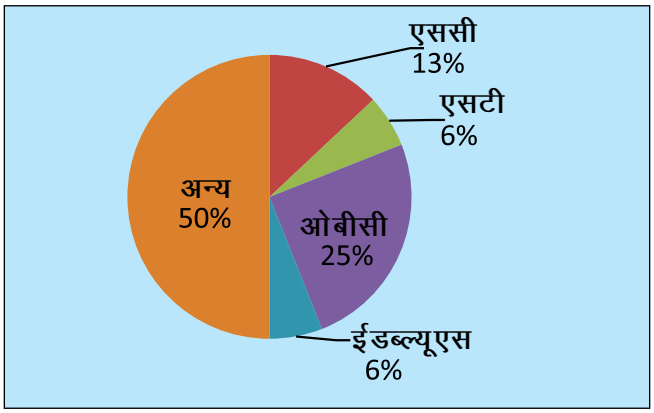

चयन द्वारा सीधी भर्ती

1. वर्ष 2020–21 के दौरान अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व और ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और इन पदों के विरुद्ध संस्तुत उम्मीदवारों का विवरण तालिका–2 में दिया गया है।

2. **वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा 117 आरक्षित पदों (30 अ.जा., 20 अ.ज.जा., 55 अ.पि.व तथा 12 ईडब्लयूएस) के लिए कुल 88 उम्मीदवारों (24 अ.जा.16 अ.ज.जा., 42 अ.पि.व तथा 06 ईडब्ल्यूएस) की अनुशंसा की गई।**

3. **इसके अतिरिक्त, अनारक्षित पदों के लिए कुल 34 उम्मीदवारों (04 अ.जा., 29 अ.व.पि. और 01 ईडब्ल्यूएस) की अनुशंसा की गई। ब्यौरा परिशिष्ट–27 में दिया गया है।**

4. वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों और अनुशंसित उम्मीदवारों का तुलनात्मक विवरण **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका–2: वर्ष 2020–21 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों हेतु भर्ती को अंतिम रूप दिया गया

विवरण	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	कुल
1. आरक्षित पद	30	20	55	12	117
2. आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	2936	915	6236	279	10366
3. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार	155	59	298	32	544
4. साक्षात्कार में उपस्थित हुए उम्मीदवार	122	47	235	25	429
5. अनुशंसित उम्मीदवार	24	16	42	6	88
6. कमी	6	4	13	6	29
उपर्युक्त मद 6 में से,					
(i) वे पद जिनके लिए किसी अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया (ब्यौरा परिशिष्ट–26 में दिया गया है)	3	2	7	2	14
(ii) वे पद जिनके लिए कोई अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया	3	2	6	4	15

तालिका–3 : चयन द्वारा सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

2019–20					2020–21				
आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार	अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस के कुल अनुशंसित उम्मीदवार	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार	अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस के कुल अनुशंसित उम्मीदवार
360	313 (86.9%)	47 (13.1%)	114	427 (118.6%)	117	88 (75.2%)	29 (24.8%)	34	122 (104.3%)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा बेंचमार्कदिव्यांगता (पीडब्ल्यू बीडी) वाले उम्मीदवारों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण

5. आयोग ने मानदंडों में छूट के आधार पर नियुक्ति हेतु चुने गए अनुसूचित जाति के 13, अनुसूचित जनजाति के 11, अन्य पिछड़े वर्गों के 07 उम्मीदवारों तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले 06 उम्मीदवारों (जिसमें 03 अ.पि.व. और 03सामान्य उम्मीदवार शामिल हैं) को सामान्य उम्मीदवारों के स्तर तक लाने के लिए उनके सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की। पद पर उनकी नियुक्ति के पश्चात, अनुशंसित की गई सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि तीन माह से एक वर्ष तक थी। अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व.,ईडब्ल्यूएस तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा अवधि–वार विवरण, जिनके लिए आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की,तालिका–4 में दिया गया है।

चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनुशंसित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति

सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि	समुदाय–वार उम्मीदवार					
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूबीडी	कुल
3 महीने	3	1	2	0	0	6
6 महीने	5	6	1	0	0	12
9 महीने	4	1	1	0	1	7
एक वर्ष	1	3	3	0	5	12
कुल	**13**	**11**	**7**	**0**	**6**	**37**

तालिका–5: वर्ष 2020–21 के दौरान बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों तथा उनके लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की विषय–वार संख्या:–

6. वर्ष 2020–21 के दौरान, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 13 पदों के लिए कुल सात व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा इन पदों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की विषय–वार संख्या **तालिका–5** में दी गई है।

तालिका–4: वर्ष 2020–21 के दौरान सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों(ईडब्ल्यूएस) तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा अवधि–वार विवरण

क्र. सं.	विषय	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	ऐसे अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
1.	इंजीनियरी	0	0
2.	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	4	3
3.	गैर–तकनीकी	6	4
4.	चिकित्सा	3	0
	कुल	**13**	**7**

6 अध्याय

भर्ती नियम, सेवा नियम तथा भर्ती की पद्धति

1. आयोग को भारत सरकार/संघ शासित क्षेत्रों और कतिपय स्वायत संगठनों यथा नई दिल्ली नगरपालिका (एनडीएमसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), आदि के अंतर्गत आने वाले सिविल पदों के संबंध में भर्ती नियम और सेवा नियमों को बनाने/संशोधन करने के लिए परामर्श देने का अधिदेश प्राप्त है। नए सृजित पदों के लिए अधिसूचित भर्ती नियम न होने पर, आयोग इन पदों को भरने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को एकबारगी भर्ती की पद्धति के निर्धारण पर परामर्श देता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग ने भर्ती नियम बनाने और संशोधन करने के लिए 232 पदों तथा एकबारगी भर्ती की पद्धति के निर्धारण के लिए 17 पदों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किए। 57 पदों के संबंध में प्रस्ताव को पिछले वर्ष से अग्रानीत किया गया और इस प्रकार वर्ष 2020–21 के दौरान 289 (57+232) पदों से संबंधित ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। आयोग ने 240 पदों से संबंधित भर्ती नियमों के प्रस्तावों के संबंध में परामर्श दिया और शेष 49प्रस्तावोंको अगले वर्ष अर्थात् 2021–22 के लिए अग्रेनीत किया गया।

2. वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग ने सेवा नियमों को बनाने/संशोधन के निम्नलिखित **8** प्रस्तावों के संबंध में भी सलाह दी है:–

i. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नियम।

ii. दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पुलिस सेवा नियम।

iii. भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) सेवा नियम।

iv. भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) नियम।

v. रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम (आरबीएसएसएस)।

vi. भारतीय रेलवे सुरक्षा बल (आईआरपीएफ) सेवा नियम।

vii. भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा नियम।

viii. भारतीय पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा सेवा नियम।

3. वर्ष के दौरान, आयोग ने नव–सृजित पदों के 17 प्रस्तावों के संबंध में भर्ती की एक बारगी पद्धति के बारे में भी सलाह दी है।

4. पदों की संख्या, जिनके लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त और परामर्श दिए गए प्रस्तावों का वर्ष–वार विवरण **तालिका–1** तथा **आरेख–1** में दिया गया है:–

तालिका–1 : पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्यांकित भर्ती नियम प्रस्ताव

क्र.सं.	वर्ष	अग्रानीत	प्राप्त	कुल [(ii) + (iii)]	पद, जिन पर परामर्श दिया गया/ निपटान किया गया	अग्रेनीत
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1.	2016-17	0	615	615	608	7
2.	2017-18	7	611	618	595	23
3.	2018-19	23	693	716	607	109
4.	2019-20	109	523	632	575	57
5.	2020-21	57	232	289	240	49

आरेख–1: पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्यांकित भर्ती नियम प्रस्ताव

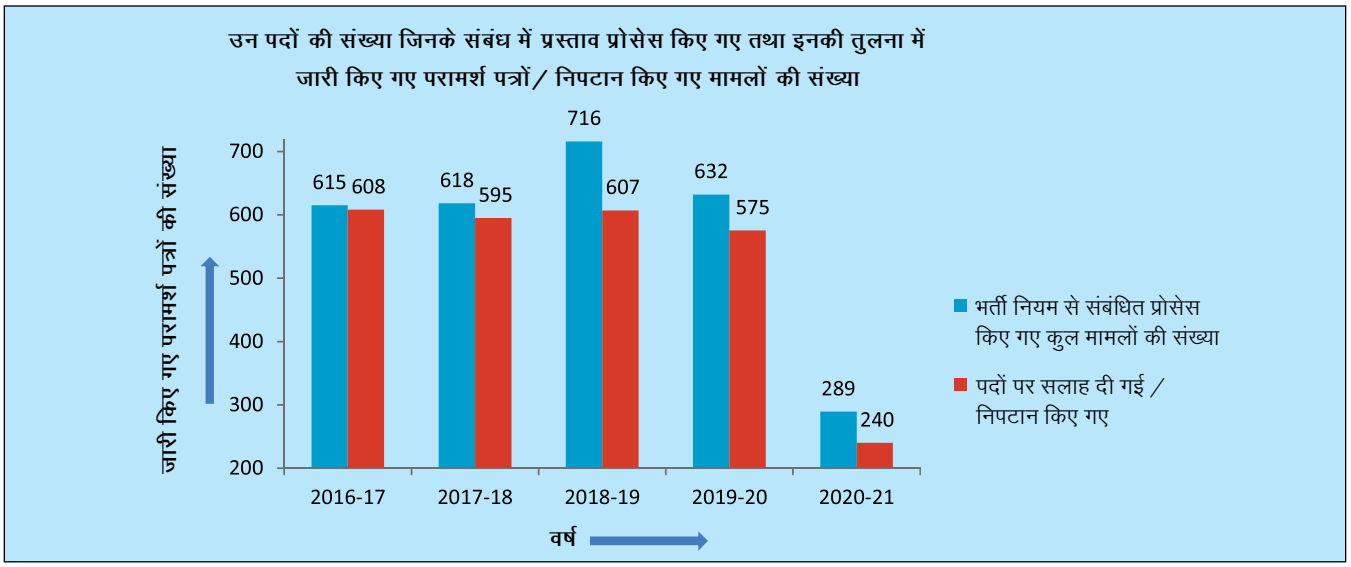

5. वर्ष 2020–21 के दौरान पदों की संख्या जिनके लिए सलाह दी गई/निपटान किया गया तथा जिन पदों के लिए प्रस्तावों को प्रोसेस किया गया, उनका प्रतिशत 83.04 रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 240 परामर्श–पत्र जारी किए गए।

एकल खिड़की प्रणाली:

6. भर्ती नियम निरूपण, संशोधन, मॉनीटरिंग प्रणाली (आरआरएफएएमएस)

भर्ती नियमों को बनाने/उसके संशोधन के लिए प्रस्तावों को जमा किए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक ऑन–लाईन प्रणाली अर्थात् भर्ती नियम निरूपण, संशोधन मॉनीटरिंग प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल विकसित किया है। इस प्रणाली को दिनांक 03.12. 2018 से संघ लोक सेवा आयोग के साथ जोड़ दिया गया है। आरआरएफएएमएस पोर्टल पर का. एवं. प्र. विभाग द्वारा अनुमोदित भर्ती नियम प्रस्तावों को आयोग में ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है।

ऐसे प्रस्तावों के संबंध में आयोग के परामर्श को भी संबंधित मंत्रालय/विभाग को भी ऑनलाइन भेजा जाता है। 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान 171 पदों के संबंध में भर्ती नियमों को बनाने/ संशोधन/एक बारगी पद्धति के प्रस्तावों पर आयोग का परामर्श ऑनलाइन जारी किया गया। सेवा नियमों और कुछ संघ शासित प्रदेशों आदि से संबंधित प्रस्ताव, सिंगल विंडो प्रणाली के तहत प्राप्त किए जाने जारी रखे गए हैं।

7. विभागों/मंत्रालयों/संघ शासित प्रदेशों के भर्ती नियमों में संशोधन/बनाए जाने से संबंधित प्रस्ताव जो अभी तक आरआरएफएएमएस पर नहीं हैं, वे अभी भी एकल खिड़की प्रणाली के तहत आयोग में प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार, सेवा नियमों के संशोधन/बनाए जाने को भी एकल खड़की में प्राप्त किया जा रहा है क्योंकि आरआरएफएएमएस में सेवा नियमों के प्रारूप को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह प्रणाली पूर्व–निर्धारित जांच–सूची के आधार पर संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच का प्रावधान करती है, जिससे जांच की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

7 अध्याय

पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां

राज्य सेवा अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सेवा अधिकारियों का अखिल भारतीय सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.)/भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.)/भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) में समावेशन भारत सरकार द्वारा बनाए गए पदोन्नति संबंधी विनियमों द्वारा शासित होता है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति, विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए चयन करती है। भारत सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने दिनांक 25 जुलाई, 2000 की अपनी अधिसूचना द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संबंधी पदोन्नति विनियमों में संशोधन किया है ताकि वर्ष–वार चयन सूचियां तैयार की जा सकें। तदनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन के लिए वर्ष 2019 की रिक्तियों के लिए चयन सूचियाँ तैयार की गईं। इसके अलावा, कुछ राज्यों के मामले में जहाँ पिछली रिक्तियाँ (बैकलाग) थीं, पिछले वर्षों की चयन सूचियाँ भी तैयार की गईं।

2. पिछले पांच वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन के लिए विभिन्न राज्यों के जिन अधिकारियों पर विचार किया गया और जिनकी अनुशंसा की गई, उनके तुलनात्मक आंकड़े **आरेख–1** में दिए गए हैं:

आरेख–1 : अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति (कुल)

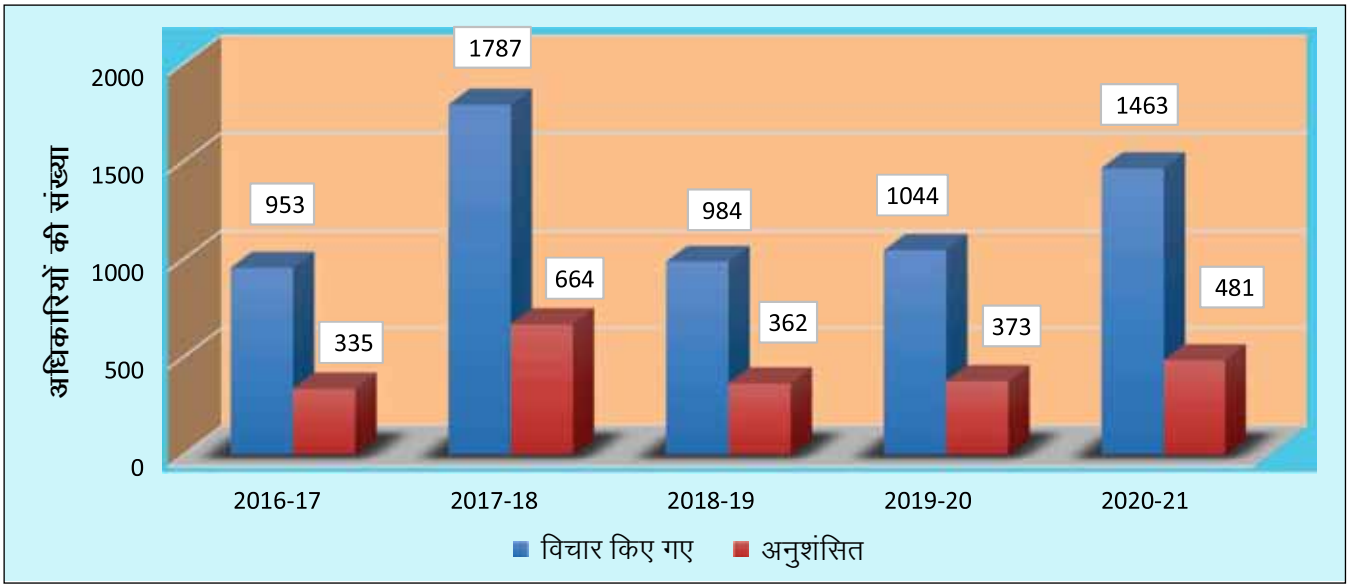

3. वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग ने विभिन्न राज्यों के 1463 अधिकारियों के नामों पर विचार किया, जिनमें से 481 अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन करने के लिए अनुशंसा की गई जबकि वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 1044 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था जिनमें से 373 अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन

करने के लिए **तालिका–1** में दर्शाए अनुसार अनुशंसा की गई थी।

तालिका–1 : अनुशंसित अधिकारियों की सेवा–वार संख्या

विवरण	2019–20	2020–21
भा.प्र.से. (राज्य सिविल सेवा से)	191	296
भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा से)	13	12
भा.पु.से.	70	130
भा.व.से.	99	43
कुल	**373**	**481**

4. पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन करने के लिए विभिन्न राज्यों के अधिकारियों पर विचार किया गया और जिनकी अनुशंसा की गई, उनके सेवा–वार तुलनात्मक आंकड़े **आरेख–2** में दिए गए हैं।

आरेख–2: विचार किए गए और अनुशंसित अधिकारियों की सेवावार संख्या

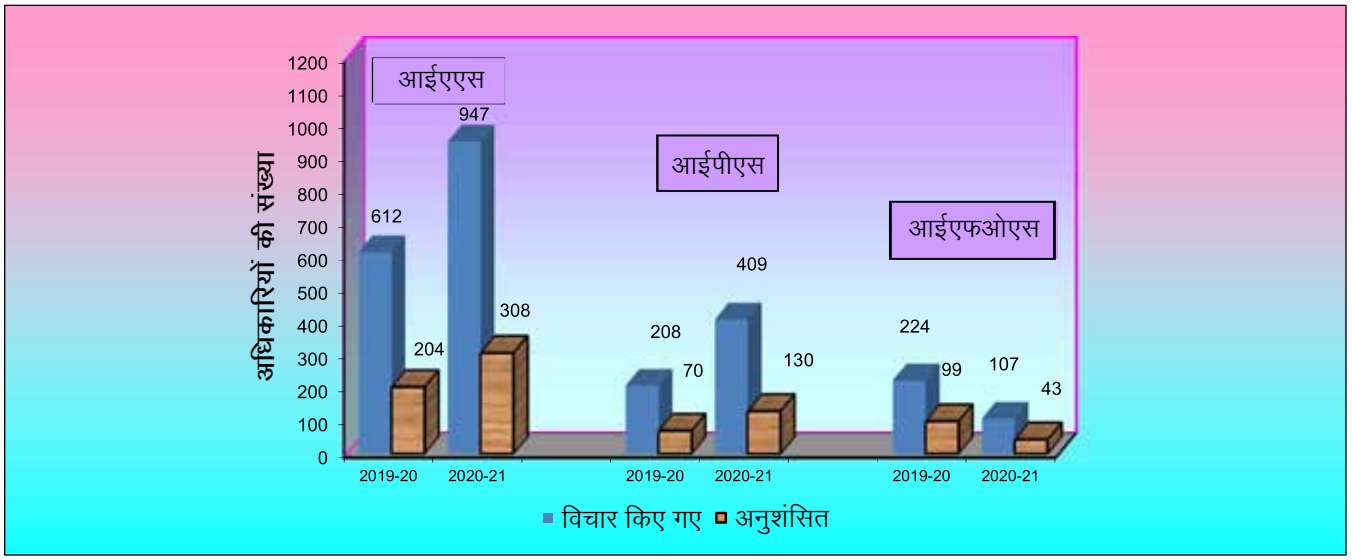

5. वर्ष 2020–21 के दौरान, 120 संवर्गों/उप–संवर्गों में से 41 के संबंध में वर्तमान चयन सूची अर्थात 2019 की चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की बैठकें (एससीएम) आयोजित की गईं। भारत सरकार द्वारा 21 संवर्गों/उप–संवर्गों में ''शून्य'' रिक्तियां निर्धारित की गईं। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट–19 में दी गई है। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 के दौरान शामिल संवर्गों/उप संवर्गों की कुल प्रतिशतता 52% रही। आयोग ने वर्ष 2020 के आरंभ से हीअखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन की प्रक्रिया के निर्धारण की गति बढ़ाने के भरसक प्रयास किए ताकि राज्य सेवा अधिकारियों की संबंधित अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठकें आयोजित करने में विलंब न हो। जनवरी माह में ही सभी राज्य सरकारों/संवर्गों और केन्द्रीय सरकार के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को पत्र लिखा गया था जिसमें मॉडल कैलेन्डर में सुझाई गई तारीखों के अनुसार रिक्तियों को निर्धारित करने और चयन समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था।

6. शेष संवर्गों/उप–संवर्गों के संबंध में, चयन सूचियां विभिन्न कारणों से तैयार नहीं की जा सकीं, यथा भारत सरकार द्वारा रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया जाना, वरिष्ठता संबंधी विवाद, पूर्व वर्षों की चयन–सूचियों को अंतिम रूप न दिया जाना और राज्य सरकारों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना, आदि। इस संबंध में विस्तृत जानकारी **आरेख–3** में दर्शाई गई है तथा **परिशिष्ट–22** में दी गई है।

आरेख–3 : वर्ष 2010–21 के दौरान चयन समिति की बैठकों का ब्यौरा

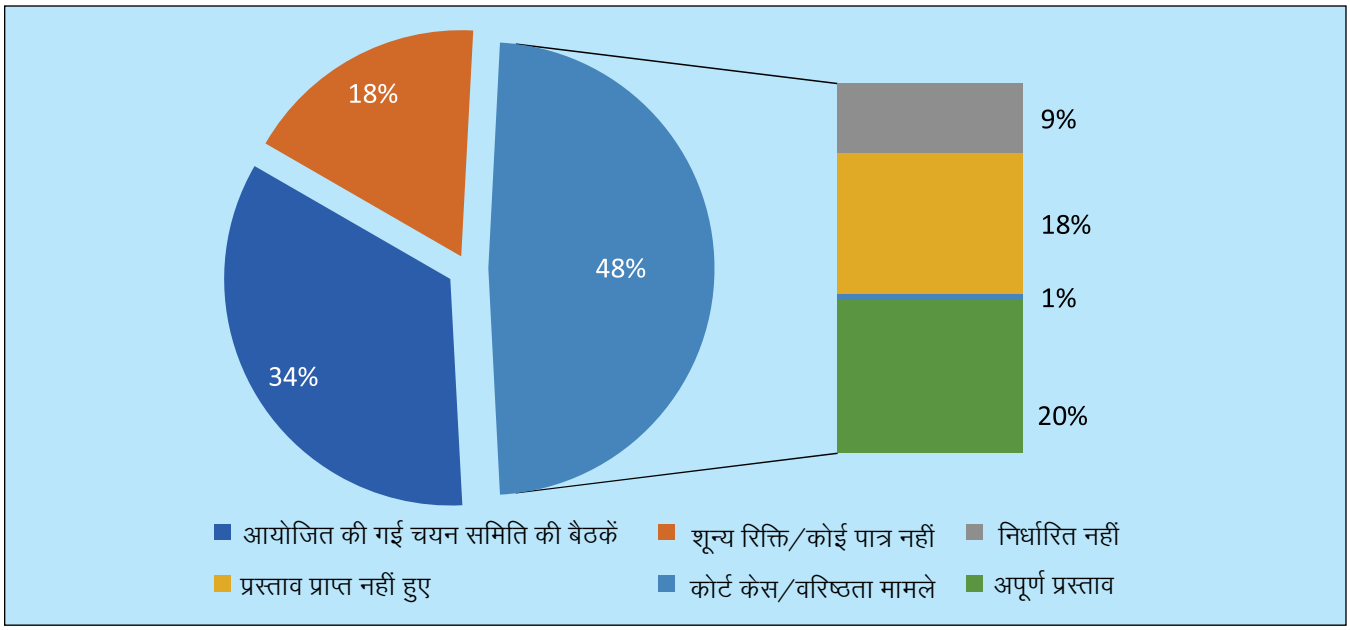

7. वर्ष 2020–21 के दौरान, चयन समिति की 35 बैठकों में 35 संवर्गों/उप संवर्गों की चयन सूचियां केवल वर्तमान वर्ष 2019 के लिए तैयार की गईं और चयन समिति की 06 अन्य बैठकों में 19 चयन सूचियाँ तैयार की गईं जिनमें वर्तमान वर्ष की 06 चयन सूचियाँ एवं पिछले वर्षों की 13 चयन सूचियां शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, चयन समिति की अन्य 12 बैठकों में, केवल पिछले वर्षों के लिए 30 चयन सूचियां तैयार की गईं। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 **(परिशिष्ट–20)** के दौरान चयन समिति की कुल 53 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 84 चयन सूचियां तैयार की गईं। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निदेशों के अनुसरण में, चयन समिति की 06 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 11 चयन सूचियों की समीक्षा की गई। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल 95 चयन सूचियां तैयार/समीक्षा की गई। इस संबंध में ब्यौरा **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

तालिका– 2: 2020–21के दौरान तैयार की गई चयन सूची

क्र. सं.	विवरण	चयन सूचियों की सं.
1.	केवल मौजूदा वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूची (चयन सूची 2019)	35
2.	पिछले वर्षों की चयन सूचियों सहित वर्तमान वर्ष के लिए भी तैयार की गई चयन सूची (चयन सूची 2019)	19
3.	केवल पिछले वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूची	30
4.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में समीक्षा बैठकों में पिछले वर्षों की चयन सूचियों की समीक्षा की गई **(परिशिष्ट–21)**	11
	कुल	**95**

राज्यों में पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति हेतु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पैनल में शामिल करना।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 310/1996 (प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के अपने आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निदेश दिया है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन राज्य सरकार द्वारा विभाग के उन तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाए, जिनका नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद (पुलिस बल प्रमुख) के लिए पैनल में शामिल किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अनुसार, आयोग को राज्यों में पुलिस महानिदेशक/ पुलिस बल प्रमुख के पद पर पदोन्नति के मामले में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त विशिष्ट आदेश के मद्देनज़र, पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने हेतु आयोग की सहायता के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को निदेश देने और इस प्रकार के पैनल में शामिल करने के तौर–तरीकों के संबंध में निदेश प्राप्त करने हेतु आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अंतर्वादीय आवेदन–पत्र (आई ए) दाखिल किया। आयोग द्वारा दायर अंतर्वादीय आवेदन–पत्र (आई ए) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित था।

9. इसी बीच, गृह मंत्रालय द्वारा 22.09.2006 के निर्णय में संशोधन के लिए दायर आई ए में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 03.07.2018 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि सभी राज्य दिनांक 22.09.2006 के निर्णय में दिए निदेशानुसार पैनल तैयार करने के लिए पुलिस महानिदेशक के पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम तीन माह पहले अर्थात समय रहते अपने प्रस्ताव भेजेंगे।

10. वर्ष 2020–21 के दौरान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड राज्य में पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु पैनलबद्ध (एम्पेनलमेंट) समिति की बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के विशिष्ट निर्देशानुसार, त्रिपुरा राज्य में पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) की नियुक्ति हेतु पूर्व में तैयार पैनल की समीक्षा हेतु पैनलबद्ध समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण करने के संबंध में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों अथवा स्थानांतरणों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारण के लिए आयोग से परामर्श करने का प्रावधान है।

12. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, आयोग केन्द्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों पर पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति [अल्पकालीन संविदा सहित (आई एस टी सी)]/ आमेलन से संबंधित कार्य करता है। अनुच्छेद 321 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित निकायों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं, जहां भी संगत अधिनियमों में इसके लिए प्रावधान है, में पदों पर पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन का कार्य भी करता है।

13. आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान, वर्ष 2019–20 में 6,771 अधिकारियों की तुलना में 4,804 अधिकारियों की पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन द्वारा उनकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा की। इस प्रक्रिया में, आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान 7,637 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों पर विचार किया जबकि वर्ष 2019–20 के दौरान 11,001 अधिकारियों के सेवा रिकार्डों पर विचार किया।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ आमेलन प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम)

14. पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के प्रस्तावों में प्रक्रियागत तेजी लाने के लिए, आयोग में 01 अगस्त, 2010 से एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई।

15. वर्ष 2020–21 के दौरान 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त/वापस किए गए प्रस्ताव तथा स्वीकृत किए गए मामलों में प्रोसेसिंग का चरणबद्ध ब्यौरा **तालिका–3** में दिया गया है:

तालिका–3: प्राप्त/ वापस किए गए प्रस्ताव तथा कार्रवाई का चरण

पदोन्नति मामले					
प्राप्त कुल मामले	**उसी समय संवीक्षा के पश्चात स्वीकृत/वापस किए गए**	**बैठक आयोजित/ परामर्श पत्र जारी किया गया/निपटाए गए**	**सदस्य नामित किए गए/ बैठक निर्धारित की गई**	**प्रतीक्षित जवाब/ दस्तावेज़**	**परीक्षण/ प्रस्तुतीकरण के अधीन**
583	42 8 (स्वीकार किए गए) 155 (वापस किए गए)	374 *	25	28	69
प्रतिनियुक्ति मामले					
प्राप्त कुल मामले	**उसी समय संवीक्षा के पश्चात स्वीकृत/वापस किए गए**	**बैठक आयोजित/ परामर्श पत्र जारी किया गया/निपटाए गए**	**सदस्य नामित / बैठक निर्धारित/ पात्रता अनुमोदित**	**प्रतीक्षित जवाब/ दस्तावेज़**	**परीक्षण/ प्रस्तुतीकरण के अधीन**
270	134 (स्वीकार किए गए) 136 (वापस किए गए)	84#	23	03	24

*गत वर्ष से अग्रानीत मामलों के सम्बन्ध में 68 बैठकें शामिल हैं।
#08 निष्फल मामले शामिल हैं, जहां कोई भी पात्र नहीं पाया गया।

केंद्रीय सेवाओं में पदोन्नतियां

16. वर्ष 2020–21 के दौरान, एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति (वि.प.स.) के कुल 428 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की गईं तथा 374 मामलों में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को परामर्श पत्र जारी किए गए, जिनमें 68 मामले पिछले वर्ष के थे। वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त हुए 25 मामलों के संबंध में, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की तारीख निर्धारित की गई या इन बैठकों की अध्यक्षता के लिए सदस्य नामित किए गए। 28 मामलों के संबंध में संबंधित मंत्रालय विभागों से कतिपय प्रश्नों के उत्तरों की प्रतीक्षा थी तथा शेष 69 मामलों में, 31 मार्च, 2021, तक विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की गई।

17. निपटान में लगने वाले 120 दिन सामान्य समय (एन टी डी) की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति के मामलों के निपटान में लगने वाला औसत समय 51 दिन था । पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोग द्वारा स्वीकार किए गए कमी वाले मामलों तथा विभागीय पदोन्नति समिति के प्रस्तावों के निपटान में लगने वाले समय का विवरण **तालिका–4** में दिया गया है:

तालिका 4: कमी वाले प्रस्तावों तथा निपटान समय का ब्यौरा– डी पी सी मामले

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत उसी समय संवीक्षा के पश्चात् लौटाए गए उन प्रस्तावों की संख्या जिनमें कमियां पाई गई थीं (कमी वाले प्रस्तावों का %)	स्वीकार किए गए प्रस्तावों की संख्या	निपटान में लगने वाले 120 दिन के सामान्य समय की तुलना में स्वीकृत प्रस्तावों के निपटान में लगने वाला औसत समय
वर्ष 2016–17			
604	124 (20%)	480	38 दिन
वर्ष 2017–18			
531	131 (25%)	400	45 दिन
वर्ष 2018–19			
675	138 (20%)	537	44 दिन
वर्ष 2019–20			
652	137 (21%)	515	48 दिन
वर्ष 2020–21			
583	155 (27%)	428[$]	51 दिन[#]

[$]और [#]में महामारी का प्रभाव शामिल है।

18. आयोग ने वर्ष 2020–21 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की 374 बैठकों में 4,670 अधिकारियों की अनुशंसा की, जबकि वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की 486 बैठकों में 6,641 अधिकारियों की अनुशंसा की गई।

19. वर्ष 2020–21 के दौरान पदोन्नति के लिए जिन 4,670 अधिकारियों की अनुशंसा की गई, अनुशंसित अधिकारियों में से 441 अधिकारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे तथा उनके लिए 680 रिक्तियां आरक्षित थी। पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण शेष 239 आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी की अनुशंसा नहीं की जा सकी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल 407 अधिकारियों को अनारक्षित रिक्तियों के लिए समूह 'ख' से समूह 'क' में पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया। ऐसे मामलों का मंत्रालय/ विभाग–वार ब्यौरा **परिशिष्ट–24** में दिया गया है।

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन

20. वर्ष 2020–21 के दौरान, एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के कुल 134 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। चयन समिति की बैठकें/चयन समिति की बैठकें (पीटी) आयोजित की गई तथा 76 मामलों में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को परामर्श पत्र जारी किए गए तथा 08 मामले विभिन्न कारणों से निष्फल हो गए। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त 23 मामलों में, चयन समिति की बैठकों की तारीख निर्धारित की गई अथवा सदस्य नामित किए गए। 03 मामलों में संबंधित मंत्रालयों / विभागों से कतिपय प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा थी तथा शेष 24 मामले 31 मार्च, 2021 तक कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर थे।

21. वर्ष 2020–21 के दौरान प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के लिए स्वीकार किए गए प्रस्तावों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय, निपटान के लिए निर्धारित 180 दिन के सामान्य समय की तुलना में 97 दिन था। पिछले पांच

वर्षों के दौरान आयोग द्वारा स्वीकार किए गए कमी वाले प्रस्तावों तथा प्रस्तावों के निपटान में लगे समय का विवरण नीचे **तालिका–5** में दिया गया है:

तालिका –5: प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन मामलों में कमियों वाले प्रस्तावों तथा निपटान समय का विवरण

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत उसी समय संवीक्षा के पश्चात् लौटाए गए उन प्रस्तावों की संख्या जिनमें कमियां पाई गई थी (कमी वाले प्रस्तावों का %)	स्वीकार किए गए प्रस्तावों की संख्या	निपटान में लगने वाले 180 दिन के सामान्य समय की तुलना में स्वीकृत प्रस्तावों के निपटान में लगा औसत समय
वर्ष 2016–17			
302	108 (36%)	194	66 दिन
वर्ष 2017–18			
268	90 (34%)	178	77 दिन
वर्ष 2018–19			
295	116 (39%)	179	117 दिन
वर्ष 2019–20			
276	98 (36%)	178	95 दिन
वर्ष 2020–21			
270	136(50%)	134	97 दिन

22. आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के लिए चयन समिति/ चयन समिति (पीटी) की आयोजित की गईं 76 बैठकों में 134 अधिकारियों की अनुशंसा की। जबकि वर्ष 2019–20 के दौरान चयन समिति/चयन समिति (पी टी) की 107 बैठकों में 130 अधिकारियों की अनुशंसा की गई।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचित तदर्थ नियुक्तियां

23. सरकार द्वारा ग्रुप 'क' और 'ख' के विभिन्न पदों पर सरकार द्वारा की गई ऐसी सभी नियुक्तियों को तदर्थ माना जाता है, जहां नियुक्तियां/ पदोन्नतियां आयोग द्वारा की जानी हों। सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा मासिक तथा अर्ध–वार्षिक विवरणियों में इनके बारे में आयोग को सूचना भेजना अपेक्षित होता है। तथापि, वर्ष 2020–21 के दौरान 58 मंत्रालयों/ विभागों तथा संघ शासित क्षेत्रों से मासिक/अर्ध–वार्षिक विवरणियां प्राप्त नहीं हुईं जिनका ब्यौरा परिशिष्ट–23 में दिया गया है।

24. वर्ष 2020–21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्रों सहित 02 मंत्रालयों/विभागों ने नई तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के बारे में सूचित किया है।उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार 48 तदर्थ नियुक्ति की गई हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान, 04 मंत्रालयों/ विभागों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी रिपोर्टें भेजी हैं, जिनके अनुसार कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई है।

25. वर्ष 2020–21 के अंत तक, मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी कोई नई तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के बारे में सूचित नहीं किया है जिनसे संबंधित मामले एक वर्ष से अधिक अवधि तक चल रहे थे।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय के निर्णयों/आदेशों को कार्यान्वित करना।

26. आयोग, संबद्ध मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संघ शासित प्रदेशों से सम्बन्धित विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति/आमेलन से सम्बन्धित ऐसे प्रस्तावों का

परीक्षण और उन पर कार्रवाई करता है, जिनमें भर्ती नियमों के अनुरूप आयोग का परामर्श आवश्यक है।

27. तदनुसार, ऐसे पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की बैठकें/चयन समिति की बैठकें (पी टी) आयोग में आयोजित की जाती हैं। अधिकारियों/ उम्मीदवारों से संबंधित आयोग की अनुशंसा को संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संघ शासित प्रदेशों को भेज दिया जाता है और ऐसी अनुशंसाओं को नियुक्ति करने वाले प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाना होता है। आयोग परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करता है तथा पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए पैनल की अनुशंसा करता है। पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय के किसी निदेश के कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य तौर पर संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन/ संघ शासित प्रदेश का होता है।

8
अध्याय

अनुशासनिक मामले

1. संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) में प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग से भारत सरकार या राज्य सरकार (अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में) के अधीन एक नागरिक की हैसियत से सेवारत किसी कर्मचारी को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों तथा ऐसे मामलों से संबंधित अभ्यावेदनों या याचिकाओं पर परामर्श लिया जाएगा। आयोग से परामर्श, संगत पेंशन नियम जहां राष्ट्रपति किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन रोकने अथवा निकासी का प्रस्ताव करते हैं, के अंतर्गत भी अपेक्षित है। तदनुसार अनुशासनिक मामले मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारों द्वारा परामर्श हेतु आयोग को प्रेषित किए जाते हैं।

2. संघ लोक सेवा आयोग में अनुशासनिक मामलों के त्वरित निपटान एवं परिहार्य विलम्ब को कम करने हेतु सितम्बर, 2010 में पांच मंत्रालयों को शामिल करते हुए एकल खिड़की प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। धीरे–धीरे इस प्रणाली में सभी मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया। 01 जनवरी, 2013 से सभी राज्य सरकारों को भी एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत लाया जा चुका है। मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों तक पहुँच को आसान बनाने तथा अनुशासनात्मक मामलों की प्रस्तुति के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के तहत ई–अपाइंटमेंट की शुरूआत की गई थी जो 20 नवंबर, 2018 से प्रचालन में है। इस प्रकार लिए गए अपाइंटमेंट के अनुसार प्राप्त होने वाले मामलों की संवीक्षा जांच–सूची के अनुरुप प्रारम्भिक तौर पर जांच एकल खिड़की पर की जाती है। सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को ही आगे के परीक्षण तथा परामर्श हेतु आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है।

3. वर्ष 2020–21के दौरान एकल खिड़की (सिंगल विंडो) पर 633 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 485 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया और 148 प्रस्तावों को दस्तावेजों में कमियों के कारण वापस कर दिया गया। इन 485 स्वीकृत प्रस्तावों में से, 5 प्रस्ताव सामान्य कार्यवाही के थे, जिसके प्रत्येक प्रस्ताव में दो आरोपित अधिकारी के मामले थे। अतः एकल खिड़की पर कुल 490 अनुशासनात्मक मामलों को स्वीकार किया गया। इसके अलावा, 12 मामले सीधे डाक के माध्यम से प्राप्त हुए। इस प्रकार आयोग में कुल 502 मामले प्राप्त हुए।

4. पिछले छह वर्षों तथा वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा प्राप्त किए गए तथा कार्यवाही किए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या को नीचे **तालिका–1** में दर्शाया गया है।

तालिका –1

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में अग्रानीत मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए परामर्श पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान वापस किए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष बचे मामलों की संख्या
2014-15	178	538	463	104	149
2015-16	149	546	492	91	112
2016-17	112	487	431	49	119
2017-18	119	582	372	66	263
2018-19	263	595	493	63	302
2019-20	302	578	447	47	386
2020-21	386	502	433	54	401

5. वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग को 502 अनुशासनिक मामले परामर्श हेतु प्राप्त हुए। पिछले वर्ष अर्थात 2019–20 से अग्रानीत 386 मामले जो कि 01 अप्रैल, 2020 को आयोग के पास लंबित थे, सहित वर्ष के दौरान आयोग के पास कुल 888 मामले थे। इन कुल 888 मामलों में से 433 मामलों में आयोग द्वारा परामर्श दिया गया तथा प्रक्रियागत कमियों के कारण 54 मामले लौटा दिए गए। वर्ष के अंत में 401 मामले शेष बचे रहे।

6. तालिका–1 से देखा जा सकता है कि प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा नहीं करने और अपूर्ण दस्तावेजीकरण के कारण, वापस किए गए मामलों की संख्या में कमी होने का रूझान है जो 2014–15 में 104 से घटकर 2020–21 में 54 रह गई है। इस प्रवृति का श्रेय एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) प्रारम्भ करने को जाता है। वर्ष 2010–11 से पहले मामले डाक द्वारा प्राप्त होते थे तथा उनमें कई दस्तावेज़ीय तथा प्रक्रियागत कमियां होती थीं और आयोग बहुत से मामलों को परामर्श दिए बिना ही सरकार को लौटा देता था। एकल खिड़की प्रणाली के लागू होने के परिणामस्वरूप प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय दस्तावेज़ीय तथा प्रक्रियागत अपेक्षाओं का संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा व्यापक अनुपालन किया जा रहा है जिससे कार्यवाही में लगने वाले आनुपातिक समय में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटान हो जाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का निपटान करते समय प्रक्रिया से जुड़े रहने के महत्व के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने और आयोग को मामले प्रस्तुत करते समय जांच सूची को सटीक तौर पर भरने की आवश्यकता पर आयोग द्वारा 2018 और 2019 में कार्यशालाओं की व्यवस्था से दस्तावेजी और प्रक्रियात्मक कमियों के कारण लौटाए गए मामलों की संख्या को कम करने में भी सहायता मिली है।

7. कदाचार, आरोपित अधिकारियों का वर्ग–वार ब्यौरा और आयोग के परामर्श का विवरण **परिशिष्ट–28** की तालिका में दर्शाया गया है । इस परिशिष्ट में उन मामलों की संख्या को भी दर्शाया गया है, जिन्हें दस्तावेजीय/प्रक्रियागत कमियों के कारण संबंधित मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों को वापस किया गया है।

8. उन 433 मामलों के संबंध में मंत्रालय/ विभाग तथा राज्य सरकार–वार विवरण, जिनमें आयोग ने परामर्श दिया, **परिशिष्ट–29** में दिया गया है।

9. 313 मामलों में आरोप सत्यनिष्ठा के संदेहास्पद होने से संबंधित थे । इनमें से आयोग ने 262 मामलों में दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने, 31 मामलों में लघु शास्ति अधिरोपित करने तथा 20 मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित न करने का परामर्श दिया। कर्त्तव्यनिष्ठा के अभाव से सम्बंधित मामलों सहित कदाचार की अन्य श्रेणियों के 120 मामले थे। इन मामलों में आयोग ने 64 मामलों में दीर्घ शास्ति, 47 मामलों में लघु शास्ति अधिरोपित करने और 09 मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करने का परामर्श दिया।

10. वर्ष 2020–21 की शुरूआत में आयोग द्वारा जारी पिछले वर्षों के कुल 521 परामर्श पत्रों में, मंत्रालयों/ विभागों एवं राज्य सरकारों के अंतिम आदेशों की प्रतीक्षा थी। वर्ष 2020–21 के दौरान, इन लंबित आदेशों के संबंध में अनुस्मारक जारी किए गए। इसके बाद, 328 मामलों में आदेश प्राप्त हुए। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किए गए 433 परामर्श पत्रों में से 209 मामलों में आदेश प्राप्त हुए। इस प्रकार, आयोग को वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 537 आदेश प्राप्त हुए।

11. इन 537 मामलों में से, कुल 533 मामलों में सरकार द्वारा जारी आदेश आयोग के परामर्श के अनुसार थे। चार मामलों में जहां वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान जिन चार मामलों में आयोग का परामर्श जारी किया गया था, इन मामलों में सरकार से वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं पाए गए। इन मामलों का विवरण **अध्याय–9** में दिया गया है।

9 अध्याय

अनुशासनिक मामलों में सरकार द्वारा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया जाना

ऐसे 4 मामले, जिनमें सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग द्वारा जारी परामर्श के अनुरूप नहीं थे, नीचे दिए गए हैं :–

(I)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग में सांख्यिकीय सहायक के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम–14 के अंतर्गत कार्रवाई जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अंतर्गत जारी रखा गया

गृह मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2018 में तत्कालीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिक्री कर विभाग (अब व्यापार एवं कर विभाग) में सांख्यिकीय सहायक के विरूद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही पर आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. आरोपित अधिकारी के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत 5 अगस्त, 2011 को दीर्घ शास्ति हेतु निम्नलिखित आरोप लगाते हुए आरोप पत्र जारी किया गया था :

> *आरोपित अधिकारी ने तत्कालीन बिक्री कर विभाग (अब व्यापार एवं कर विभाग) में सांख्यिकीय सहायक, वार्ड सं. 96 के रूप में कार्य करते हुए अपनी तैनाती की संगत अवधि के दौरान घोर कदाचार किया जिसमें उसने एक रिश्वत देने वाले से जो उसके कार्यालय में उनसे अपना पक्ष/एहसान लेने के लिए आया था, उनसे अवैध परितोषण प्राप्त किया। प्रस्ताव और उसकी स्वीकार्यता का लेन–देन एक न्यूज चैनल द्वारा गुप्त रूप से विडियोग्राफ किया गया और उसे प्रसारित भी किया गया जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के बिक्री कर विभाग की छवि कलंकित हुई।*
>
> *इस प्रकार, आरोपित अधिकारी द्वारा जानबूझकर किए गए ऊपर उल्लिखित कृत्य के द्वारा सत्यनिष्ठा बनाए रखने, कर्त्तव्य के प्रति समर्पण भावना बनाए रखने में वह असफल रहे हैं और एक सरकारी सेवक के रूप में अशोभनीय कार्य किया है और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम–3 का उल्लंघन किया है।*

3. आरोपित अधिकारी ने आरोप से मना किया और अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले को मौखिक जांच के लिए भेज दिया। इसी बीच, आरोपित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 सितम्बर, 2011 को सेवानिवृत्त हो गए और लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम– 9 के अन्तर्गत जारी रही। जांच अधिकारी ने आरोप सिद्ध पाया और अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी को इसके विरूद्ध अपना अभ्यावेदन देने के लिए भेज दी। आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस मामले को आरोपित अधिकारी पर पेंशन में कटौती अधिरोपित करने के अपने अनन्तिम निर्णय के साथ सितम्बर, 2018 में आयोग के परामर्श हेतु भेज दिया।

4. आयोग द्वारा इस मामले का गहन विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि आरोपित अधिकारी पर यह आरोप था कि बिक्री कर विभाग (अब व्यापार एवं कर विभाग) में सांख्यिकीय सहायक वार्ड सं. 96 के रूप में कार्य करते हुए, संगत अवधि के दौरान, एक रिश्वत देने वाले व्यक्ति से जो उनके कार्यालय में आया था और उनसे अपने लिए कुछ अनुगृह चाहता था, से प्रस्तावित अवैध परितोषण स्वीकार किया। प्रस्तावित एवं स्वीकार्यता सम्बंधी लेन–देन गोपनीय रूप से एक न्यूज चैनल द्वारा वीडियोग्राफ और रिकार्ड किया गया और उसका प्रसारण भी किया गया जिससे बिक्री कर विभाग की छवि कलंकित हुई। जिन दो सी डी में स्टिंग आपरेशन रिकार्ड किया गया था उन्हें न्यूज चैनल के रिपोर्टरों द्वारा पुलिस सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अलग से दो अतिरिक्त प्रतियां बनाकर उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को दिया गया। उक्त दो सीडी में आरोपित अधिकारी द्वारा रिश्वत की धनराशि की कथित स्वीकार्यता की वीडियो रिकार्डिंग/दृश्य सामग्री थी। एसीबी द्वारा प्रदान की गई सीडी में विभाग के अधिकारियों ने आरोपित अधिकारी की पहचान कर ली। हालांकि, रिश्वत देने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई।

4.1 आयोग ने यह पाया कि सिद्ध आरोपों के बारे में आरोपित अधिकारी के तर्क इस प्रकार थे कि (i) विभागीय जांच में उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप को जांच अधिकारी ने सिद्ध किया है; जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सिद्ध नहीं किया है और उनका निष्कर्ष प्रमाण के द्वारा समर्थित नहीं है। (ii) सीडी असली नहीं थी और उनकी प्रामाणिकता स्थापित नहीं हुई। (iii) सी डी बनाने वाला जांच में नहीं आया और अभियोजन गवाहों के बयान केवल सीडी पर आधारित थे। (iv) आवाज क्लिप की कोई जांच नहीं की गई, इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सी डी में आवाज उसकी ही है। (v) कथित रिश्वत देने वाले को कोई भी गवाह नहीं पहचान पाया और क्या यह धनराशि वही थी जो दी जा रही थी और किस तरफदारी के लिए। अवैध परितोषण की मांग और स्वीकार्यता के बारे में चूंकि कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है इसलिए अवैध परितोषण की मांग और स्वीकार्यता के बारे में उसके विरूद्ध कोई आपराधिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

4.2 जहां तक आरोपित अधिकारी के उपर्युक्त तर्कों का संबंध है, आयोग ने यह पाया कि यद्यपि रिश्वत की मांग/स्वीकार्यता को स्थापित करने के लिए आरोप को निर्णायक रूप से सिद्ध करने हेतु पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं थे, फिर भी वीडियो रिकार्डिंग के रूप में प्रमाण वास्तव में उपलब्ध थे जिसमें आरोपित अधिकारी को अपने कार्यालय में किसी व्यक्ति से धनराशि स्वीकार करते हुए और उसे अपने कब्जे में रखते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया और जांच के दौरान जिन प्रदर्शों पर विश्वास किया गया/प्रस्तुत किए गए वे मूल रूप से प्रश्नगत स्टिंग ऑपरेशन पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा आरोपित अधिकारी की पहचान की गई और किसी भी गवाह ने जांच के दौरान या उससे पहले किसी दबाव या निदेश का खुलासा नहीं किया आरोपित अधिकारी की इस दलील कि रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकार्यता को संदेह से परे स्थापित किया जाना अपेक्षित था, आयोग ने इस संबंध में यह पाया कि यह एक स्थापित सिद्धान्त है कि आपराधिक कार्यवाही में अपेक्षित साक्ष्य के मानदण्ड, विभागीय कार्यवाही के साक्ष्य संबंधी मानदण्डों से काफी अलग होते हैं, और विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य का अपेक्षित मानदण्ड संभावना की प्रबलता होती है। सभी दस्तावेज़ी / मौखिक और परिस्थितिजन्य प्रमाण स्पष्ट रूप से आरोपित अधिकारी के विरूद्ध संभावना की प्रबलता के आधार पर आरोप व्यक्त एवं स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, जांच रिपोर्ट और रिकार्ड यह प्रदर्शित करते हैं कि आरोपित अधिकारी को अपने बचाव के लिए पूरा अवसर दिया गया किन्तु वह अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए मात्र तकनीकी पहलुओं की आड़ ले रहे थे।

4.3 आयोग ने यह पाया कि यह मामला एक न्यूज चैनल के द्वारा किए गए स्टिंग ऑरेशन से उत्पन्न हुआ जिसने एक छिपे हुए कैमरे के माध्यम से इस मामले की घटनाओं को केवल रिकार्ड किया। तथापि, सीडी की रिकार्डिंग से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो गया कि आरोपित अधिकारी ने रिश्वत देने वाले से धनराशि ली और काम हो जाएगा का विश्वास दिलाते हुए धनराशि को अपनी जेब में रख लिया। इस बात की बहुत हद तक संभावना थी कि धनराशि किसी सरकारी तरफदारी करने/फायदा पहुंचाने की दृष्टि से ली गई हो जैसा कि आरोप ज्ञापन में अभिकथित किया गया

है। सतर्कता खंड के अधिकारियों द्वारा सीडी में आरोपित अधिकारी की पहचान भी कर ली गई। हालांकि जिस प्रयोजन के लिए रिश्वत की मांग/रिश्वत स्वीकार की गई, वह प्रयोजन सुलभ नहीं हो पाया जिससे आरोप निर्णयक रूप से स्थापित हो सके किन्तु तथ्यों, परिस्थितियों और दस्तावेज़ी / मौखिक साक्ष्यों से यह स्थापित हो गया कि सीडी में किसी अज्ञात व्यक्ति से अवैध परितोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं बल्कि आरोपित अधिकारी ही है। सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपित अधिकारी के विरूद्ध गए और संभावना की प्रबलता के सिद्धान्त के आधार पर आयोग ने आरोप को सिद्ध पाया।

4.4 आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध सिद्ध आरोप गम्भीर कदाचार के अन्तर्गत आते हैं और इसलिए आरोपित अधिकारी को अन्यथा देय मासिक पेंशन का 20% (बीस प्रतिशत) तीन वर्ष की अवधि के लिए रोकने की शास्ति उन पर अधिरोपित की जाए। आयोग का परामर्श अनुशासनिक प्राधिकारी को 11 जून, 2019 को प्रेषित कर दिया गया।

4.5. गृह मंत्रालय ने इस मामले में आरोपित अधिकारी पर 100% मासिक पेंशन रोकने और 100% ग्रेच्युटी सदैव के लिए रोकने की शास्ति अधिरोपित करते हुए 25 फरवरी, 2020 को अन्तिम आदेश जारी कर दिए। यह आयोग के परामर्श से असहमति स्वरूप था। इस आदेश से यह पाया गया कि अनुशासनिक प्राधिकारी के अनुसार आरोपित अधिकारी के विरूद्ध आरोप संभावना की प्रबलता के आधार पर सिद्ध किया गया था और आयोग भी इससे सहमत था, हालांकि, आयोग द्वारा संस्तुत शास्ति का परिमाण हल्का था जबकि अवैध परितोषण स्वीकार करने का आरोप गम्भीर प्रकृति का था जिसके लिए अधिकतम दण्ड दिया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अनुशासनिक प्राधिकारी की असहमति सहित आयोग के परामर्श की एक प्रति आरोपित अधिकारी को प्रदान की गई और उसके अभ्यावेदन पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया किन्तु उसमें कोई मेरिट नहीं पाई गई। इसके उपरान्त, अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग के साथ असहमति के समाधान के लिए इस मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 39023/02/2006 स्था. (ख) दिनांक 5 सितम्बर, 2006 (2 मार्च, 2016 को पुनः परिचालित) की शर्तों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संदर्भित कर दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी के मत से सहमति व्यक्त की और प्रशासनिक मंत्रालय ने आरोपित अधिकारी की पूरी पेंशन और पूरी ग्रेच्युटी स्थायी रूप से रोकने की शास्ति अधिरोपित करते हुए, आयोग से असहमति स्वरूप 25 फरवरी, 2020 को अन्तिम आदेश जारी कर दिए।

6. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुसार नहीं थे इसलिए इस मामले को आयोग के परामर्श को नहीं माने जाने के रूप में माना गया है।

(II)

वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय में एक सहायक प्रवर्तन अधिकारी (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम–14 के अंतर्गत कार्रवाई जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम–9 के अंतर्गत जारी रखा गया :

वित्त मंत्रालय द्वारा राजस्व विभाग के एक सहायक प्रवर्तन अधिकारी (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही पर आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. आरोपित अधिकारी के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम–14 के अंतर्गत आरोप की निम्नलिखित मदों में 11 मई, 2015 को दीर्घ शास्ति आरोप पत्र जारी किया गया :

यह कि आरोपित अधिकारी जब प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली जोनल कार्यालय में तैनात थे तब वे करोल बाग, नई दिल्ली की एक कम्पनी द्वारा विदेशी विनियम नियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के बारे में एक मामले से संबंधित जांच अधिकारी थे। उन्होंने उस मामले में 17 अप्रैल,1998 से 11 जून,1999 तक जांच आयोजित की थी। यह मामला बकाया निर्यात प्राप्ति से संबंधित था। आरोपित अधिकारी कम्पनी के मालिकों से कार्यालय परिसर से बाहर कार्यालय समय के बाद

और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचना दिए मिल रहा था।

आरोपित अधिकारी ने कंपनी के स्वामी से अवैध परितोषण की मांग की और उसे स्वीकार किया। कंपनी के स्वामी ने 3 जुलाई, 2000 और 17 जुलाई, 2000 को लिखित शिकायत करने के उपरान्त 21 जुलाई, 2000 को निदेशालय को एक विडियो कैसेट प्रस्तुत की। कैसेट की विषयवस्तु ने आरोपित अधिकारी की बहुत बुरी छवि प्रस्तुत की अर्थात् अवैध परितोषण प्राप्त करने के उपरान्त अत्यधिक अशिष्ट और कम्प्रोमाइजिंग पोजिशन में प्रस्तुति दर्शाई। शिकायत की विषय सामग्री ने भी अवैध परितोषण की मांग दर्शाई।

इस प्रकार, आरोपित अधिकारी ने सत्यनिष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता की कमी प्रदर्शित की है और अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में ऐसा काम किया है जो एक सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता है और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (i) (ii) और (iii) का उल्लंघन किया है।

3. आरोपित अधिकारी द्वारा आरोपों से मना करने के परिणामस्वरूप, इस मामले को विभागीय जांच के लिए भेजा गया। इसी बीच, आरोपित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 दिसम्बर, 2017 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए और अनुशासनिक कार्यवाही केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम–9 के अन्तर्गत जारी रही। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप 'सिद्ध नहीं' अभिनिर्धारित किए। असहमति ज्ञापन के साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी को उनके अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के लिए भेजी गई। आरोपित अधिकारी ने जांच रिपोर्ट/असहमति ज्ञापन पर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने अन्य संगत रिकार्ड के साथ आरोपित अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार किया और इस अनन्तिम निर्णय पर पहुंचे कि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध लगाए गए सिद्ध आरोप और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं, आरोपित अधिकारी पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित किए जाने की जरूरत है। इसके उपरान्त इस मामले को नवम्बर, 2019 में आयोग के परामर्श के लिए भेज दिया गया।

4. इस मामले का विस्तृत विश्लेषण करने पर आयोग ने पाया कि आरोप का प्रथम तत्व यह था कि आरोपित अधिकारी शिकायतकर्ता से कार्यालय समय के बाद और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बिना बताए मिलता था। इस संबंध में आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि वह शिकायतकर्ता से एक या दो बार करोल बाग के आसपास खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मिला था। आरोपित अधिकारी ने विशेष रूप से कहा है कि वह शिकायतकर्ता से अपने आप मिला था जिसमें उसने शिकायतकर्ता को एकत्रित की जाने वाली जानकारी की प्रकृति के बारे में बताया था। वीडियो रिकार्डिंग में आरोपित अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ दिखाई पड़ रहा है और आरोपित अधिकारी ने भी बैठक से मना नहीं किया है। आरोपित अधिकारी ने गवाहों में से एक, जो तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी था, के बचाव पर भरोसा जताया है जिसने यह कहा था कि चूंकि शिकायतकर्ता ने यह दर्शाया था कि उसके पास कुछ सूचना है और इस संबंध में वह आरोपित अधिकारी से मिलना चाहता है और तदनुसार आरोपित अधिकारी शिकायतकर्ता से मिला था। आरोपित अधिकारी का यह कहना इस कारण से भरोसे लायक नहीं है कि आरोपित अधिकारी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह शिकायतकर्ता से अपनी तरफ से स्वयं मिला (खुफिया जानकारी जुटाने के लिए)। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह भी पाया कि आरोपित अधिकारी चूंकि आसूचना अनुभाग में तैनात नहीं किया गया था इसीलिए उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने का काम नहीं सौंपा गया था। इस प्रकार आरोपित अधिकारी के पास शिकायतकर्ता से कार्यालय परिसर के बाहर किसी और स्थान पर और कार्यालय समय के बाद मिलने का कोई वैध कारण नहीं था। इन प्रेक्षणों के आलोक में आयोग ने आरोप के इस घटक को सिद्ध पाया।

4.1 आरोप का दूसरा घटक यह था कि आरोपित अधिकारी ने अवैध परितोषण की मांग की और उसे स्वीकार किया। आयोग ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उसे परेशान किया

जा रहा है और आरोपित अधिकारी द्वारा धनराशि का भुगतान करने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोपित अधिकारी पर यह भी आरोप लगाया कि उसने इस बात की धमकी दी है कि यदि उसकी मांग नहीं मानी गई तो उसे गिरफ्तार करवा लिया जाएगा। आरोपित अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया था कि वह शिकायतकर्ता से अक्तूबर/नवम्बर, 1999 के दौरान एक या दो बार मिला था।

4.2 आयोग ने यह पाया कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोप के इस घटक का आकलन वीडियो प्रमाण के आधार पर स्थापित किया है। हालांकि, यदि आरोपित अधिकारी का कथित रूप से शिकायतकर्ता के मित्र से करेंसी नोट जैसे लगने वाले नोट प्राप्त करते हुए विडियो/फोटोग्राफिक प्रमाण थे तो भी यह इस बात की और आगे जांच किए बिना रिश्वत की मांग करने का अपने आप में परिणामिक आधार नहीं बन सकता था। यहां तक की सामान्य परीक्षण में भी आरोपित अधिकारी से धनराशि/रिश्वत स्वीकार करने संबंधी कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया।

4.3 इन परिस्थितियों में आयोग ने यह पाया कि इस आरोप के इस घटक को संभावना की प्रबलता के आधार पर भी स्थापित करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। आयोग ने इस घटक को सिद्ध नहीं पाया।

4.4 आरोप का तीसरा घटक यह है कि वीडियो रिकार्डिंग में आरोपित अधिकारी को एक महिला के साथ कंप्रोमाइजिंग स्थिति में देखा गया। आयोग ने यह पाया कि आरोपित अधिकारी ने अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि वह शिकायकर्ता से एक या दो बार अक्तूबर/नवम्बर, 1999 के दौरान शाम 7.00 या 7.30 बजे के बाद खुफिया जानकारी जुटाने के लिए करोलबाग के आस पास मिला था। विडियो रिकार्डिंग देखने के बाद आरोपित अधिकारी ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया था कि रिकार्डिंग में एक व्यक्ति शिकायतकर्ता और दूसरा व्यक्ति शिकायतकर्ता का मित्र लगता है। आरोपित अधिकारी ने विडियो में तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा कि यह उसकी बनावट जैसा लगता है। आरोपित अधिकारी ने अपने बयान में किसी भी बिन्दु पर मना नहीं किया है कि वीडियो में रिकार्ड की गई घटना में वह शामिल नहीं है। जांच के दौरान आरोपित अधिकारी ने यह सुझाव दिया कि उन्हें उक्त बयान देने के लिए, हो सकता है कि उन पर दबाब डाला गया हो किन्तु यह विश्वास किए जाने योग्य नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अचानक हुई कोई बात जिम्मेदार हो जिसमें आरोपी अधिकारी ने दबाब में कोई बयान दिया हो। बयान आरोपित अधिकारी के निलंबन के उपरान्त ली गई उनकी अपनी स्वीकारोक्ति थी और इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि उसने यह विश्वास किया हो कि वीडियो में उसके जैसी लगने वाली बनावट से अभियोजन पक्ष के सिवाय किसी और को काई फायदा पहुंचता हो। आरोपित अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कभी भी यह दावा नहीं किया कि बयान देने के लिए उस पर किसी ने दबाव डाला था।

4.5 आयोग ने यह पाया कि हालांकि सी एफ एस एल रिपोर्ट में केवल विडियो प्रमाण की अखंडता सत्यापित की गई थी और आरोपित अधिकारी की उपस्थिति प्रमाणित नहीं की गई थी, यह तो आरोपित अधिकारी का अपना बयान था जिसने संभावना की प्रबलता उत्पन्न की कि वीडियोटेप में रिकार्ड की गई घटना में वह संलिप्त था। आयोग ने आरोप के इस घटक को संभावना की प्रबलता के आधार पर सिद्ध माना।

4.6 अपने विश्लेषण के आलोक में आयोग ने यह पाया कि आरोपित अधिकारी पर लगाए गए आरोप के तीन में से दो घटक आरोपित अधिकारी के विरूद्ध सिद्ध हो गए और आरोपित अधिकारी पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने और कर्त्तव्य परायणता की भावना प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं और उन्होंने ऐसा आचरण प्रदर्शित किया है जो एक सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता है और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 (1) (i) (ii) और (iii) का उल्लंघन किया है।

4.7 आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में न्याय तब होगा यदि आरोपित अधिकारी को अन्यथा देय मासिक पेंशन का 50% स्थायी आधार पर और उनको देय ग्रेच्युटी का 50% स्थायी आधार पर रोकने की शास्ति आरोपित अधिकारी पर अधिरोपित की जाए। उक्त शास्ति अधिरोपित करने संबंधी आयोग का परामर्श अनुशासनिक प्राधिकारी को 3 जनवरी, 2020 को संसूचित कर दिया गया था।

5. वित्त मंत्रालय ने पेंशन को पूरी तरह बन्द करने एवं 100% ग्रेच्युटी रोकने संबंधी शास्ति आरोपित अधिकारी पर अधिरोपित करते हुए अन्तिम आदेश 7 सितम्बर, 2020 को जारी कर दिए। यह आदेश आयोग द्वारा दिए गए परामर्श की असहमति स्वरूप था। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए असहमति के कारण निम्नलिखित अनुसार उद्धृत किए गए हैं :

"इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि आरोप सिद्ध हैं। इस तथ्य पर कोई असहमति नहीं है। एक बार जब यह निष्कर्ष निकल जाता है कि इतनी गम्भीर प्रकृति के किसी अपराध के आरोप सिद्ध अभिनिर्धारित किए जाने के पर्याप्त सबूत हैं तो इसके लिए सख्त दण्ड दिया जाना अपेक्षित है। इसके लिए किसी भी कार्यरत अधिकारी के लिए बर्खास्तगी से कम की सजा अधिरोपित नहीं की जाती, क्योंकि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त अधिकारी का सेवा में बने रहना लोक हित और उस संगठन के भी खिलाफ होता। ऐसे मामले में सरकारी सेवक किसी भी पेंशन संबंधी हितलाभ के लिए पात्र नहीं होता। इसलिए, सत्यनिष्ठा एवं आचरण के मानकों को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के हित में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आंशिक रूप से भिन्न निर्णय लिया है और आरोपित अधिकारी की पेंशन को पूरी तरह बन्द करने और 100% ग्रेच्युटी रोकने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।"

6. आदेश में यह कहा गया था कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आरोपित अधिकारी पर ऊपर कथित शास्ति अधिरोपित करने के विभाग के निर्णय से सहमत था।

7. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं था, अतः इसे आयोग की सलाह न माने जाने के मामले के रूप में माना गया है।

(III)

मध्य प्रदेश सरकार में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–10 के अन्तर्गत कार्रवाई

भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी जो मध्य प्रदेश के जिला उमरिया में कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में तैनात थे, के विरूद्ध शुरू की गई लघु शास्ति कार्यवाही पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–10 के अंतर्गत सेवा के सदस्य को 13 जुलाई, 2012 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे निम्नलिखित आरोपों पर अपने बचाव की व्याख्या करने के लिए कहा गया:–

यह अभिकथित है कि क्लेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में अपनी तैनाती के दौरान उमरिया जिले के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) में 4 जुलाई, 2009 से 11 दिसम्बर, 2010 तक, सेवा के सदस्य द्वारा नरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों में निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं बरती गईं :

(I) ग्राम पंचायतों को कार्यों का 50% वितरण नहीं किया जाना :

जिला पंचायत, उमरिया द्वारा वर्ष 2009–2010 एवं 2010–2011 में ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत किए गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:

रूपये करोड़ में

वर्ष	जिले में उपलब्ध कुल धनराशि	ग्राम पंचायतों को स्वीकृत धनराशि	ग्राम पंचायतों को स्वीकृत किए गए कार्य की प्रतिशतता
2009-2010	160.89	55.88	34%
2010–2011 (29.11.2010 तक)	6642.309	2432.69	36.6%

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, उमरिया के रूप में तैनाती के दौरान उन्होंने वर्ष 2009–2010 और 2010–2011 के दौरान ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 50% कार्य स्वीकृत न करके और लाईन विभागों को 66% कार्य स्वीकृत करके जो किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए था, नरेगा की धारा 16(5) और मनरेगा प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2006 के **अनुच्छेद 3.3.7** एवं **5.2.1** का उल्लंघन किया है। यह न केवल नरेगा का उल्लंघन किया है बल्कि 73 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य के भी विरूद्ध है।

नरेगा, 2005 की धारा 23(1) के अनुसार, जिला कार्यक्रम समन्वयक स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ, निपटान के अधीन निधियों के समुचित उपयोग एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार, वह नरेगा, 2005 की धारा 16(5), 23(1) एवं मनरेगा प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2006 के सुनियोजित रूप में घोर उल्लंघन के जिम्मेदार हैं।

(II) श्रम एवं सामग्री का 60:40 का अनुपात नहीं बनाए रखना:

नरेगा, 2005 की धारा 4(3) के अन्तर्गत **अनुसूची–I** के बिन्दु –9 के अनुसार, ''कुशल एवं अर्द्धकुशल कर्मियों के मेहनताने सहित सामग्री आयोजक की लागत परियोजना की कुल लागत के 40% से अधिक नहीं होगी।'' मनरेगा प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2006 के अनुच्छेद 5.4.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार, स्कीम के अन्तर्गत कार्यों संबंधी मजदूरी और सामग्री का न्यूनतम अनुपात 60:40 के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2009–2010 और 2010–2011 से अपनी तैनाती के दौरान उनके द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों के बारे में नरेगा के प्रावधानों के अन्तर्गत मजदूरी एवं सामग्री का नियत 60:40 के अनुपात का अनुपालन नहीं किया। इस तरीके से उन्होंने नरेगा, 2005 की धारा 4(3) के अन्तर्गत **अनुसूची–I** के बिन्दु–9 में निहित प्रावधानों और मनरेगा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बिन्दु 5.4.1 का उल्लंघन किया है।

(III) नियमों के विरूद्ध, सक्षम निर्माण एजेंसी को चयनित नहीं किया जाना:

मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के दिनांक 16.09.2014 के पत्र सं. डी–6/3/04/14–3 के अनुसार, 40 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की तालाब से सिंचाई के बारे में काम (लागत 5.00 लाख रूपये) कृषि विभाग से संबंधित विभागीय कार्य हेतु लिए सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को सौंपा जा सकता है। निर्धारित सीमा से ज्यादा कार्य सौंपे जाने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। म. प्र. निर्माण विभाग मैनुअल की धारा 24 के खंड 2.16 के अनुसार केवल रू. 25000/– तक की लागत के कार्य अन्य विभागों से करवाए जा सकते हैं।

मनरेगा, 2005 प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बिन्दु 5.2.3(1) के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी को तकनीकी विशेज्ञता, कार्यकुशलता, संसाधन, विश्वसनीयता, समय सीमा के भीतर काम करने की एजेंसी की योग्यता, एजेंसी के द्वारा किए गए पिछले कार्य का रिकॉर्ड और लाभार्थियों को हुए समग्र लाभ को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 24 जनवरी, 2006 के पत्र सं. 157/4621/2005/3/1 के बिन्दु सं. 2 में यह उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समवन्यक को एजेंसी की कार्यकुशलता, विशेषज्ञता और उसके संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन एजेंसी का चयन किया जाना होता है। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब कभी भी उनके द्वारा किसी विभाग को कार्य का आबंटन किया जाता है तो उनके द्वारा इस संबंध में उस विभाग के अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा ताकि वह समय–समय पर उस कार्य की समीक्षा कर सकें और इस बात की जानकारी हो कि जिला स्तर से उनके विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं।

ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ों में निहित प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए, उन्होंने कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की हैसियत से, जानबूझकर सहायक भूमि संरक्षक अधिकारियों (बाढ़ उन्मूलन

योजना) को, नियमों के विरूद्ध जाकर चूंकि उनमें अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता की कमी थी, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया और उन्हें कार्य स्वीकृत किए। इस प्रकार से, नरेगा के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर लाईन विभाग के रूप में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों को कार्य स्वीकृत किए गए और कृषि उप निदेशक जो उक्त स्वीकृतियों के बारे में कृषि विभाग का जिला अध्यक्ष होता है, को सूचित करने से स्वयं को जानबूझकर अलग रखा गया और उक्त स्वीकृति आदेश की प्रति विभागाध्यक्ष को नहीं भेजी गई। इसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों में घोर अनियमितताएं बरती गई और लाईन विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का विधिवत पर्यवेक्षण जिला स्तर एवं वरिष्ठ स्तर से सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार से उन्होंने मनरेगा, 2005 के उक्त प्रावधानों का योजना के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक की हैसियत से घोर उल्लंघन किया और वह इसके लिए जिम्मेदार थे।

(IV) स्कीम के अंतर्गत किए गए कार्यकमों की निगरानी और पर्यवेक्षण में कमी:

जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख नरेगा, 2005 की धारा 14(3) में किया गया है जिसमें कार्यक्रम अधिकारी द्वारा, डीपीसी द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा, निगरानी और उसका पर्यवेक्षण तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों का नियमित निरीक्षण शामिल है। नरेगा, 2005 की धारा 14(2) के अनुसार, अधिनियम एवं इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक उत्तरदायी ठहराया गया है और जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) के कत्तव्यों का उल्लेख धारा 14(3) में किया गया है। इस धारा के बिन्दु (ङ) के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा, निगरानी और उनका पर्यवेक्षण करेंगे और बिन्दु (च) के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) नरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। मनरेगा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बिन्दु 2.1.3 के अनुसार जिले का कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है और बिन्दु 2.1.4 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक को जिले में नरेगा स्कीम के सफल कार्यान्वयन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए और मनरेगा मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2006 के अनुच्छेद 2.2.3 (ख) के अंतर्गत समग्र समन्वय के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) को जिम्मेदार ठहराया गया है और बिन्दु 8.1.4 के अनुसार नरेगा स्कीम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं का वह पर्यवेक्षण करेगा।

2. जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) ने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया और कार्यान्यवन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं अनधिकृत खरीद और भुगतान तथा वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों का अनुसरण न करते हुए माप पुस्तिका का नियमानुसार अनुरक्षण न करने के कारण सरकार को वित्तीय हानि हुई है। इस कृत्य के कारण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम–3 का घोर उल्लंघन हुआ।

3. सेवा के सदस्य ने कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसके द्वारा उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से मना किया। अनुशासनिक प्राधिकारी उनके अभ्यावेदन तथा मामले के सम्पूर्ण रिकॉर्ड पर विचार करने के उपरान्त इस अनन्तिम निर्णय पर पहुंचे कि सेवा सदस्य पर लगाए गए सभी आरोप सिद्ध हैं और इस मामले में न्याय का यही तकाज़ा है कि उन पर उपयुक्त शास्ति अधिरोपित की जाए। आयोग के परामर्श के लिए इस मामले को दिसम्बर, 2016 में आयोग को भेजा गया।

4. आयोग ने इस मामले का विस्तृत विश्लेषण किया। जहां तक आरोप (ए) का संबंध है, आयोग ने यह पाया कि सेवा के सदस्य ने अपनी दलील के समर्थन में कुछ आंकड़े दिए थे कि उन्होंने ग्राम पंचायतों को 50% कार्य आबंटित की जाने की अपेक्षा का अनुपालन किया था। तथापि सेवा के

सदस्य अपनी दलीलों के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके। हालांकि, इसके साथ–साथ उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके द्वारा अनुमोदित कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को धनराशि की वास्तविक अवमुक्ति जिला पंचायत द्वारा की जानी थी और मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एमपीएसईजीसी) से प्राप्त अनुदेशों के कारण कुछ उलझन / भ्रांति थी कि पंचायतों के निर्वाचन के आलोक में यह आशंका थी कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ धनराशि का दुरूपयोग हो सकता था। सेवा के सदस्य ने आगे दलील दी कि उन्होंने उपलब्ध धनराशि के 125% तक की सीमा के कार्यों की स्वीकृति दी थी ताकि किस्त की प्राप्ति होने पर कार्य तत्काल शुरू किया जा सके और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की आवश्यकता से बचा जा सके।

4.1 आयोग ने यह पाया कि इस आरोप के सम्बंध में सेवा के सदस्य के तर्कों में कुछ विरोधाभास था क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने आंकड़े देकर निर्धारित अपेक्षा पूरी कर दी और इसके साथ–साथ दूसरी तरफ उन्होंने यह तर्क दिया कि ग्राम पंचायतों को धनराशि जिला पंचायत द्वारा अवमुक्त की जानी थी और जिला पंचायतों द्वारा निर्धारित अपेक्षा, उनके द्वारा पर्याप्त कार्य स्वीकृत किए जाने के बावजूद, पूरी नहीं की गई। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी अनुदेशों को भी उद्धृत किया कि ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के आलोक में यह भी एक कारण रहा कि वर्ष 2009–2010 के दौरान निर्धारित अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकी। आयोग ने यह पाया कि नरेगा, 2005 की धारा 23(1) के प्रावधानों के अनुसार, सेवा के सदस्य, जिला कार्यक्रम समन्वयक होने के नाते, स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निधियों के समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। इसके दृष्टिगत, सेवा के सदस्य की तरफ से इस आरोप के संबंध में पर्यवेक्षीय चूक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई और आयोग ने इस आरोप को सिद्ध माना।

4.2 आरोप (II) के संबंध में, आयोग ने यह पाया कि हालांकि मंजूर की जाने वाली स्कीमों के बारे में कार्यों की मजदूरी के लिए लागत 60% बनाए रखने की अपेक्षा निर्धारित की गई थी, फिर भी सेवा के सदस्य को जारी कारण बताओ नोटिस में आरोप के समर्थन में कार्यों का कोई विशिष्ट विवरण या मजदूरी के रूप में उपगत वास्तविक व्यय प्रदर्शित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सेवा के सदस्य ने यह दावा किया था कि हालांकि प्रत्येक स्कीम की अपेक्षा पूरी नहीं की गई किन्तु समग्र आधार पर इस अपेक्षा को पूरा किया गया। जिसके लिए संगत रिकॉर्ड उपलब्ध थे। हालांकि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह पाया कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मजदूरी के भुगतान के रूप में उपगत व्यय का केवल 39% था और न तो कोई अनुसमर्थक दस्तावेज़ कारण बताओ नोटिस में उद्धृत किया गया था और न ही मामले के रिकार्ड में उपलब्ध था। आयोग ने इस आरोप को सेवा के सदस्य के विरूद्ध साबित नहीं किया।

4.3 आरोप (पपप) अर्थात् नरेगा, 2005 के प्रावधानों के विरूद्ध लाईन विभाग के रूप में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों को कार्य स्वीकृत करके, सक्षम निर्माण एजेंसी का चयन न करने के संबंध में आयोग ने पाया कि मनरेगा, 2005 प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुच्छेद 5.2.3(प), मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के पत्र सं. डी–6/3/04/14–3 दिनांक 16.9.2014, मध्य प्रदेश निर्माण विभाग मैनुअल की धारा 24 के खंड 2.16 और पत्र सं. 157/4621/2005/3/1 दिनांक 24 जनवरी, 2006 के बिन्दु सं. 2, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करने के लिए उनके मानदन्ड एवं योग्यताओं को विनिर्दिष्ट करते हैं। आयोग ने यह पाया कि सेवा के सदस्य ने स्वयं यह स्वीकार किया कि नरेगा प्रचलनात्मक मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की एजेंसियों को काम सौंपने के लिए वित्तीय सीमा निर्धारित किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त उपलब्ध नहीं थे और यह उल्लेख करते हुए कि कार्य सरकारी विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर– सरकारी संगठनों आदि को सौंपा जा सकता है, केवल एक सक्षमकारी प्रावधान बनाया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, सेवा के सदस्य के लिए 16 सितम्बर, 2004, 24 जनवरी, 2006 के पत्रों और कारण बताओ नोटिस में संदर्भित विभागीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों और मध्य प्रदेश निर्माण मैनुअल का अनुपालन करना अनिवार्य था। हालांकि सेवा के सदस्य द्वारा यह तर्क देते हुए कि गुणवत्तापूर्ण कार्य किया गया और रोजगार सृजन जैसे उद्देश्यों को पूरा किया गया जैसी दलीलें देकर अपने कृत्यों को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया गया किन्तु यह तथ्य

बाकी रहता है कि सेवा के सदस्य द्वारा प्रदान किए गए कार्य विभागीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत नहीं आते और इसलिए चूक के लिए वह जिम्मेदार हैं। जहां तक इस आरोप का संबंध है कि संबंधित विभाग के अध्यक्ष अर्थात् कृषि उप निदेशक को इस बारे में सूचित नहीं किया गया कि सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों को कार्य सौंपा गया है, इस बारे में आयोग ने यह पाया कि विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना आवश्यक था जैसाकि पत्र सं. 157/4621/2005/3/I दिनांक 24 जनवरी, 2006 के बिन्दु संख्या –2 में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, आयोग द्वारा आरोप (III) को सिद्ध माना गया।

4.4 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों के समुचित पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने संबंधी आरोप–(IV) के बारे में, आयोग ने यह पाया कि नरेगा, 2005 की धारा 14(2), मनरेगा मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2006 के अनुच्छेद–2.2.3 (ख) आदि जिले में स्कीम के सफल कार्यान्वयन के लिए और अधिनियम तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, समग्र समन्वय कार्य के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं। आयोग ने यह पाया कि हालांकि यह अभिकथित किया गया है कि सेवा के सदस्य ने जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पर्यवेक्षक अधिकारी के नाते अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं किया किन्तु कार्यों के निष्पादन में बरती गई अनियमितताओं का विशिष्ट विवरण और किस सीमा तक वित्तीय हानि हुई इसका उल्लेख सेवा के सदस्य को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में नहीं किया गया। इस मामले में प्राप्त एक शिकायत के प्रति राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में नोटिस की गई कमियों के आधार पर मूल रूप से आरोप लगाए गए और अनुशासानिक प्राधिकारी ने यह पाया कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई अनियमितताओं और अनधिकृत खरीद आदि के कारण सरकार को वित्तीय हानि हुई। सेवा के सदस्य के निवेदनों से यह स्पष्ट है कि आवधिक निरीक्षण किए गए और इन तर्कों से अनुशासनिक अधिकारी ने रूपष्ट रूप से मना नहीं किया। इस प्रकार, सेवा के सदस्य के विरूद्ध इस आरोप को आयोग ने सिद्ध नहीं माना।

4.5 अपने प्रेक्षणों में आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया कि सेवा के सदस्य पर लगाए गए आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुए और यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में न्याय तभी होगा, यदि सेवा के सदस्य पर ''बिना संचयी प्रभाव के 15 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए वेतनवृद्धियां रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की जाए''। आयोग का परामर्श 30 जून, 2017 को अनुशासनिक प्राधिकारी/राज्य सरकार को भेज दिया गया।

5. इस मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी ने 30 नवम्बर, 2019 को अन्तिम आदेश जारी कर दिया जिसके द्वारा सेवा के सदस्य को आयोग के परामर्श की असहमति स्वरूप प्रशासनिक चेतावनी दी गई। आदेश से यह पाया गया कि अनुशासनिक प्राधिकारी के अनुसार, सेवा के सदस्य द्वारा की गई अनियमितताएं / त्रुटियां प्रक्रियात्मक प्रकृति की थी और ऐसा कोई विशिष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं था जो यह साबित कर सके कि सेवा के सदस्य ने उक्त प्रक्रियात्मक चूकें स्वयं को जानबूझकर या किसी विशिष्ट व्यक्ति को इरादतन लाभ पहुंचाने की दृष्टि से की थी। अनुशासनिक प्राधिकारी ने और आगे यह भी पाया कि जब जिला पंचायत के कार्यकारी अधिकारी के विरूद्ध विरचित इसी प्रकार के आरोपों पर कार्यवाही की गई तो उस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति नहीं लगाई गई बल्कि उनको भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी गई। जैसाकि आदेश से यह पाया गया कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने वर्तमान मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमति स्वरूप प्रस्ताव के रूप में भेजा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की और इसके परिणामस्वरूप, अनुशासनिक प्राधिकारी ने 30 मार्च, 2019 को सेवा के सदस्य को प्रशासनिक चेतावनी देते हुए अन्तिम आदेश जारी कर दिया।

5.2 इस संबंध में यह भी पाया गया कि अनुशासनिक प्राधिकारी की कार्रवाई सेवा के सदस्य को जारी की गई प्रशासनिक चेतावनी संबंधी कार्रवाई, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 6(3) के अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय से भिन्न है। भारत सरकार के उक्त निर्णय में यह प्रावधान किया गया है कि

> ''अनुशासनिक कार्यवाही के समापन पर जहां यह विचार किया जाता है कि संबंधित अधिकारी पर कुछ

ऐसा आरोप है जिसके ऐसे तथ्य के लिए संज्ञान लिया जाना आवश्यक है तो अनुशासनिक प्राधिकारी को मान्यताप्राप्त सांविधिक शास्तियों में से किसी एक को दिया जाना चाहिए और यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का इरादा निंदा की शास्ति भी देने का नहीं है तो कोई भी रिकार्ड की जाने वाली चेतावनी या भर्त्सना नहीं दी/की जानी चाहिए।''

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार के निर्णय की, उक्त अननुपालना आयोग द्वारा नोट की गई है।

6. चूंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसे आयोग के परामर्श को स्वीकार नहीं करने के मामले के रूप में माना गया है।

(IV)

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में एक सीमा शुल्क अधीक्षक के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत कार्रवाई जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अंतर्गत जारी रखा गया

वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में एक अधीक्षक (निवारक) के विरूद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही पर मई, 2018 में आयोग का परामर्श मांगा गया।

2. आरोपित अधिकारी के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति आरोप पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2015 के द्वारा आरोप की निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की गई:

(I) आरोपित अधिकारी ने सीमा शुल्क अधीक्षक (निर्यात) के रूप में सितम्बर, 2010 माह में सीएफएस, द्रोणागिरी शेड नं. 3 में कार्य करते हुए तीन निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए ''भारतीय ऊनी कालीन की हाथ से बंधी गांठों संबंधी माल / कार्गो की गलत घोषित मात्रा के निर्यात की जानबूझकर अनुमति दी जिसके द्वारा ऊपर उल्लिखित तीन निर्यातक उससे ज्यादा धन वापसी (ड्रा बैक) प्राप्त कर सके जितने के लिए वे अपेक्षाकृत पात्र थे। राजस्व–आसूचना निदेशालय (डी आर आई) से प्राप्त प्रामाणिक रिकार्ड की जांच करने और राजस्व–आसूचना निदेशालय (डी आर आई) द्वारा खींचे/तैयार किए गए तीनों पंचनामें सभी दिनांक 27.6.2011 से ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए सभी बारह शीपिंग बिलों की घोषित मात्रा का कुल योग 22,345.00 वर्ग फीट ''भारतीय ऊनी कालीनों की हाथ से बंधी गांठों'' की तुलना में फिर से की गई जांच में वास्तविक मात्रा 77,563.363 वर्ग फीट पाई गई। तत्कालीन निवारक अधिकारी {अब अधीक्षक (निवारक)} द्वारा उल्लिखित बारह शीपिंग बिल जिनकी विधिवत जांच की गई और निर्यात की अनुमति दी गई के प्रति निर्यातकों द्वारा किए गए अस्वीकार्य धनावापसी के दावे के कारण रू. 20,82,654.00 की राजस्व हानि हुई। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेज प्रणाली से डाऊनलोड की गई जांच रिपोर्ट के स्क्रीनशाट पर प्रदर्शित निवारक अधिकारी की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि ऊपर संदर्भित बारह शीपिंग बिलों के अन्तर्गत प्रेषित माल (कंसाइनमेंट) की जांच के दौरान क्रमशः 18.09.2010 और 22.09.2010 को आरोपित अधिकारी, सहायक आयुक्त के साथ थे। शीपिंग बिल दिनांक 20.09.2010 के अनुबंध 'ग' की उल्टी तरफ प्रदर्शित लिखित अभ्युक्ति के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.09.2010 को आरोपित अधिकारी ने शीपिंग बिल, दिनांक 20.09.2010 की कंसाइमेंट के बारे में निवारक अधिकारी द्वारा खींचे गए प्रतिनिधि नमूना (रिप्रजेंटेटिव सैंपल) को देखा था। इसके अतिरिक्त, निवारक अधिकारी ने राजस्व–आसूचना निदेशालय (डी आर आई) और साथ ही सतर्कता जांच के दौरान उनके समक्ष दिए गए अपने बयानों में, अन्य बातों के साथ–साथ, कहा कि उसके द्वारा दिनांक 18.09.2010 तथा इसके साथ–साथ, 22.09.2010 को की गई जांच के दौरान आरोपित

अधिकारी और सीमा शुल्क सहायक आयुक्त उपस्थित थे। केवल दो संभावनाएं हैं, एक तो यह कि निर्यात माल की जांच के पूरे समय के दौरान वह उपस्थित थे और उन्होंने गलत घोषणा नोटिस की हो और फिर भी सिस्टम में गलत जांच रिपोर्ट प्रविष्ट करने की निवारक अधिकारी को अनुमति प्रदान करने की हो या माल की बिल्कुल भी जांच न की हो। दूसरी संभावना को नकारा नहीं जा रहा है क्योंकि निवारक अधिकारी और आरोपित अधिकारी ने अपने–अपने बयानों में स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने सहायक आयुक्त की उपस्थिति में कार्गों की जांच की है। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि आरोपित अधिकारी ने जानबूझकर और विचारपूर्वक निवारक अधिकारी को गलत रिपोर्ट देने की अनुमति प्रदान की और इस प्रकार धोखाधड़ी को आसान बनाया। इसके अतिरिक्त, आरोपित अधिकारी कर्त्तव्यपरायणता की भावना बनाए रखने और सरकारी कार्यों के निष्पादन में अपने सर्वोत्तम विवेक से कार्य करने में असफल रहे और इस प्रकार सीसीए (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(ii) और नियम 3(2) (ii) का उन्होंने उल्लंघन किया है और यहां तक कि उन्होंने जानबूझकर स्थायी आदेश सं. 7275/96 दिनांक 18.12.1996 में निहित अनुदेशों की भी अनदेखी की है। इन परिस्थितियों में आरोपित अधिकारी जिनको तीन निर्यातकों के निर्यात कार्गों का पर्यवेक्षण, संवीक्षा और जांच का कार्य सुपुर्द था, जिनमें प्रत्येक शीपिंग बिल में शुल्क वापसी दावा 1.0 लाख रूपये से अधिक था और निवारक अधिकारी के लिए यह अपेक्षित था कि वह निर्यात कंसाइंमेंट की जांच स्थायी आदेश सं. 54/2008 दिनांक 19.12.2008 के अनुसार करते जो कि इसके अनुच्छेद 2.1 के अनुसार उनके लिए यह अपेक्षित था कि वे शीपिंग बिल में घोषित पैकेजों की कुल सं. में से 10% की भौतिक रूप से जांच करते, जो इस तथ्य के बावजूद कि आरोपित अधिकारी भी वहां मौजूद थे, निवारक अधिकारी ने नहीं किया। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित अधिकारी ने दावे की ''भारतीय ऊनी कालीन की हाथ से बंधी गांठों'' की 22,345.00 वर्ग फीट की वास्तविक मात्रा के बजाय गलत घोषित 77,563.363 वर्ग फीट मात्रा की जानबूझकर निर्यातकों को उच्च शुल्क वापसी की अनुमति प्रदान की जिसके कारण 20,82,654.00 रूपये की राजस्व हानि हुई। इस प्रकार, आरोपित अधिकारी सम्पूर्ण निष्ठा और कर्त्तव्यपरायणता की भावना बनाए रखने में असफल रहे और ऐसा कृत्य किया जो किसी सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता और वे अपने शासकीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में सर्वोतम विवेक से कार्य करने में असफल रहे और इस प्रकार उन्होंने सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i)(ii)(iii) एवं 3(2)(ii) का उल्लंघन किया है।

(II) आरोपित अधिकारी एक पर्यवेक्षीय पद धारण करते हुए तत्समय अपने नियंत्रणाधीन और प्राधिकार के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता की भावना सुनिश्चित करने संबंधी सभी संभावित कदम उठाने और अपने अधीनस्थ अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण एवं उनका मार्गदर्शन करने और निवारक अधिकारी से उनका कर्त्तव्य निर्वहन लगन एवं ईमानदारी से कराने में असफल रहे। सहायक आयुक्त के बयानों के अनुसार निवारक अधिकारी, आरोपित अधिकारी 18.09.2010 और 22.09.2010 को निर्यातकों के निर्यात कार्गों की जांच के दौरान द्रोणागिरी शेड़ संख्या 3 पर उपस्थिति थे, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि मात्रा एवं गुणवत्ता के लिए आरोपित अधिकारी के पर्यवेक्षण में कंसाइनमेंटों की जांच की गई, इसके अतिरिक्त राजस्व–आसूचना निदेशालय से प्राप्त प्रामाणिक दस्तावेज़ों से यह पाया गया कि शिपिंग बिल दिनांक 20.09.2010 से सम्बद्ध अनुबंध–ग की उल्टी तरफ आरोपित अधिकारी ने कुछ अभ्युक्ति की थी। इस प्रकार राजस्व–आसूचना निदेशालय, एम जैड यू से प्राप्त प्रामाणिक रिकार्डों की जांच करने और डी आई आर द्वारा तैयार किए गए तीन पंचनामें, सभी दिनांक 27.06.2011 की जांच करने से प्रतीत होता है कि ''भारतीय ऊनी कालीनों की हाथ से बंधी गांठों की 22,345.00 वर्ग फीट की वास्तविक मात्रा के बजाय 77,563.363

वर्ग फीट की गलत घोषित कुल मात्रा के जिनकी आरोपित अधिकारी के पर्यवेक्षण में विधिवत रूप से जांच की गई और उपर्युक्त बारह शीपिंग बिल जिनके निर्यात की अनुमति प्रदान की गई, के कारण निर्यातकों के अस्वीकार्य शुल्क वापसी दावे की वजह से 20,82,654.00 रूपए की राजस्व हानि हुई''।

उपर्युक्त निर्यात कार्गों के सभी बारह शीपिंग बिलों की 18.09.2010 और 22.09.2010 को जांच के दौरान वहां उपस्थित रहने के बावजूद और यह भली–भांति जानते हुए कि कालीनों की निवारक अधिकारी द्वारा की गई जांच एवं नाप संबंधित शीपिंग बिलों की पैकिंग सूची पर उल्लिखित नाप के अनुसार बिल्कुल नहीं है, आरोपित अधिकारी ने निवारक अधिकारी को गलत रिपोर्ट देने की अनुमति दी और लैट एक्सपोर्ट आर्डर (एल ई ओ) देकर ऊपर लिखित सभी शीपिंग बिलों के लिए निर्यात करने की अनुमति प्रदान की और निवारक अधिकारी को तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट प्रविष्ट करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप गलत घोषणा करना आसान हुआ।

इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यवेक्षीय पद धारण करते हुए आरोपित अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन एवं प्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी सेवकों में सत्यनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति समर्पण की भावना तत्समय बनाए रखने के लिए सभी संभावित कदम उठाना सुनिश्चित करने में असफल रहे और इस प्रकार उन्होंने सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम–3(2)(i) का उल्लंघन किया।

3. आरोपित अधिकारी ने उन पर लगे आरोपों से मना किया और अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस मामले को मौखिक जांच के लिए भेज दिया। इसी बीच, आरोपित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 मई, 2015 को सेवानिवृत्त हो गए और अनुशासनिक कार्यवाही सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम–9 के अंतर्गत जारी रही। जांच अधिकारी ने आरोपों की दोनों मदों को सिद्ध नहीं ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच निष्कर्ष से सहमत नहीं हुए और आरोपों की दोनों मदों को सिद्ध ठहराया। असहमति ज्ञापन सहित जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी को उनके अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के लिए भेजी गई। आरोपित अधिकारी के निवेदनों पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के उपरान्त, इस मामले को मई, 2018 को आयोग के परामर्श के लिए भेजा गया।

4. इस मामले का विस्तृत विश्लेषण करने पर आरोप की मद सं. 1 के बारे में आयोग ने पाया कि 12 शीपिंग बिलों (एसबी) के अवलोकन से पता चलता है कि ''हाथ से बंधे भारतीय ऊनी कालीनों की गांठों '' को द्रोणागिरी, न्हावा शेवा से सितम्बर, 2010 में रोटर्डम, नीदरलैंड (एक गैर संवेदनशील पोर्ट या अन्य पोर्ट) कार्गों के निर्यात के लिए फर्मों के शुल्क वापसी के दावे किए गए और आरोपित अधिकारी ने शीपिंग बिलों और दिए गए एलईटी द्वारा निर्यात की अनुमति दी गई। आयोग ने नोट किया कि 12 शीपिंग बिल (एसबी) विषयक कंटेनरों में कालीन को गोल बंडलों में भरा गया था। पंचनामों के अनुसार 12 शीपिंग बिलों की वास्तविक मात्रा 22,345 वर्ग फीट की तुलना में घोषित मात्रा का कुल योग 77,563 वर्ग फीट था। जबकि माल का घोषित कुल मूल्य 2,81,29,633/– रूपये था, किन्तु माल की जांच करने पर वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर मूल्य घटकर 81,15,304/– रूपये रह गया। इन सामानों/माल पर किया गया शुल्क वापसी का दावा 37,59,124/– रूपये था। सभी तीनों पंचनामों के द्वारा भी माल के विवरण, मात्रा और मूल्य की गलत घोषणा का प्रकटन हुआ। निर्यातकों पर भी शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। हालांकि यह पाया गया कि सरकार को अस्वीकार्य शुल्क वापसी के कारण 20,82,654/– रूपये की हानि के बारे में आरोपित अधिकारी ने कोई विवाद नहीं उठाया।

4.1 आयोग ने यह भी नोट किया कि रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य यह उजागर करते हैं कि कंटेनर सीलबंद स्थिति में लाए गए थे और सील नम्बर पूरे थे जिस तथ्य का पंचों ने यह कहते हुए समर्थन किया कि कंटेनरों को राजस्व–आसूचना निदेशालय द्वारा काटा गया था और उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि कंटेनर में एक बार माल भरकर उसे सीलबंद कर दिया जाए तो माल को उप–विभाजित नहीं किया

जा सकता, आरोपित अधिकारी के इस तर्क पर कि माल को बदला गया है, में कोई सार नहीं है। तीनों निर्यातकों का कार्गो वही था जो आरोपित अधिकारी की जांच के दौरान एल ई ओ मंजूर करते समय और राजस्व–आसूचना निदेशालय की फिर से जांच करने के दौरान था। हालांकि प्रथम दो फर्मों की पैकिंग सूची डी आर आई के पास उपलब्ध नहीं थी, पुनः जांच के दौरान यह रिकॉर्ड पर था कि डी आर आई द्वारा मेनिफेस्ट क्लियरिंग डिपार्टमेंट से तीसरी फर्म की पैकिंग सूची उपलब्ध करवाई गई थी। आयोग ने यह नोट किया कि इस सम्बंध में आरोपित अधिकारी की यह दलील थी कि उन्होंने समर्पण की भावना और ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य किया। उन्हें पांच प्राथमिक अधिकारियों के काम का पर्यवेक्षण करना था और 200 से ज्यादा शिपिंग बिलों पर ध्यान देना था। स्थायी आदेश सं. 54/2008 के अनुसार उन्हें पूर्ण प्रतिशतता–वार जांच करनी अपेक्षित नहीं थी। जांच का पैमाना कंसाइनमेंटों की संख्या के सन्दर्भ में है न कि प्रत्येक कंसाइनमेंटों के सन्दर्भ में। इस प्रकार उन्होंने कालीन के एक बंडल की जांच की और जांच के समय उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों के हिसाब से वह ठीक पाया गया।

आयोग ने यह भी पाया कि अनुशासनिक प्राधिकारी के अनुसार, आरोपित अधिकारी ने स्थायी आदेश सं. 54/2008 की गलत व्याख्या की है और उक्त आदेश बोर्ड के परिपत्र सं. 6/2004 के आधार पर जारी किया गया था। आरोपित अधिकारी की दलीलों के सन्दर्भ में जांच अधिकारी के प्रेक्षणों के बारे में यह पाया गया कि स्थायी आदेश के अनुसार यदि शुल्क वापसी की धनराशि संबंधी दावा 1 लाख रूपए से अधिक है तो गैर–संवेदनशील पोर्टों या अन्य पोर्टों को निर्यात के मामले में 10% माल की जांच किया जाना अपेक्षित है और न्यूनतम दो पैकेजों और अधिकतम 5% पैकेज सहित (न्यूनतम 20 पैकेजों की शर्त पर) को खोला जाना और जांच किया जाना चाहिए। स्थायी आदेश सं. 7275/1996 के अनुसार भी, ''जहां शुल्क वापसी का दावा 50,000/– से अधिक है और शुल्क वापसी के दावे वाले सभी मामले शुल्क वापसी अनुसूची के अध्याय 50 से 60 तक और अध्याय 74 के अंतर्गत आते हैं तो उन निहित शुल्क वापसी धनराशि का विचार किए बिना निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए''। यह आरोपित अधिकारी का कर्त्तव्य था कि वे मानकों/अनुदेशों का अनुपालन करते जिसे वे करने में असफल रहे। इसके अतिरिक्त, वह अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों की संख्या और उन शिपिंग बिलों की मात्रा जो उनके द्वारा क्लियर की जानी थी, का बहाना करके अपने हिस्से की लापरवाही से स्वयं को दोषमुक्त नहीं कर सकते। यदि मान भी लिया जाए कि प्रथम दो फर्मों के कंसाइनमेंटों को ईडीआई सिस्टम द्वारा केवल निरीक्षण के लिए क्लियर कर दिया गया था, न कि जांच के लिए तो भी आरोपित अधिकारी ने तीसरी फर्म के पैकेजों की जांच समुचित रूप से नहीं की। इस प्रकार, आरोपित अधिकारी की दलीलें स्वीकार्य और तर्कसंगत नहीं हैं।

4.2 आयोग ने आगे यह पाया कि आरोपित अधिकारी की अन्य दलील के बारे में कि माप की इकाई मेनिफेस्ट क्लियरिंग विभाग द्वारा प्रदान की गई पैकिंग सूची में उल्लिखित नहीं थी और इसलिए आरोपित अधिकारी के लिए यह संभव नहीं था कि कालीनों का आकार और उनके कुल क्षेत्रफल का शिपिंग बिलों की घोषणा के सन्दर्भ में पता लगाते तो इसके बारे में अनुशासनिक अधिकारी ने कहा है कि यदि जांच अधिकारी के अनुसार यह स्थिति थी, तो आरोपित अधिकारी द्वारा इस गम्भीर पहलू पर ध्यान देना और भी जरूरी था, जिस पर आरोपित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत माल के निर्यात की अनुमति देते समय विचार नहीं किया गया। इसलिए, यह स्थापित हो गया कि आरोपित अधिकारी ने माल की जांच नहीं की और निवारक अधिकारी को ईडीआई सिस्टम में एक गलत रिपोर्ट रखने/करने की अनुमति दे दी। यह तथ्य कि माप की इकाई सभी 12 शिपिंग बिलों में गायब थी, इससे आरोपित अधिकारी को सतर्क हो जाना चाहिए था और उसे तीनों निर्यातकों के माल की सम्पूर्ण जांच करनी चाहिए थी। आयोग, दस्तावेज़ी और मौखिक सबूत के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मद के अंतर्गत आरोपित अधिकारी पर लगाए गए आरोप स्थापित होते हैं।

5. आरोपित अधिकारी पर लगाया गया दूसरा आरोप केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम–3(2)(प) का उल्लंघन था। जांच अधिकारी द्वारा यह स्थापित नहीं माना गया क्योंकि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया कि माल की जांच अधिकारी द्वारा समुचित और प्रक्रियात्मक रूप से जांच नहीं की गई हो। इस संबंध में आयोग ने यह पाया कि आरोपित अधिकारी ने यह दलील दी कि उसने अपने सर्वोत्तम विवेक से अपने

अधीनस्थ और प्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी स्टाफ की सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य परायणता के लिए तत्समय सभी संभावित कदम उठाने सुनिश्चित किए। उसके और उसके अधीनस्थों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात् सहायक आयुक्त के परामर्श/पर्यवेक्षण से कार्रवाई की गई। यह पहले ही स्थापित हो चुका था कि आरोपित अधिकारी ने स्थायी आदेशों के अनुदेशों के अनुसार निर्यात शिपिंग बिलों की जांच नहीं की और अपने कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान अपने अधीनस्थों का समुचित मार्गदर्शन करने में असफल रहे। प्रश्नगत उक्त शिपिंग बिलों की जांच आरोपित अधिकारी की उपस्थिति में निवारक अधिकारी द्वारा की गई और सहायक आयुक्त तथा आरोपित अधिकारी द्वारा जांच का पर्यवेक्षण करके तीसरे निर्यातक के कार्गो की मात्रा को निर्यात की अनुमति प्रदान की गई। आरोपित अधिकारी का कर्त्तव्य था कि वह उक्त मानकों/अनुदेशों का अनुपालन करते, जिसमें वे असफल रहे।

5.1 आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी का तर्क था कि वर्ष 2010 के लिए ई डी आर शिपिंग बिलों की जांच के लिए एस ओ सं. 7275/2006 प्रासंगिक नहीं है, केवल एस ओ सं. 54/2008 ही प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय आदेश सं. 6/2004 दिनांक 15.03.2004 के द्वारा जारी संयुक्त आयुक्त के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, निर्यात कंसाइनमेंट जहां अनुदेश सिस्टम द्वारा दिए गए थे और निर्धारण समूह द्वारा कंसाइनमेंट खोलने और जांच करने के लिए कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिए गए तो वहां केवल निरीक्षण किया जाना चाहिए और जांच का आयोजन संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाना चाहिए।

5.2 आरोपित अधिकारी की उपर्युक्त दलीलों के बारे में आयोग ने यह पाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित अधिकारी ने एस ओ सं. 54/2008 के मूल मार्गदर्शी सिद्धान्तों को नहीं समझा। आरोपित अधिकारी ने जांच अधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से यह माना कि उसने तीसरे निर्यातक का केवल एक पैकज खोला और उसकी जांच की और दो निर्यातकों के पैकेजों को नहीं खोला क्योंकि ईडीआई सिस्टम के द्वारा ऐसे कोई अनुदेश नहीं थे। इस संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह पाया कि तब भी यह आरोपित अधिकारी का कर्त्तव्य था कि वह शुल्क वापसी की धनराशि के आधार पर शिपिंग बिलों की जांच के लिए मानकों / अनुदेशों का अनुपालन करते। इसके अतिरिक्त, आरोपित अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों पर पर्यवेक्षणों की असफलता इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि उसने शिपिंग बिलों के लिए एल ई ओ की अनुमति तब दी जबकि उसके अधीनस्थ अधिकारी ने एस ओ सं. 54/2008 के अनुसार माल की जांच नहीं की थी। माल की जांच के दौरान जबकि वह स्वयं वहां उपस्थित था किन्तु उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी का मार्गदर्शन नहीं किया। इस प्रकार, अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह सही अभिनिर्धारित किया कि आरोपित अधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम–3(2)(i) का उल्लंघन किया।

5.3 आयोग ने पाया कि दस्तावेज़ी / मौखिक साक्ष्यों के आधार पर मद–II के अंतर्गत आरोपित अधिकारी पर लगाया गया आरोप स्थापित हो गया। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध लगाए गए दोनों मदों के आरोप सिद्ध हुए।

5.4 अपने प्रेक्षणों और निष्कर्षों के आलोक में आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध सिद्ध आरोप उसकी तरफ से किया गया गम्भीर कदाचार है और इसलिए आरोपित अधिकारी को अन्यथा देय मासिक पेंशन के 15% को दो वर्ष तक की अवधि के लिए रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाए। आयोग का परामर्श अनुशासनिक प्राधिकारी को 22 नवम्बर, 2018 को संसूचित कर दिया गया।

6. 10 मार्च, 2021 को राजस्व विभाग ने इस मामले में आरोपित अधिकारी पर अन्यथा देय मासिक पेंशन का 50%, 2 वर्ष की अवधि के लिए रोकने संबंधी शास्ति अधिरोपित करते हुए अन्तिम आदेश जारी कर दिया। यह आदेश, इस मामले में आयोग द्वारा दिए गए परामर्श की असहमति स्वरूप था। आदेश में यह उल्लिखित किया गया कि अपराध की गम्भीरता और 20.82 लाख रूपए की राजस्व हानि पर विचार करते हुए, आयोग द्वारा परामर्श दी गई शास्ति कम प्रतीत होती है और इसलिए अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी की मासिक पेंशन 50% तक कम करने की शास्ति अधिरोपित करने का अनुमोदन दिया। आयोग के निष्कर्ष के बारे में कोई असहमति नहीं थी। आदेश से यह पाया गया कि संघ लोक सेवा आयोग की सलाह की एक प्रति आरोपित अधिकारी को उपलब्ध करवाई गई और उसके प्रतिवेदन पर इस मामले में निर्णय लेने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी

द्वारा विचार किया गया। आयोग की सलाह पर असहमति को हल करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 39023/02/2006 स्था. 'ख' दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 की शर्तों के अनुसार इस मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संदर्भित किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सक्षम प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी के विचारों से सहमत हो गए और प्रशासनिक मंत्रालय ने आयोग के परामर्श की असहमति स्वरूप अन्तिम आदेश जारी कर दिया।

7. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश, आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं था इसलिए इस मामले को, आयोग के परामर्श को स्वीकार नहीं करने के रूप में माना गया है।

10 अध्याय

आयोग का परामर्श लागू करने में विलम्ब

भर्ती नियमों की अधिसूचना में विलम्ब

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों को आयोग का परामर्श पत्र प्राप्त होने की तारीख से 10 सप्ताह के भीतर संबन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। वर्ष 2020–21 के आरंभ में कुल **350** मामले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी अधिसूचना के लिए लंबित थे। इसके अतिरिक्त 31.03.2021 तक **240** पदों के लिए भर्ती नियमों का परामर्श दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में **384** मामले अधिसूचित किए जाने हेतु लंबित थे। **तालिका–1 (परिशिष्ट–30)** में विवरण दिए गए हैं:

तालिका–1: अधिसूचना के लिए लम्बित भर्ती नियम मामले–विश्लेषण

क्र. सं.	लम्बित रहने की अवधि	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अधिसूचना के लिए लंबित भर्ती नियमों के मामलों (पदों के सन्दर्भ में) की कुल संख्या
(i)	(ii)	(iii)
1	2 से 3 वर्ष	32
2	1 से 2 वर्ष	198
3	10 सप्ताह से 1 वर्ष	154
	कुल	384

आरेख–1 अधिसूचना हेतु लंबित भर्ती नियम मामले 31.03.2021 के अनुसार अधिसूचना के लिए लंबित भर्ती नियम मामलों (पदों के सन्दर्भ में) की कुल संख्या

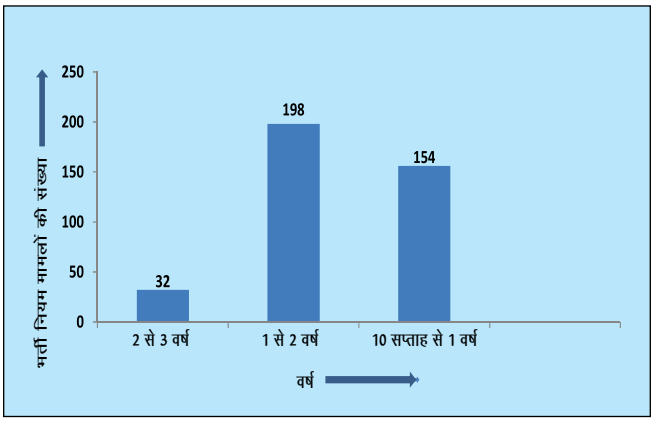

विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलंब

2. 31 मार्च 2021 तक कुल 107 मामले ऐसे थे जहां विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव भेजने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक वर्ष से अधिक की देरी की गई। इन मामलों में से, अनुशंसा किए जाने के बाद से एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी (पिछले वर्ष के 63 मामलों की तुलना में) 04 मामले ऐसे थे जहां नियुक्ति के प्रस्ताव अभी भी दिये जाने शेष थे। ऐसे 103 मामले हैं जहां प्रस्ताव में एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम की देरी हुई है जैसा कि **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

तालिका–2: परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलंब

क्र. सं.	विलम्ब की अवधि	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव विलम्ब से जारी किया गया		ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव अभी जारी नहीं किया गया है	
		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
1.	4 वर्ष और उससे अधिक	--	--	09	01
2.	3 से 4 वर्ष	--	--	16	02
3.	2 से 3 वर्ष	--	--	03	01
4.	1 से 2 वर्ष	01	103	35	--
	कुल	**01**	**103**	**63**	**04**

चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलंब

3. वर्ष के दौरान 41 ऐसे मामले थे जिनमें चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में संबन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक वर्ष से अधिक की देरी की गई, जैसाकि **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका–3 : चयन द्वारा सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलम्ब

क्र. सं.	विलम्ब की अवधि	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया किंतु विलम्ब से		ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव अभी जारी नहीं किया गया है	
		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
1.	4 वर्ष और उससे अधिक	0	0	0	0
2.	3 से 4 वर्ष	0	0	0	18
3.	2 से 3 वर्ष	1	0	16	11
4.	1 से 2 वर्ष	2	0	12	12
	कुल	**3**	**0**	**28**	**41**

आयोग का मत

4. **आयोग का यह दृढ़ मत है कि उनके द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को संबन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में प्रतीक्षा नहीं करवाई जानी चाहिए।** कई मामलों में, आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवार इस बीच किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तथा सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं और इस प्रकार, इन उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्फल हो जाती है। आयोग संबन्धित मंत्रालयों/विभागों से, अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव यथाशीघ्र जारी किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता को दोहराता है।

11 अध्याय

प्रशासन, प्रशिक्षण एवं वित्त

प्रशासन

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग को आयोग की सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं और वे विभागाध्यक्ष भी हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (सदस्यगण) विनियमावली,1969 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा विनियमित होती हैं।

2. सचिव, आयोग सचिवालय के प्रमुख हैं। 31 मार्च, 2021 को आयोग के सचिवालय में कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या 1786 थी। अधिकारियों व कर्मचारियों का संवर्ग–वार विवरण **परिशिष्ट–32** में दिया गया है। कर्मचारियों की सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (कर्मचारीवृन्द) विनियमावली, **1958** (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा विनियमित होती हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट–33** पर दिया गया है। आयोग सचिवालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबल्यूडी) के प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण **परिशिष्ट–34** पर दिया गया है।

प्रशिक्षण

3. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित आंतरिक–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

I. अ.सचिव/अ.अधि./स.अ.अधि./व.स.सहा. के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नियमित आंतरिक–प्रशिक्षण **(तालिका–1)**

तालिका–1

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
i)	कैट/कोर्ट केस
ii)	टिप्पण और प्रारूपण
iii)	टीए /एलटीसी नियम
iv)	वित्तीय योजना – कर प्रबंधन
v)	सेवा में आरक्षण (चरण–I)
vi)	स्थापना नियमावली
vii)	आरक्षण रोस्टर को तैयार करना (चरण–II)
viii)	जेंडर संवेदीकरण
ix)	चिकित्सा परिचर्या नियमावली
x)	आरटीआई आवेदनों/अपीलों का निपटान
xi)	वेतन निर्धारण
xii)	पेंशन नियमावली
xiii)	रिकॉर्ड प्रबंधन

II. यूपीएससी के एमटीएस के लिए इन–हाउस ''ऑन द जॉब ट्रेनिंग'' का भी आयोजन किया गया।

वित्त

4. सचिवालय में एक अपर सचिव, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, को आयोग के वित्तीय सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। वित्त सलाहकार

आयोग का बजट तैयार करने, प्रचालित करने और नियंत्रित करने तथा व्यय नियंत्रण, निगरानी से संबन्धित अन्य मामलों और आयोग को वित्तीय परामर्श देने के लिए उत्तरदायी हैं। आयोग के वित्तीय सलाहकार की सहायता वित्त एवं बजट अधिकारी (एफ़ एंड बीओ) द्वारा की जाती है जो लेखा और वित्तीय पृष्ठभूमि वाले अवर सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान बजटीय स्थिति

5. संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद–320 और 321 के अंतर्गत कतिपय महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, सरकार के अधीन वरिष्ठ स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं का संचालन करना भी सम्मिलित है। संविधान के अनुच्छेद 322 और 113 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग का बजट भारत की समेकित निधि से प्रभारित है। वित्तीय वर्ष 2020–21, के लिए 305.38 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) का प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 285.00 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह प्रावधान स्थापना/प्रशासनिक व्यय तथा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं के लिए था। परीक्षाओं का संचालन पूर्व–निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार किया जाना होता है और इसलिए ऐसा व्यय एक प्रतिबद्ध दायित्व प्रकृति का है जिसे आस्थगित नहीं किया जा सकता। परीक्षा एवं चयन पर होने वाला व्यय प्रत्यक्ष रूप से आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं एवं भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान किए गए बजट प्रावधानों तथा निधि के उपयोग की स्थिति **तालिका–2** में दी गई है:

तालिका–2

(लाख रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अभ्यर्पित निधियां	निवल विनियोजन (अंतिम अनुदान)	वास्तविक व्यय	अव्ययित निधि	कॉलम 5 की तुलना में कॉलम 6 की निधियों के उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
2016-17	21700.00	24192.00	6.69	24185.31	24178.99	6.32	99.97%
2017-18	22919.00	24130.00	-	24130.00	24099.31	30.69	99.87%
2018-19	29761.00	28075.00	1686.0	28075.00	28064.32	10.68	99.96%
2019-20	29845.00	29816.00	29.00	29816.00	29796.96	19.04	99.94%
2020-21	30538.00	28500.00	2038.00	28500.00	28493.62*	6.38	99.97%

*वर्ष 2020–21 के लिए विस्तृत विषय शीर्ष–वार व्यय और प्राप्तियाँ **परिशिष्ट–35** पर दी गई हैं।

12 अध्याय

विविध

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ii) के अंतर्गत ''लोक प्राधिकरण'' है। तदनुसार, आयोग द्वारा 31 मार्च, 2021 तक अधिनियम के अंतर्गत 49 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों और 13 अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया गया।

2. इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए अग्र–सक्रिय (प्रोएक्टिव) उपायों के रूप में निम्नलिखित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है:–

(क) आयोग

(ख) सचिवालय

(ग) विषय–सूची

(घ) सं.लो.से.आ. में संयुक्त सचिव (निदेशक) स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की सूची।

(ड.) परामर्श के उद्देश्य से गठित दो या इससे अधिक व्यक्तियों की समितियों का विवरण।

(च) कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के निवारण हेतु बनी शिकायत समिति का विवरण।

(छ) अ.जा., अ.ज.जा., दिव्यांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अ.पि.व. के लिए संपर्क अधिकारी

(ज) संघ लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता अधिकारी

(झ) सं.लो.से.आ. के अपीलीय प्राधिकारी तथा के.लो. सू.अ. की सूची।

(ञ) के.लो.सू.अ. हेतु दिशा–निर्देश।

(ट) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की मासिक प्राप्ति तथा निस्तारण का विवरण।

(ठ) आर टी आई तिमाही विवरणियां।

(ड) संघ लोक सेवा आयोग की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची, 2015

(ढ) विनियोजन का विवरण– संघ लोक सेवा आयोग (प्रभारित)।

(ण) सं.लो.से.आ. के अधिकारियों के अंतर्देशीय तथा विदेशी दौरों संबंधी सूचना।

(त) आयोग के समूह 'क' अधिकारियों की वेतन संरचना।

(थ) आर टी आई आवेदन पत्र– प्रथम अपील तथा उनके उत्तर।

(द) पिछली अधिसूचनाएं– के.लो.सू.अ. के आदेश– अपीलीय प्राधिकारी।

3. सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों की संख्या तथा उनके निपटान की स्थिति का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है:

तालिका–1

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या	5194
2.	वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त आरटीआई अपीलों की कुल संख्या	412

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आर टी आई आवेदनों और अपीलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया।

4. आयोग का स्थापना दिवस

आयोग का 94वां स्थापना दिवस 01 अक्तूबर, 2020 को मनाया गया। माननीय अध्यक्ष के संदेश को आयोग के सभी माननीय सदस्यों और कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया गया। हालांकि, कोविड–19 के प्रकोप के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस अवसर पर समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया।

5. सं.लो.से.आ. (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958

वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग ने परामर्श के अपने दायरे से छूट दिए जाने के संबंध में सरकार से प्राप्त आठ प्रस्तावों पर विचार किया। इन प्रस्तावों की जांच की गई तथा आयोग की टिप्पणियाँ संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेज दी गई। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 जारी होने के बाद से, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आयोग के कार्य–क्षेत्र से छूट दिए गए पदों/सेवाओं की सूची **परिशिष्ट–31** में दी गई है।

6. वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी मामले

आयोग ने पारस्परिक वरिष्ठता संबंधी तीन मामलों में अपनी सलाह दी। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान छूट के मामलों और वरिष्ठता/सेवा से जुड़े उन मामलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण,जिन पर आयोग ने अपनी सलाह दी, **परिशिष्ट–3** में दिया गया है।

7. राज्य लोक सेवा आयोगों के अर्द्ध–वार्षिक सूचना–पत्र का प्रकाशन

उक्त अवधि के दौरान 78वां अर्ध–वार्षिक सूचना–पत्र (जुलाई से दिसंबर, 2019) और 79वां अर्ध–वार्षिक सूचना–पत्र (जनवरी से जून, 2020 तक) को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। सूचना पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ संघ लोक सेवा आयोग और 29 राज्य लोक सेवा आयोगों के पदधारिता संबंधी विवरण, अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति/सेवा निवृत्ति, आयोजित परीक्षाएँ/भर्तियाँ, विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की आयोजित बैठकों, गणमान्य व्यक्तियों आदि के दौरों के बारे में विवरण होता है।

8. सरकारी कार्य में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी राजभाषा अधिनियम/नियमों के प्रावधान तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ ठोस प्रयास जारी रखे गए हैं।

9. सरकार की राजभाषा नीति तथा कार्यक्रम का कार्यान्वयन

संघ लोक सेवा आयोग में एक हिन्दी शाखा है, जिसके प्रभारी निदेशक (राजभाषा) हैं जिनकी सहायता के लिए दो उप–निदेशक (राजभाषा), चार सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं अन्य सहायक स्टाफ हैं। यह शाखा सरकार की राजभाषा नीति और कार्यक्रमों के दिशा–निर्देश एवं अनुवीक्षण और कार्यान्वयन का कार्य देखने के साथ–साथ उन सभी दस्तावेजों के अनुवाद का कार्य भी करती है जिन्हें हिन्दी अथवा दोनों भाषाओं में जारी किया जाना अपेक्षित होता है।

10. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

वर्ष 2020–21 के दौरान सं.लो.से.आ. के सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं और समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

11. हिंदी में पत्राचार

वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसरण में सामान्य आदेश, संकल्प, अधिसूचनाएँ, प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रशासनिक रिपोर्टें, नियम, विनियम, निविदा सूचनाएँ, निविदा प्रपत्र आदि द्विभाषी रूप से जारी किए गए। 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से सामान्यतः हिन्दी में पत्राचार किया गया।

12. हिंदी में प्रशिक्षण

वर्ष 2020–21 के दौरान, हिन्दी शिक्षण योजना के तहत 19 अधिकारियों ने टाइपिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक आशुलिपिक ने आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त किया।

13. हिंदी कार्यशाला

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए और हिन्दी में अपने दैनिक कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए कुल 03 (तीन) कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

14. नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं

वर्तमान में, आयोग में नकद पुरस्कारों के साथ तीन प्रोत्साहन योजनाएँ लागू हैं। राजभाषा विभाग की प्रथम प्रोत्साहन योजना के अनुसार, अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य मूलतः हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को 02 प्रथम पुरस्कार 5000/–रुपये प्रत्येक, 03 द्वितीय पुरस्कार 3000/–रुपये प्रत्येक, 05 तृतीय पुरस्कार 2000/–रुपए प्रत्येक, 03 सांत्वना पुरस्कार प्रत्येक प्रदान किए। इसी प्रकार, दूसरी प्रोत्साहन योजना के तहत हिन्दी में डिक्टेशन देने वाले दो अधिकारियों को 5000/–रुपये प्रत्येक और तीन अधिकारियों को 3000/–रुपये प्रत्येक, नकद पुरस्कार दिया गया। राजभाषा नीति के तहत प्रदान किए जाने वाले इन प्रोत्साहनों के अलावा, आयोग भी हिन्दी में अधिकाधिक सरकारी कार्य करने वाले अनुभागों को पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहन योजना चला रहा है, जिसमें आयोग ने 7500/–रू. का एक प्रथम पुरस्कार, 5000/– रू. का एक द्वितीय पुरस्कार, 3500/–रू. का एक तृतीय पुरस्कार और 1500/–रू. के दो प्रोत्साहन तथा 1000/–रू. का एक सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

15. हिंदी दिवस तथा पखवाड़ा

1.9.2020 से 15.9.2020 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने की अपील के साथ पखवाड़ा आरंभ हुआ। इस अवधि के दौरान हिन्दी टिप्पण और प्रारूप लेखन, निबंध लेखन, श्रुतलेखन, टंकण, तथा दिए गए संकेत (क्लू) के आधार पर कहानी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

16. निरीक्षण

अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा और पुनरीक्षा तथा शाखा प्रमुखों द्वारा आयोजित की गई संगठन एवं पद्धति बैठकों तथा राजभाषा शाखा के सहायक निदेशकों द्वारा किए गए निरीक्षणों द्वारा हिन्दी के प्रयोग की गहन मॉनिटरिंग की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा नीति और कार्यक्रम के अनुपालन के लिए आयोग के 32 अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध सॉफ्टवेर के माध्यम से विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर ''ऑनलाइन'' भेजी जाती है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने 5/11/2020 को केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 42वीं बैठक आयोजित की जिसमें सं.लो.से.आ. के संयुक्त सचिव (प्रशासन) और निदेशक (राजभाषा) ने भाग लिया।

17. परीक्षा सुधार

आयोग की परीक्षा सुधार शाखा प्रश्न–पत्रों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए नियमित रूप से विभिन्न परीक्षाओं का विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण करती है। यह विश्लेषण आयोजित परीक्षणों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने तथा परीक्षण संबंधी योजना में अपेक्षित परिवर्तन और सुधार लाने के लिए आवश्यक है।

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा के उम्मीदवारों का समुदाय, आयु, लिंग, योग्यता का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है।

18. उम्मीदवारों पर मिथ्या निरूपण एवं अन्य अनाचारों के लिए अधिरोपित शास्तियां

वर्ष 2020–21 के दौरान, उम्मीदवारों द्वारा किए गए अनाचारों के 04 मामले आयोग के समक्ष आए। अनाचार के इन मामलों में अन्य बातों के साथ–साथ उम्मीदवारों

द्वारा धोखेबाज़ी, जानकारी छिपाना, झूठी जानकारी/जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करना, आदि शामिल था। आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया और उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद दोषी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने से लेकर आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं/चयनों से दस वर्ष से लेकर स्थायी रूप से विवर्जन करने तक की शास्तियाँ अधिरोपित की।

19. कोविड–19 के लिए निवारक सुरक्षा उपाय

कोविड–19 महामारी के दौरान बोर्ड के सदस्यों, सलाहकारों, उम्मीदवारों, आयोग के अधिकारियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए सरकार, विभागों द्वारा जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों को अर्थात मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का उपयोग, डिस्पोजेबल दस्ताने (जहाँ भी आवश्यक हो), कार्य स्थल का सैनिटाइजेशन आदि लागू किया गया। इसके अलावा, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/पीटी बोर्ड/साक्षात्कार बोर्डों के दौरान कोविड रोकथाम के उपायों को भी लागू किया गया।

परीक्षा हॉल भवन में उम्मीदवारों के लिए लिखने वाली टेबल की मरम्मत और नवीनीकरण: परीक्षा हॉल भवन, यूपीएससी में स्थित 06 परीक्षा हॉल में उम्मीदवारों के लिए लिखने वाली टेबलों को उम्मीदवार/उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाकर नवीनीकृत और उन्नत किया गया है।

कृतज्ञता ज्ञापन

आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग एवं मदद के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है, उनके इस सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने संवैधानिक कार्यों को सम्पन्न करना सम्भव नहीं हो पाता ।

आयोग अपने अधिकारियों और स्टॉफ के अन्य सदस्यों की भी हार्दिक सराहना करता है, जिन्होंने कठोर परिश्रम और दक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

1.	श्री अरविंद सक्सेना	अध्यक्ष	दिनांक 07.08.2020 (अपराह्न) को कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
2.	प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी	अध्यक्ष	संविधान के अनुच्छेद 316–(1) के तहत दिनांक 07.08.2020 (अपराह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।
3.	श्री भीम सैन बस्सी	सदस्य	दिनांक 19.02.2021 से कार्यालय से पदत्याग कर दिया।
4.	एयर मार्शल अजीत एस. भोंसले (वेटरन) ए वी एस एम, वी एस एम	सदस्य	
5.	सुश्री सुजाता मेहता	सदस्य	
6.	डॉ. मनोज सोनी	सदस्य	
7.	सुश्री स्मिता नागराज	सदस्य	
8.	सुश्री एम. सत्यवती	सदस्य	
9.	श्री भारत भूषण व्यास	सदस्य	
10.	डा. टी.सी.ए. अनंत	सदस्य	
11.	श्री राजीव नयन चौबे	सदस्य	

(वसुधा मिश्रा)
सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक : 15.12.2021

परिशिष्ट–1

आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन–वृत्त

श्री अरविन्द सक्सेना

श्री अरविन्द सक्सेना ने 08 मई, 2015 को सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में ज्वाइन किया और 20 जून, 2018 को अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यभार संभाला।

श्री अरविन्द सक्सेना ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (जो अब दिल्ली टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है) से सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), नई दिल्ली से सिस्टम्स मैनेजमेंट में एम.टेक. किया।

सिविल सेवा के लिए चयन होने पर, इन्होंने 1978 में भारतीय डाक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया और डाक सेवाओं के डिवीजनल प्रमुख के रूप में भरतपुर और कोटा में कार्य किया। 1982 में इन्हें 9वें एशियाई खेलों तथा 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया। अलीगढ़ में टिकट और मोहर फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिए विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने से पहले उन्होंने डाक टिकट संग्रह अधिकारी, डाक निदेशालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार संभाला था। प्रतिष्ठित, डाक एवं तार प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर, उ.प्र. के प्रिंसिपल के पद पर चयन होने से पहले इन्हें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश राज्यों में डाक प्रबंधन का कार्य देखने के लिए निदेशक, डाक प्लानिंग आपरेशंस, मुंबई के पद पर तैनात किया गया। अपने इस कार्य के दौरान उन्होंने डाक सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए विशेषज्ञ समिति के साथ कार्य किया और भारत में डाक कार्यों में प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रबंधन संव्यवहारों को आरंभ करने की संस्तुति की। इन्होंने मानचेस्टर यूनिवर्सिटी, यू.के. में प्रशिक्षकों के लिए एक प्रोग्राम में भी भाग लिया।

इन्होंने 1988 में भारतीय डाक सेवा छोडकर मंत्रिमंडल सचिवालय के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) में कार्यभार संभाला और नेपाल, चीन और पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों में सामरिक विकास के अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की। श्री सक्सेना ने विभिन्न देशों तथा जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदान की। उन्होंने सत्ताईस वर्षों की अवधि के दौरान भारत और विदेशों की व्यापक रूप से यात्रा की और उन्हें विभिन्न देशों के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने और सकारात्मक संबंध स्थापित करने का अवसर मिला जिसमें स्थानीय राजनीति, आसूचना, सेना, विज्ञान और तकनीक, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विकासों, आतंकवाद, अर्थशास्त्र, वित्त और वाणिज्य शामिल थे। उन्होंने विभिन्न घुसपैठ, अतिवादी और भारत के बाहर से संचालित होने वाले आंतकी ग्रुपों की गतिविधियों पर भी कार्य किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की।

इन्होंने 2014 में विमानन अनुसंधान केन्द्र (ए आर सी) के विशेष सचिव प्रभारी के पद का कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने अन्य देशों की समकक्ष एजेंसियों के साथ कार्यशील संबंधों को मजबूत बनाया और भारत में तीनों रक्षा सेवाओं तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों के साथ गहन संपर्क रखा।

श्री सक्सेना को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में अपनी असाधारण सेवा और विशिष्ट सेवा के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सराहनीय सेवा (2005) और अति विशिष्ठ सेवा (2012) के लिए पुरस्कृत किया गया। इन्होंने विमानन अनुसंधान केन्द्र के प्रधान के पद पर मई, 2015 तक लगातार कार्य किया और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने पर यह पद त्याग दिया।

प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी

प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी आयोग के सदस्य के रूप में पाँच साल से अधिक समय तक सेवा देने के पश्चात 7 अगस्त, 2020 से वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त

होने से पूर्व इन्होंने अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पद पर भी कार्य किया। इन्होंने निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन आई ई पी ए), [मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार] [अब निदेशक का पद परिवर्तित करके वाइस चांसलर एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन आई ई पी ए) को परिवर्तित करके राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय(एन यू ई पी ए कर दिया गया है)] के पद पर भी कार्य किया।

प्रोफेसर जोशी ने 1977 में वाणिज्य में अपनी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और 1981 में कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से वाणिज्य में पीएच.डी. की। प्रोफेसर जोशी 28 वर्षों से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में रहे। इन्होंने मई, 2000 से 12 जून, 2006 तक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) में प्रोफेसर, अध्यक्ष एवं डीन के पद पर कार्य किया। इन्होंनें इस अवधि के दौरान (जून 2006 तक) रानी दुर्गावती विश्वविद्याल, जबलपुर (एमपी) में व्यसाय प्रशासन में अध्यक्ष और अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष आर.डी.सी. के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले, इन्होंने व्यवसाय प्रशासन विभाग, रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) और बरेली कॉलेज, बरेली में रीडर के पद पर भी सेवाएं दीं।

प्रोफेसर जोशी ने शिक्षाविद् के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। ये भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियों के सदस्य रहे। ये संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में भारत गणराज्य के 50वें वार्षिकोत्सव के लिए राज्य स्तरीय समिति के सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत शिक्षा सुधार संचालन समिति आयोग के पूर्व सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा के लिए संचालन समिति–सह–वितरण केन्द्र के पूर्व सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के लिए राष्ट्रीय संसाधन समूह के पूर्व सदस्य; केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड (सीएबीई) जो कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए उच्चतम परामर्शदात्री बोर्ड है, के पूर्व सदस्य रहे हैं।

प्रोफेसर जोशी एक प्रख्यात अनुसंधानकर्ता और शिक्षाविद् हैं जिनके पास 28 वर्षों से अधिक समय का अध्यापन का अनुभव है। इन्हें वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण, लेखांकन प्रबंधन, कराधान, ग्रामीण विकास प्रबंधन, पंचायती राज संस्थान एवं खादी ग्रामोद्योग प्रबंधन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। इन्होंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में अनुसंधान पेपरों को प्रस्तुत और प्रकाशित किया है। एक सक्रिय शिक्षाविद् होने के कारण, इन्होंने विभिन्न देशों जैसे बेल्जियम, हॉलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और जापान में व्याख्यान दिए और शैक्षणिक विचार–विमर्श किया। इन्होंने 19 स्कॉलरों का पीएच.डी. के लिए पर्यवेक्षण किया और इनके मार्गदर्शन में लगभग 24 शोध– निबंध प्रस्तुत किए गए।

श्री भीम सैन बस्सी

श्री भीम सैन बस्सी का जन्म 20 फरवरी, 1956 को हुआ था। ये दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वाणिज्य स्नातक हैं और इसके बाद इन्होंने विधि में डिग्री प्राप्त की। श्री बस्सी ए.जी.एम.यू.टी. (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं संघ शासित क्षेत्र) संवर्ग के 1977 बैच के आई.पी. एस.(भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी हैं। प्रशिक्षण के उपरांत इनकी नियुक्ति 1980 में पुदुच्चेरी में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई। उसके पश्चात ये 3 वर्ष से अधिक समय तक अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में सेवारत रहे। अक्तूबर, 1984 में इन्हें दिल्ली में तैनात किया गया, जहाँ ये 1993 तक सेवारत रहे।

वर्ष 1993 से 1998 तक श्री बस्सी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे। संवर्ग में वापस आने पर ये वर्ष 2000 से 2002 तक चंडीगढ़ में पुलिस महा–निरीक्षक के रूप में सेवारत रहे। इस कार्यावधि के पश्चात इन्हें दिल्ली पुनः स्थानांतरित कर दिया गया और इनकी तैनाती में सुरक्षा एवं दक्षिणी रेंज शामिल थे। तदुपरांत विशेष आयुक्त के रैंक पर पदोन्नति होने के बाद इन्होंने दिल्ली पुलिस की सतर्कता, ट्रैफिक तथा आसूचना इकाइयों का नेतृत्व किया।

वर्ष 2009 में, श्री बस्सी को गोवा के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ ये 2011 तक सेवारत रहे। इस अवधि के दौरान इन्होंने पुलिस की कार्य पद्धति सुधारने के लिए बहुत से कदम उठाए, जिसमें गोवा में अपराधों के सही–सही पंजीकरण तथा एक आधुनिक पुलिस

नियंत्रण कक्ष स्थापित करना और गोवा पुलिस की कमांडो इकाई का पुनर्गठन करना शामिल है। गोवा से दिल्ली वापसी पर इन्होंने यातायात प्रशासन में अपनी सेवाएं प्रदान की। 31 जुलाई, 2013 को श्री बस्सी को पुलिस कमिश्नर, दिल्ली नियुक्त किया गया। वे फरवरी, 2016 तक, 85000 के विशाल दिल्ली पुलिस बल के ढाई साल से अधिक समय तक दिल्ली पुलिस के प्रमुख रहे। श्री बस्सी ने बल की बागडोर उस समय संभाली जब दिल्ली पुलिस, दिल्ली निवासियों, विशेषकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के मुद्दे पर कटु आलोचना का सामना कर रही थी। उनकी प्रमुख चुनौतियों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, आतंक से लड़ना और सड़क अपराधों पर अंकुश लगाना शामिल था। श्री बस्सी ने पुलिस कार्यों में डिजीटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए। इस संबंध में महिला सुरक्षा के लिए हिम्मत एप और ऑटो चोरी तथा अन्य चोरियों के लिए दर्ज कराने के लिए ई–एफआईआर एप उल्लेखनीय हैं। उन्होंने बर्किंग अर्थात् रिपोर्ट किए गए अपराधों को दर्ज न करने/न्यूनीकरण को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। परिणामतः उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली में एफआईआर दर्ज करने में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी।

श्री बस्सी को उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (1996) तथा विशिष्ट सेवा पदक (2002) से सम्मानित किया जा चुका है।

श्री बी.एस. बस्सी ने 31.05.2016 को सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यभार संभाला।

एयर मार्शल अजीत शंकरराव भोंसले

एयर मार्शल अजीत भोंसले (वेटरन) ने 08 जून, 1978 को भारतीय वायु सेना में कमीशन प्राप्त किया तथा 39 वर्ष की अपनी विशिष्ट सेवा के बाद इन्होंने 21 फरवरी, 2017 को संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में कार्यभार सम्भाला।

ये भोंसला मिलिट्री स्कूल, नेशनल डिफेंस अकादमी, डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ डिफेंस मेनेजमेंट तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज, जापान के पूर्व छात्र रहे हैं।

इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एम.एससी. की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा उसमानिया विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया और टोक्यो से एम.फिल. की।

संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति से पूर्व इन्होंने इंटीग्रेटिड डिफेंस स्टॉफ (आईडीएस) के मुख्यालय के प्रमुख का कार्यभार सम्भाला तथा वे ज्वाईंट ऑपरेशंस, डॉक्ट्रिन, आर्गेनाइजेशन तथा ट्रेनिंग के उप–प्रमुख भी रहे। इस अवधि के दौरान एयर मॉर्शल अजीत भोंसले ने रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' के प्रोत्साहन के लिए रक्षा प्रबंध प्रक्रियाओं के निरूपण द्वारा सशस्त्र बलों में क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और डिफेंस सर्विस स्टॉफ कॉलेज में प्रशिक्षण क्षमताओं तथा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी(एनडीए) में बी.टेक. पाठ्यक्रम की शुरूआत तथा मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी के पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा, साईबर अंतरिक्ष अभिकरणों तथा विशेष सेना प्रभाग की शुरूआत, सशस्त्र सेनाओं के लिए संयुक्त सिद्धांत निरूपण तथा असम, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात की राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरे भारत में आपदा राहत के अभ्यास संचालन का विस्तार किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वव्यापी डिजाइन स्पर्धा द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के लिए स्थान तथा रूपरेखा के चयन की परियोजना का नेतृत्व किया।

एयर मार्शल अजीत भोंसले ने रक्षा अधिग्रहण परिषद, प्रमुख स्टॉफ समिति, संयुक्त प्रशिक्षण समिति, उप प्रमुख समिति तथा प्रधान कार्मिक अधिकारी समिति आदि जैसी विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों में सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दीं। इन्होंने प्रमुख विशेषज्ञ दलों (थिंक टैंक) संयुक्त सेवा संस्थान तथा संयुक्त–कल्याण अध्ययन केन्द्र की अध्यक्षता भी की तथा वे उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद (मानित विश्वविद्यालय) एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद (एन डी ए) के सदस्य रहे।

एयर मार्शल अजीत भोंसले ने श्रीलंका इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन, सियाचीन ऑपरेशन एवं कारगिल ऑपरेशन में भाग लिया है तथा उन्हें 5200 घंटे का उड़ान अनुभव है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इन्हें असाधारण रूप से अपनी शानदार सेवा के लिए 2005 में विशिष्ट सेवा पदक तथा 2010 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है।

एयर मार्शल अजित भोंसले एक उत्सुक ट्रेवलर है और उनकी कला, संस्कृति और पाक में अत्यधिक रूचि है। वे पशुप्रेमी हैं, इन्हें गोल्फ, तैराकी और घुड़सवारी का शौक है।

सुश्री सुजाता मेहता

राजनीति विज्ञान में एम.फिल. डिग्री प्राप्त करने के बाद, सुश्री सुजाता मेहता ने 1980 में भारतीय विदेश सेवा में कार्यभार ग्रहण किया।

अलग अलग समय पर इन्होंने विदेश मंत्रालय में अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दीं तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव/ निदेशक और बाद में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

इन्होंने मास्को, ढाका में भारतीय मिशनों में और न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में अपनी सेवाएं दीं।

इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनियुक्ति पर गाजा तथा न्यूयार्क में भी अपनी सेवाएं दीं।

जुलाई, 2013 में विदेश मंत्रालय लौटकर अपर सचिव तथा बाद में विशेष सचिव के रूप में कार्य करने से पूर्व वे स्पेन में भारत की राजदूत रहीं तथा जेनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत की राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि रहीं।

वे फरवरी, 2014 में विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) तथा 11 जनवरी, 2016 को सचिव (पश्चिम) नियुक्त हुईं।

इन्होंने 21 फरवरी, 2017 को संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

डॉ. मनोज सोनी

डॉ. मनोज सोनी वर्तमान में 28 जून, 2017 से संघ लोक सेवा अयोग के सदस्य हैं। इस कार्यभार से पहले, डॉ. सोनी तीन कार्यकाल तक कुलपति रहे। इसमें डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीएओयू) के कुलपति के रूप में 1 अगस्त, 2009 से 31 जुलाई, 2015 तक लगातार दो कार्यकाल और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा (दि एम.एस.यू. ऑफ बड़ौदा) के कुलपति के रूप में अप्रैल, 2005 से अप्रैल, 2008 तक एक कार्यकाल शामिल है। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में पदभार ग्रहण करते समय डॉ. सोनी भारत और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के अभी तक के सबसे युवा कुलपति थे।

अन्तर–राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में विशेषज्ञता के साथ राजनीति विज्ञान के एक स्कोलर के रूप में डॉ. सोनी ने दो विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद की सेवा अवधि को छोड़कर सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर में 1991 और 2016 के बीच अन्तर–राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ाया। डॉ. सोनी ''पोस्ट–कोल्ड वार इन्टरनेशनल सिस्टेमिक ट्रांजिसन और इण्डो–यू.एस. रिलेशन्स'' विषय पर डॉक्ट्रेट है। यह 1992 और 1995 के दौरान सबसे पहला और अपनी तरह का विशेष अध्ययन था। यह संकल्पनात्मक ढ़ांचे के माध्यम से शीतयुद्ध के बाद व्यवस्थित ट्रांजिसन को स्पष्ट करने का प्रयास था जिसमें संभावित आंकलन की संभावनाएं हैं। यह कार्य बाद में 1998 में यू.के. में स्थापित अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशक अश्गेट पब्लिशिंग लि. के द्वारा ''अन्डरस्टैडिंग द ग्लोबल पोलीटिकल अर्थक्वेक'' नामक शीर्षक के अंतर्गत एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ।

डॉ. सोनी को बहुत से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 2013 में डॉ. सोनी को आई टी साक्षरता के साथ समाज के वंचित वर्ग को अधिकारिता प्रदान करने के लिए कुशल नेतृत्व के लिए बैटोन रॉग, लुसियाना, यू. एस.ए. के मेयर प्रेसीडेंट द्वारा ''ऑनरेरी मेयर–प्रेसीडेंट ऑफ द सिटी ऑफ बैटोन रॉग'' सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2015 में, डॉ. सोनी को चार्टेड इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउन्टेंट्स लंदन, यू.के. द्वारा दूरस्थ शिक्षा नेतृत्व के लिए वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड दिया गया।

डॉ. सोनी ने पूर्व में उच्चतर शिक्षा और लोक प्रशासन की अनेक शिक्षा संस्थाओं के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। वह गुजरात विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय जो गुजरात में गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं के फीस ढ़ांचे को विनियमित करता है, के भी सदस्य रहे हैं।

सुश्री स्मिता नागराज

श्रीमती स्मिता नागराज 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) में आयीं। उन्हें केन्द्र सरकार के साथ–साथ तमिलनाडु सरकार में विभिन्न पदों पर लोक सेवा में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत

तमिलनाडु सरकार से की, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों जिसमें ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य, नगरपालिका प्रशासन और जल आपूर्ति तथा लघु उद्योग शामिल हैं, में विभिन्न पदों पर रहीं। भारत सरकार में उन्होंने रक्षा मंत्रालय, एन एस सी एस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सेवाएं दी। वे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यपालक निदेशक भी रहीं। संघ लोक सेवा आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्रीमती नागराज ने रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) के पद पर भी कार्य किया।

श्रीमती नागराज ने 1979 में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और भारतीय जनसंचार संस्थान (आई आई एम सी), दिल्ली से जन संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया।

उन्होंने 01.12.2017 को संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य का पद ग्रहण किया।

श्रीमती एम. सत्यवती

श्रीमती एम.सत्यवती, जो चेन्नई, तमिलनाडु की रहने वाली हैं, का जन्म 13 मई, 1958 को हुआ था। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से गणित में स्नातकोत्तर और स्वर्ण पदक विजेता हैं। वे 1982 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईं।

ये एजीएमयूटी कैडर के 1982 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं, इन्होंने पुदुच्चेरी संघ शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य सरकारों के साथ काम किया है, इसके अतिरिक्त केंद्र में वाणिज्य, वस्त्र, नागर विमानन मंत्रालयों और अंतरिक्ष विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव बनने से पहले उनके द्वारा धारित कुछ महत्वपूर्ण पदों में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागरिक विमानन मंत्रालय, डीजीसीए; मुख्य सचिव, पुदुच्चेरी; अपर मुख्य सचिव, मिज़ोरम राज्य सरकार; सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड; प्रशासन नियंत्रक, इसरो सैटेलाइट केंद्र; विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक; वाणिज्य मंत्रालय और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुदुच्चेरी जैसे पद शामिल हैं।

श्रीमती एम.सत्यवती ने कई प्रबंधन पाठ्यक्रम जैसे जन नेताओं के लिए वार्ता, लोक प्रशासन में नैतिकता, ग्रामीण नियोजन और प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ई–शासन, आदि में भाग लिया है।

श्रीमती एम. सत्यवती ने 09.04.2018 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री भारत भूषण व्यास

श्री भारत भूषण व्यास को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अड़तीस वर्षों का संचयी अनुभव है – बैंकिंग क्षेत्र (भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधकीय पद) में छः वर्ष का और बत्तीस वर्ष का सरकार में (1986 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल) विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रः शासन, सार्वजनिक नीति, विनियामक और विकासात्मक प्रशासन।

जम्मू–कश्मीर कैडर को आबंटित, श्री व्यास ने अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट (तीन जिलों के) और संभागीय आयुक्त, (कश्मीर घाटी) जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया। उन्होंने लगभग नौ वर्षों तक राज्य में वित्त सचिव के रूप में कार्य किया और जम्मू–कश्मीर में विकास के प्रयासों में अत्यावश्यक गति प्रदान करने के लिए पांच वर्ष से अधिक योजना और विकास विभाग का नेतृत्व किया।

उन्होंने जम्मू–कश्मीर में सभी राज्य विश्वविद्यालयों और दो कृषि विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने वित्त सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बारह राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

श्री व्यास ने लगभग चार वर्षों तक केंद्रीय वित्त मंत्रालय में कार्य किया। वे वित्त मंत्रालय की टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने 2001 और 2002 की अवधि के दौरान विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और जी–20 की बैठक जैसी महत्वपूर्ण बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व किया था। वे ब्राजील और यूके में टैक्स सुधारों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी थे।

श्री व्यास ने 1997–98 की अवधि के दौरान यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कृषि सुधार निगम और डीआईसीजीसी के निदेशक मंडल के रूप में कार्य किया है। बाद में उन्होंने जे एंड के बैंक के बोर्ड में पांच साल तक निदेशक के रूप में काम किया।

श्री व्यास ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)– भारत में एसिस्टेंट रेजिडेंट रिप्रजेंटेटिव के रूप में भी "सतत आजीविका" के क्षेत्र से संबंधित योजनाओं में ढाई साल की अवधि के लिए कार्य किया।

श्री व्यास को 1996/1997 में जम्मू–कश्मीर में चुनाव कराने के लिए पुरस्कार दिया गया। उन्हें वर्ष 2011 में जम्मू–कश्मीर में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सराहनीय सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। उन्होंने दो अवसरों पर भूकंप के बाद कश्मीर में पुनर्वास कार्य के प्रबंधन (2008) के लिए और जम्मू–कश्मीर में पंचायतों के चुनावों के सफल संचालन के लिए सिविल सेवा (टीम प्रयास) में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार प्राप्त किया।

श्री व्यास ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने सरकारी वित्त समिति के अध्यक्ष और कटरा में श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की वित्त समिति के प्रबंध निकाय के रूप में भी काम किया।

श्री भारत भूषण व्यास वर्ष 2018 में मुख्य सचिव, जम्मू–कश्मीर के रूप में सेवानिवृत हुए और छः महीने के संक्षिप्त कार्यकाल के लिए राज्यपाल के सलाहकार (राज्यपाल शासन के दौरान) के रूप में सेवा करने के बाद, वे 13.12.2018 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए।

डॉ. टीसीए अनंत

डॉ. टीसीए अनंत ने 14 जनवरी, 2019 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, इससे पहले वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई), दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने पूर्व में 2010 से 2018 तक भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2006 से 2009 तक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के सदस्य सचिव के पद पर कार्य किया।

मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की श्रृंखला के साथ–साथ आधार वर्ष 2011–12 के लिए भारतीय राष्ट्रीय लेखा प्रणाली को संशोधित किया; राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने रोजगार पर एक नया नियमित सर्वेक्षण प्रारंभ किया; और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा दोनों के कैडर संरचनाओं की समीक्षा की, जो कि चिरकाल से लंबित थी। मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में, प्रो. अनंत ने श्रम सांख्यिकीविदों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की; संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग (यूएनएससी) के तहत "प्रगति के व्यापक उपाय" और "अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के 2011 दौर का मूल्यांकन" पर फ्रेंड्स ऑफ दी चेयर ग्रुप की सह–अध्यक्षता की; और संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा स्थापित डेटा रिवोल्यूशन पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह का सदस्य रहे।

आईसीएसएसआर के सदस्य सचिव के रूप में, प्रो. अनंत ने आईसीएसएसआर की चौथी समीक्षा कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल जिलों का पहला बेसलाइन सर्वेक्षण करने में आईसीएसएसआर के अनुसंधान प्रयासों को भी गति प्रदान की।

प्रो. अनंत ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया। वह मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए में अर्थशास्त्र में सहायक प्रोफेसर और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स में रीडर और फिर प्रोफेसर थे, जहां उन्होंने एमए कार्यक्रम में लॉ एंड इकोनॉमिक्स पर पाठ्यक्रम शुरू किया। उनके शोध में श्रम अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, विधि और अर्थशास्त्र और अर्थमिति सहित कई क्षेत्र शामिल हैं।

इन्होंने वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के मूल्य की गणना के लिए एक व्यावहारिक मॉडल विकसित करने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के माध्यम से बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया है, जिसमें वहाँ आयोजित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पहली रिट्रीट (निवर्तन) भी शामिल है। 10वें और 11वें वित्त आयोग के सलाहकार के रूप में, उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को विकसित करने में मदद की, जिसका उपयोग आयोग ने अपनी सिफ़ारिशों में किया था।

प्रोफेसर अनंत ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय

प्रतिस्पर्धा आयोग, कई विश्वविद्यालयों के परिषदों और बोर्डों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की विशेषज्ञ समितियों में भी काम किया है।

श्री राजीव नयन चौबे

श्री राजीव नयन चौबे का जन्म 28 जनवरी, 1959 को पटना, भारत में हुआ था। वह प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनाइटेड किंगडम से सामाजिक नीति और योजना में मास्टर्स डिग्री भी प्राप्त की है।

इन्होंने 1981 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होकर अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत की और उन्हें तमिलनाडु कैडर के लिए आबंटित किया गया। उन्होंने 1981 से 1998 तक तमिलनाडु में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिनमें से कन्याकुमारी और मदुरै के कलेक्टर, तमिलनाडु के औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और वित्त विभाग के सचिव आदि के रूप में कार्य करना प्रमुख हैं।

इन्होंने 1998 में भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और बाद में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नत हुए जहां उन्होंने सात वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में प्रधान सलाहकार, विकास आयुक्त (हथकरघा) के पद पर और पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया। उन्हें विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में विशेष सचिव, विद्युत के रूप में प्रोन्नत किया गया।

श्री चौबे को 5 जून, 2015 को नागरिक विमानन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने 31.01.2019 को अपनी सेवानिवृत्ति होने तक मंत्रालय का मार्गदर्शन किया। नागर विमानन मंत्रालय में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने नई नागर विमानन नीति का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विमानन क्षेत्र में सुधार भी लेकर आए जिसके कारण इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ।

उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद, उन्हें 1 फरवरी, 2019 से संघ लोक सेवा आयोग, भारत के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

उनकी शादी श्रीमती स्मिता से हुई है और उनके दो बेटे हैं।

परिशिष्ट–2
(अध्याय–4 देखें)

आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं–उम्मीदवारों/ अधिकारियों की उपयुक्तता से संबंधित

क्र. सं.	विवरण	पदों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया		प्रतिशत अंतर
		2020–21	2019–20	
1.	**चयन द्वारा सीधी भर्ती**	**272**	**962**	**-71.73 %**
क)	इंजीनियरी पद	64	194	-67.01 %
ख)	चिकित्सा पद	70	372	-81.18 %
ग)	वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद	86	208	-58.65 %
घ)	गैर–तकनीकी पद	52	188	-72.34 %
2.	**परीक्षा द्वारा भर्ती**	**3986***	**4351***	**- 8.39 %**
क)	सिविल पद/सेवाएं	2516*	2892*	- 13.00 %
ख)	रक्षा सेवाएं	1470	1459	+ 0.75 %

*आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवारों सहित

परिशिष्ट–3
(अध्याय–12 देखें)

आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं–छूट संबंधी मामलों, वरिष्ठता, सेवा मामलों से संबंधित

क्र. सं.	विवरण	मामलों की संख्या		
		2020–21	2019–20	प्रतिशत अंतर
1.	छूट संबंधी मामले	08	08	0 %
2.	वरिष्ठता का निर्धारण (मामलों की संख्या)	03	04	(-) 25 %
3.	सेवा मामले	00	01	(-) 100 %

परिशिष्ट–4

(अध्याय– 3 एवं 5 देखें)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या					परीक्षा में वास्तव में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या					उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके साक्षात्कार किए गए/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया					नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या					
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यू एस	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यू एस	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यू एस	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यू एस	आरपी आर
1.	सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 [भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 सहित]	-	1056835	240965	87028	297893	50431	486952	101973	34582	148314	24821	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा,2020	-	10534	1507	758	2924	1002	10343	1466	738	2865	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020	-	1042	147	79	272	97	600	85	34	160	61	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4.	इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020	-	2263	297	136	622	228	1955	253	120	537	175	843	119	53	302	72	-	-	-	-	-	-
5.	भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020	-	22548	6367	1661	6134	660	3214	493	140	997	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	सम्मिलित भू–वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2020	-	720	136	68	161	81	619	118	54	144	70	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
7.	सम्मिलित भूवैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा,2021	-	22238	3017	990	6490	1421	8000	967	373	2492	604	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा, (i), 2020	418	379977	48625	11497	105672	लागू नहीं	162906	16407	3357	47214	लागू नहीं	7571	214	42	1676	लागू नहीं	533	10	3	82	लागू नहीं	1.3
9.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा, (ii), 2020	-	197498	24112	5010	52842	लागू नहीं	115561	11845	2326	31278	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (ii), 2020	-	234343	28094	8185	65647	लागू नहीं	118250	10211	3309	32743	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (i), 2021	-	235290	29982	8751	70570	लागू नहीं	119892	10896	3525	35498	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020	-	296066	67256	24291	85990	11711	89946	14246	6457	28291	4252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सहायक कमांडेंट) (कार्यपालक) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2021	-	871	160	75	लागू नहीं	लागू नहीं	541	87	39	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020	560	43120	6288	1930	12299	1088	20213	2884	913	5852	608	1150	69	46	561	105	522	29	28	241	57	0.93
	कुल	978	2503345	456953	150459	707516	66719	1138992	171931	55967	336385	31761	9564	402	141	2539	177	1055	39	31	323	57	1.07

टिप्पणी : कोविड़–19 महामारी के कारण, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (I) परीक्षा को स्थगित किया गया और उसे बाद में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (II) परीक्षा, 2020 के साथ दिनांक 06.09.2020 को आयोजित किया गया था।

–सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

एन ए–लागू नहीं।

परिशिष्ट–5

(अध्याय– 3 एवं 5 देखें)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019–2020 में आयोजित लेकिन वर्ष 2020–2021 में पूरी की गई/ अंतिम रूप दी गई परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या					परीक्षा में वास्तव में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या					उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके साक्षात्कार किए गए / सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया					नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या					
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यू एस	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यू एस	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यू एस	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यू एस	आरपी आर
1.	**सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019**	927	*11771	*1743	*884	@*3185	*796	*11474	*1685	*859	@3131	*694	2302	295	152	@745	225	$922	$130	$67	$265	$82	0.99
2.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II) 2019	415	*369979	*45128	*10721	*100736	*10411	*270527	*27682	*7000	*74079	*7390	4699	124	23	915	251	662	12	05	82	19	1.60
3.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) 2019	363	*195532	*24520	*7655	*53922	*8758	*101453	*8515	*3044	*28013	*4494	4090	109	31	834	253	275	4	3	**38**	8	0.76
4.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेट) परीक्षा, 2019	330	* 272475	*64245	*23897	*80032	*14001	*87579	*14208	*6650	*28579	*5439	1037	85	63	411	59	264	30	21	81	#	0.80
5.	अनुभाग अधिकारी/ आशुलिपिक (ग्रेड ''बी''/ ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015	940	**2314	**302	**103	लागू नहीं	लागू नहीं	**1781	**223	**72	लागू नहीं	लागू नहीं	795	107	23	लागू नहीं	लागू नहीं	605	102	20	लागू नहीं	लागू नहीं	0.64
6.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) 2020	-	*238983	*33208	*10491	*70953	*13259	*124659	*11910	*4237	*37470	*6940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सहायक कमाडेंट) (कार्यपालक) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2020	-	*1115	*175	*67	लागू नहीं	लागू नहीं	*793	*113	*45	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	2975	*1092169	*169321	*53818	*308828	*47225	*598266	*64336	*21907	*171272	*24957	12923	720	292	2905	788	2728	278	116	466	109	0.92

* आंकड़े पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं ।
**आंकड़े 2015–16 की रिपोर्ट में प्रदान किए गए तथा योग में शामिल नहीं किए गए।
$अदालती मामलों के निर्णय के फलस्वरूप आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है।
@उम्मीदवार की श्रेणी में परिवर्तन के कारण आंकडे में परिवर्तन।
#अदालती मामले का निर्णय आने तक रिक्तियों को रोका गया।
– रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परीक्षाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

परिशिष्ट–6

(अध्याय– 5 देखें)

वर्ष 2020–21 के दौरान आरक्षित सूची के माध्यम से उन परीक्षाओं के संबंध में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या, जिनमें आरक्षित सूची नियम लागू होता है

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या						अभ्युक्तियां
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यूएस	सामान्य	कुल	
1.	सिविल सेवा परीक्षा, 2019*	01*	00*	14*	01*	73*	89*	दिनांक 04.01.2021 को आरक्षित सूची जारी की गई
2.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2019	0	04	34	0	18	56	दिनांक 15.10.20 को आरक्षित सूची जारी की गई
3.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेन्ट) 2018	04	0	24	0	22	50	दिनांक 08.05.2020 को आरक्षित सूची जारी की गई
4.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा, 2019	06	01	54	05	31	97	दिनांक15.03.2021 को आरक्षित सूची जारी की गई
	कुल	**10**	**05**	**112**	**05**	**71**	**203**	

*आंकड़ों को योग में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये आंकड़े पहले ही **परिशिष्ट–5** में शामिल किए जा चुके हैं (सिविल सेवा परीक्षा 2019 में अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या में)

परिशिष्ट–7
(अध्याय– 3 देखें)

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाएं

1. सिविल सेवा परीक्षा, 2020

निम्नलिखित सेवाओं और पदों पर भर्ती हेतु :

i) भारतीय प्रशासनिक सेवा।

ii) भारतीय विदेश सेवा।

iii) भारतीय पुलिस सेवा।

iv) भारतीय डाक और तार लेखा एवं वित्त सेवा, ग्रुप 'क'।

v) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।

vi) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क), ग्रुप 'क'।

vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।

viii) भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), ग्रुप 'क'।

ix) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा ग्रुप 'क' (सहायक कार्य प्रबंधक, प्रशासन)।

x) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क'।

xi) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।

xii) भारतीय रेल यातायात सेवा, ग्रुप 'क'।

xiii) भारतीय रेल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।

xiv) भारतीय रेल कार्मिक सेवा, ग्रुप 'क'।

xv) रेलवे सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा आयुक्त का पद, ग्रुप 'क'।

xvi) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप 'क'।

xvii) भारतीय सूचना सेवा, कनिष्ठ ग्रेड, ग्रुप 'क'।

xviii) भारतीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'क' (ग्रेड III)।

xix) भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा, ग्रुप 'क'।

xx) सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा, ग्रुप 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)।

xxi) दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'।

xxii) दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'।

xxiii) पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'।

xxiv) पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'।

2. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020

भारतीय वन सेवा।

3. भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020

भारतीय सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ समयमान में भर्ती हेतु

4. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020

निम्नलिखित सेवाओं/ पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित परीक्षा :

श्रेणी–I

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में कनिष्ठ वेतनमान पद।

श्रेणी–II

i) रेलवे में सहायक डिवीजनल चिकित्सा अधिकारी।

ii) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी।

iii) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी।

iv) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–II

5. भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2020

भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ समयमान में भर्ती के लिए।

6. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट (ग्रुप 'क') की भर्ती के लिए :

i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)।

ii) केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)।

iii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

iv) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी)

v) सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I) और (II), 2020

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौसेना अकादमी पाठयक्रम (आईएनएसी) के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेश हेतु।

8. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2020 तथा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2021 निम्नलिखित में प्रवेश हेतु :

i) भारतीय सैन्य अकादमी।

ii) भारतीय नौ सेना अकादमी।

iii) वायु सेना अकादमी।

iv) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) पुरूषों के लिए (गैर–तकनीकी) (सं.लो.से.आयोग) पाठ्यक्रम।

v) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) महिला (गैर–तकनीकी) (सं.लो.से.आ.) पाठ्यक्रम।

9. सम्मिलित भू–वैज्ञानिक परीक्षा, 2021

निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए :

श्रेणी–I

रसायनज्ञ, ग्रुप 'क' (भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में पद)।

श्रेणी–II

(केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय में पद)

i) वैज्ञानिक 'ख' (जल विज्ञान) ग्रुप 'क'

ii) वैज्ञानिक 'ख' (रसायन) ग्रुप 'क'

iii) वैज्ञानिक 'ख' (भू–भौतिक) ग्रुप 'क'।

10. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यपालक) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2021

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सहायक कमांडेंट (कार्यपालक) की रिक्तियों को भरने के लिए।

परिशिष्ट–8

(अध्याय– 3 देखें)

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2019 और 2020 में बैठे उम्मीदवारों के परीक्षा के माध्यम (भारतीय भाषाएं/अंग्रेजी) को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमिया	बांग्ला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अ)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
अनिवार्य प्रश्न–पत्र																										
भारतीय भाषाएं	2019	26	56	162	7356	441	.	427	1031	86	212	1	1	.	581	831	56	.	.	6	.	1	.	2	.	11276
	2020	28	73	134	6715	309	.	359	1066	72	184	2	.	1	403	791	38	.	.	3	1	.	.	3	.	10182
निबंध	2019	.	1	67	571	13	.	9	49	.	1	.	.	.	21	8	3	.	.	.	.	.	.	1	10723	11467
	2020	1	2	44	486	6	.	4	43	.	.	.	.	.	25	4	1	.	.	.	.	.	.	.	9720	10336
सामान्य अध्ययन –I	2019	.	1	67	570	13	.	9	49	.	1	.	.	.	21	8	3	.	.	.	.	.	.	1	10705	11448
	2020	1	2	44	484	6	.	4	43	.		.			25	4	1	.	.	.	.	.	.	.	9711	10325
सामान्य अध्ययन –II	2019	.	1	65	565	13	.	9	49	.	1	.	.	.	21	8	3	.	.	.	.	.	.	1	10694	11430
	2020	1	2	44	483	6	.	4	43	.		.			25	4	1	.	.	.	.	.	.	.	9694	10307
सामान्य अध्ययन –III	2019	.	1	66	563	13	.	9	49	.	1	.	.	.	21	8	3	.	.	.	.	.	.	1	10681	11416
	2020	1	2	44	483	6	.	4	43	.		.			25	4	1	.	.	.	.	.	.	.	9680	10293
सामान्य अध्ययन –IV	2019	.	1	65	562	13	.	9	49	.	1	.	.	.	21	8	3	.	.	.	.	.	.	1	10677	11410
	2020	1	2	44	482	6	.	4	43	.		.	.	.	25	4	1	.	.	.	.	.	.	.	9677	10289
वैकल्पिक विषय																										
कृषि–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	123	123
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	111	111

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमिया	बांग्ला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अ)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
कृषि–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	123	123
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	111	111
पशुपालन व पशुचिकि. विज्ञान–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10
पशुपालन व पशु चिकि. विज्ञान–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10
मानव विज्ञान–I	2019	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1171	1174
	2020	.	.	1	2	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1189	1194
मानव विज्ञान–II	2019	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1170	1172
	2020	.	.	1	2	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1185	1190
वनस्पति विज्ञान–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	27
	2020	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	27
वनस्पति विज्ञान–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	27
	2020	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	27
रसायन विज्ञान–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	155	155
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	152	152
रसायन विज्ञान–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	155	155
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	152	152
सिविल इंजीनियरी–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	146	146
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	129	129

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमिया	बांग्ला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अ)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
सिविल इंजीनियरी–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	146	146
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	129	129
वाणिज्य एवं लेखा–I	2019	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	178	180
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	209	209
वाणिज्य एवं लेखा–II	2019	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	177	179
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	207	207
अर्थशास्त्र–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	240	240
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	234	234
अर्थशास्त्र– II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	239	239
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	234	234
वैद्युत इंजीनियरी–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	199	199
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	168	168
वैद्युत इंजीनियरी–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	197	197
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	168	168
भूगोल–I	2019	.	1	2	115	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1777	1897
	2020	.	.	.	75	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1221	1299
भूगोल–II	2019	.	1	2	115	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1776	1896
	2020	.	.	.	75	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1221	1299
भू–विज्ञान–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	29
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	34

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमिया	बांग्ला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अ)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
भू–विज्ञान–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	29
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	34
इतिहास–I	2019	.	.	3	136	.	.	.	15	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	585	743
	2020	.	1	5	93	.	.	.	5	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	468	574
इतिहास–II	2019	.	.	3	136	.	.	.	15	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	585	743
	2020	.	1	5	93	.	.	.	5	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	468	574
विधि–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	185	185
	2020	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	163	164
विधि–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	185	185
	2020	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	162	163
प्रबंधन–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	54
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	38
प्रबंधन–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	54
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	38
गणित–I	2019	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	529	530
	2020	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	568	569
गणित–II	2019	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	526	527
	2020	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	567	568
यांत्रिक इंजीनियरी–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	210	210
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	199	199

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमिया	बांग्ला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अ)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
यांत्रिक इंजीनियरी–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	211	211
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	198	198
चिकित्सा विज्ञान–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	243	243
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	159	159
चिकित्सा विज्ञान–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	243	243
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	159	159
दर्शनशास्त्र–I	2019	.	.	2	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	381	428
	2020	.	.	1	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	302	339
दर्शनशास्त्र–II	2019	.	.	2	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	379	426
	2020	.	.	1	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	302	339
भौतिकी– I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	160	160
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	128	128
भौतिकी– II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	157	157
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	127	127
राजनीति विज्ञान –I	2019	.	.	2	43	.	.	.	18	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1576	1642
	2020	.	.	4	36	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1780	1841
राजनीति विज्ञान –II	2019	.	.	2	43	.	.	.	19	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1576	1643
	2020	.	.	4	35	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1777	1837
मनोविज्ञान–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	163	163
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	152	152

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमिया	बांग्ला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अ)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
मनोविज्ञान–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	163	163
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	151	151
लोक प्रशासन–I	2019	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	681	698
	2020	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	491	502
लोक प्रशासन–II	2019	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	681	698
	2020	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	491	502
समाज–शास्त्र–I	2019	.	.	.	16	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1230	1250
	2020	.	.	2	15	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1215	1235
समाज–शास्त्र–II	2019	.	.	.	16	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1229	1249
	2020	.	.	2	16	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1213	1234
सांख्यिकी–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5
सांख्यिकी–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5
प्राणि–विज्ञान–I	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	43
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	41
प्राणि–विज्ञान–II	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	43
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	41

परिशिष्ट–9
(अध्याय– 3 देखें)

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन दो क्रमिक चरणों में किया जाता है अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा और प्रधान परीक्षा। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहु विकल्पी प्रश्न) के दो अनिवार्य प्रश्न पत्र शामिल हैं। प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हक घोषित उम्मीदवारों द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना उनका अंतिम योग्यता क्रम तैयार करने में नहीं की जाती है। प्रधान परीक्षा में नौ परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता है।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन करने वाले कुल 11,35,261 उम्मीदवारों में से केवल 5,68,282 उम्मीदवार 02 जून, 2019 को आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, के परिणाम के आधार पर 11,845 (2.1%) उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हक घोषित किया गया। इन उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा लिंग–वार विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

तालिका– 1: उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन किया, परीक्षा में बैठे और अर्हता प्राप्त की।

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या								
	आवदेन करने वाले			परीक्षा में बैठे			अर्हता प्राप्त		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	196123	75046	271169	88939	35262	124201	1554	201	1755
अनुसूचित जनजाति	65420	28113	93533	30912	13441	44353	796	95	891
अन्य पिछड़ा वर्ग	212464	93977	306441	117356	47549	164905	2891	320	3211
ईडब्ल्यूएस	39685	12688	52373	21900	6526	28426	948	110	1058
सामान्य	254483	157262*	411745	131564	74833*	206397	4122	808	4930
कुल	**768175**	**367086***	**1135261**	**390671**	**177611***	**568282**	**10311**	**1534**	**11845**

*आंकड़ों में एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है।

1.1 तालिका 1 से देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन करने वाले 11,35,261 उम्मीदवारों में से केवल 5,68,282 या 50.1 प्रतिशत उम्मीदवारों ने ही इस परीक्षा में भाग लिया। दूसरे शब्दों में, आवेदन करने वाले 49.9 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा, परीक्षा में शामिल न होने वाले उम्मीदवारों में अ.जा. श्रेणी के उम्मीदवारों की दर अधिकतम (54.2%) थी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में यह दर सबसे कम (45.7%) थी।

2. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 के लिए आवेदन करने वाले 11,771 उम्मीदवारों में से 11,474 (97.5%) उम्मीदवार सितम्बर 2019 में आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 में बैठे। प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर केवल 2,306 (20.1%) उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की और इनमें से 2,302 उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल हुए और तत्पश्चात आयोग ने 927 रिक्तियों के लिए **922** उम्मीदवारों की सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा,

2019 में बैठे, साक्षात्कार तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की समुदाय–वार तथा लिंग–वार संख्या **तालिका – 2** में दर्शाई गई है।

तालिका–2: सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 में बैठे, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

समुदाय	परीक्षा में बैठे			साक्षात्कार किए गए			अनुशंसित		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	1485	200	1685	240	55	295	102	28	130
अनुसूचित जनजाति	766	93	859	136	16	152	56	11	67
अन्य पिछड़ा वर्ग	2817	314	3131	606	139	745	204	61	265
ईडब्ल्यूएस	624	70	694	195	30	225	71	11	82
सामान्य	4272	833	5105	671	214	885	269	109	378
कुल	**9964**	**1510**	**11474**	**1848**	**454**	**2302**	**702**	**220**	**922**

3. वर्ष 2010 से 2019 तक के दौरान सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरी गई रिक्तियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित) की संख्या दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण **तालिका–3** में दिया गया है:

तालिका– 3 : रिक्तियों की वर्षवार संख्या – सिविल सेवा परीक्षा

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	वर्ष	रिक्तियों की संख्या
2010	1043[$]	2015	1164
2011	1001	2016	1209
2012	1091	2017	1058[#]
2013	1228	2018	812
2014	1364[@]	2019	927*

[$]परिणाम घोषित –1042 पद। (एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी, जिसका परिणाम रोक कर रखा गया था, को रद्द कर दिया गया है।)
[@]परिणाम घोषित –1363 पद।
[#]परिणाम घोषित – 1056 पद।
[*]परिणाम घोषित – 922 पद।

4. पिछली पांच परीक्षाओं में बैठे, साक्षात्कार किए गए और अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को **आरेख–1** में दर्शाया गया है।

आलेख– 1 : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2019 परीक्षाओं में बैठे, साक्षात्कार किए गए और अनुशंसित उम्मीदवार

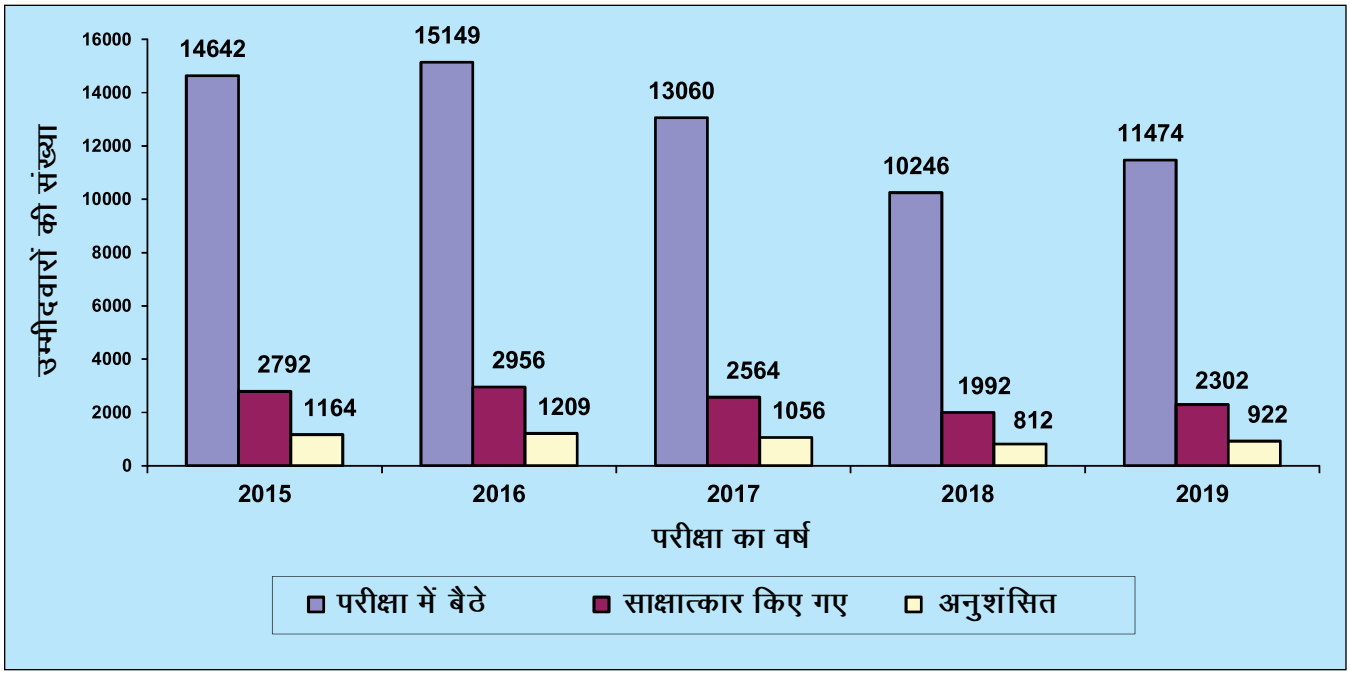

5. मुख्य विषय के आधार पर परीक्षा में उम्मीदवारों की सफलता दर का विवरण **तालिका–4** में दी गई है।

तालिका– 4 : सफलता दर की तुलना में विषयों की मुख्य शाखा

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2019

शैक्षणिक योग्यताएं	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
	साक्षात्कार	अनुशंसित	
I. स्नातक डिग्री	**1736**	**672**	**38.7%**
(i) मानविकी	159	77	48.4%
(ii) विज्ञान	69	27	39.1%
(iii) चिकित्सा विज्ञान	126	44	34.9%
(iv) इंजीनियरी	1382	524	37.9%
II. उच्चतर डिग्रियां	**566**	**250**	**44.2%**
(i) मानविकी	315	146	46.3%
(ii) विज्ञान	92	34	37.0%
(iii) चिकित्सा विज्ञान	27	12	44.4%
(iv) इंजीनियरी	132	58	43.9%
कुल	**2302**	**922**	**40.1%**

टिप्पणी: सफलता दर साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों की प्रतिशतता है।

5.1 इस प्रकार कुल मिलाकर उच्चतर डिग्रीधारी उम्मीदवारों की सफलता दर स्नातक डिग्रीधारी उम्मीदवारों से कुछ अधिक थी।

5.2 जैसा कि तालिका – 4 से देखा से जा सकता है कि कुल 922 या साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों में से 40.1% उम्मीदवारों की विभिन्न सिविल सेवाओं में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। उनमें से 672 (72.9%) स्नातक थे और 250 (27.1%) स्नातकोत्तर या उच्चतर योग्यताधारक थे।

6. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 में बैठे और नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों का वैकल्पिक विषय–वार वितरण और उनकी सफलता दर को **तालिका – 5** में दर्शाया गया है।

तालिका– 5 परीक्षा में बैठे और अनुशंसित उम्मीदवारों का वैकल्पिक विषय–वार विवरण सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2019

क्र. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कृषि	124	13	10.5%
2.	पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	16	3	18.8%
3.	प्राणि–विज्ञान	1189	108	9.1%
4.	वनस्पति विज्ञान	28	2	7.1%
5.	रसायन विज्ञान	156	13	8.3%
6.	सिविल इंजीनियरी	146	15	10.3%
7.	वाणिज्य तथा लेखा	183	20	10.9%
8.	अर्थ–शास्त्र	243	26	10.7%
9.	वैद्युत इंजीनियरी	200	16	8.0%
10.	भूगोल	1916	105	5.5%
11.	भू–विज्ञान	30	0	0.0%
12.	इतिहास	751	51	6.8%
13.	विधि	186	19	10.2%
14.	प्रबंधन	54	6	11.1%
15.	गणित	539	45	8.3%
16.	यांत्रिक इंजीनियरी	213	12	5.6%
17.	चिकित्सा विज्ञान	247	26	10.5%
18.	दर्शन–शास्त्र	439	27	6.2%
19.	भौतिकी	165	12	7.3%
20.	राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध	1662	137	8.2%
21.	मनोविज्ञान	164	15	9.1%
22.	लोक– प्रशासन	705	58	8.2%

क्र. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	समाजशास्त्र	1263	126	10.0%
24.	सांख्यिकी	2	0	0.0%
25.	प्राणि–विज्ञान	44	4	9.1%
26.	असमिया भाषा का साहित्य	3	0	0.0%
27.	बांग्ला भाषा का साहित्य	1	0	0.0%
28.	अंग्रेजी भाषा का साहित्य	31	3	9.7%
29.	गुजराती भाषा का साहित्य	85	3	3.5%
30.	हिंदी भाषा का साहित्य	191	13	6.8%
31.	कन्नड़ भाषा का साहित्य	124	17	13.7%
32.	मैथिली भाषा का साहित्य	53	2	3.8%
33.	मलयालम भाषा का साहित्य	105	13	12.4%
34.	मणिपुरी भाषा का साहित्य	7	0	0.0%
35.	मराठी भाषा का साहित्य	6	0	0.0%
36.	उड़िया भाषा का साहित्य	3	0	0.0%
37.	पंजाबी भाषा का साहित्य	18	1	5.6%
38.	संस्कृत भाषा का साहित्य	53	2	3.8%
39.	सिंधी (देवनागरी लिपि) भाषा का साहित्य	2	1	50.0%
40.	तमिल भाषा का साहित्य	77	5	6.5%
41.	तेलुगु भाषा का साहित्य	32	1	3.1%
42.	उर्दू भाषा का साहित्य	18	2	11.1%

6.1 तालिका – 5 से निम्नलिखित बातें स्पष्ट है:–

(i) उम्मीदवारों द्वारा वैकल्पिक विषयों के रूप में चुने गए विषयों में भूगोल सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त विषय था, उसके बाद राजनीति शास्त्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समाजशास्त्र को वरीयता दी गई थी।

(ii) परीक्षा में 100 या उससे अधिक उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों में से कन्नड़ भाषा का साहित्य लेने वाले उम्मीदवारों का सफलता का प्रतिशत अधिकतम (13.7%) था, उसके बाद मलयालम भाषा का साहित्य (12.4%) और वाणिज्य एवं लेखा का (10.9%) रहा।

(iii) जहां तक अनुशंसित उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का संबंध है, 63.1% इंजीनियरी से और उसके पश्चात 24.2%, 6.6%, 6.1% क्रमशः मानविकी, विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से थे। तथापि, अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा लिए गए वैकल्पिक विषयों में से 82.6% मानविकी विषयों (भाषा साहित्य सहित) से संबंधित थे, उसके पश्चात 9.6%, 4.7% और 3.1% क्रमशः विज्ञान, इंजीनियरी और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि अधिकांश उम्मीदवारों ने परीक्षा में अपने मूल विषयों (अर्थात इंजीनियरी, विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान) को छोड़कर मानविकी के विषयों को चुना।

6.2 पिछली तीन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षाओं में अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा वैकल्पिक विषयों की व्यापक स्ट्रीम के आधार पर चुने गए वैकल्पिक विषयों का विवरण, **आरेख–2** में दर्शाया गया है।

आरेख 2: व्यापक स्ट्रीम के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों का वितरण – सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा (2017–19)

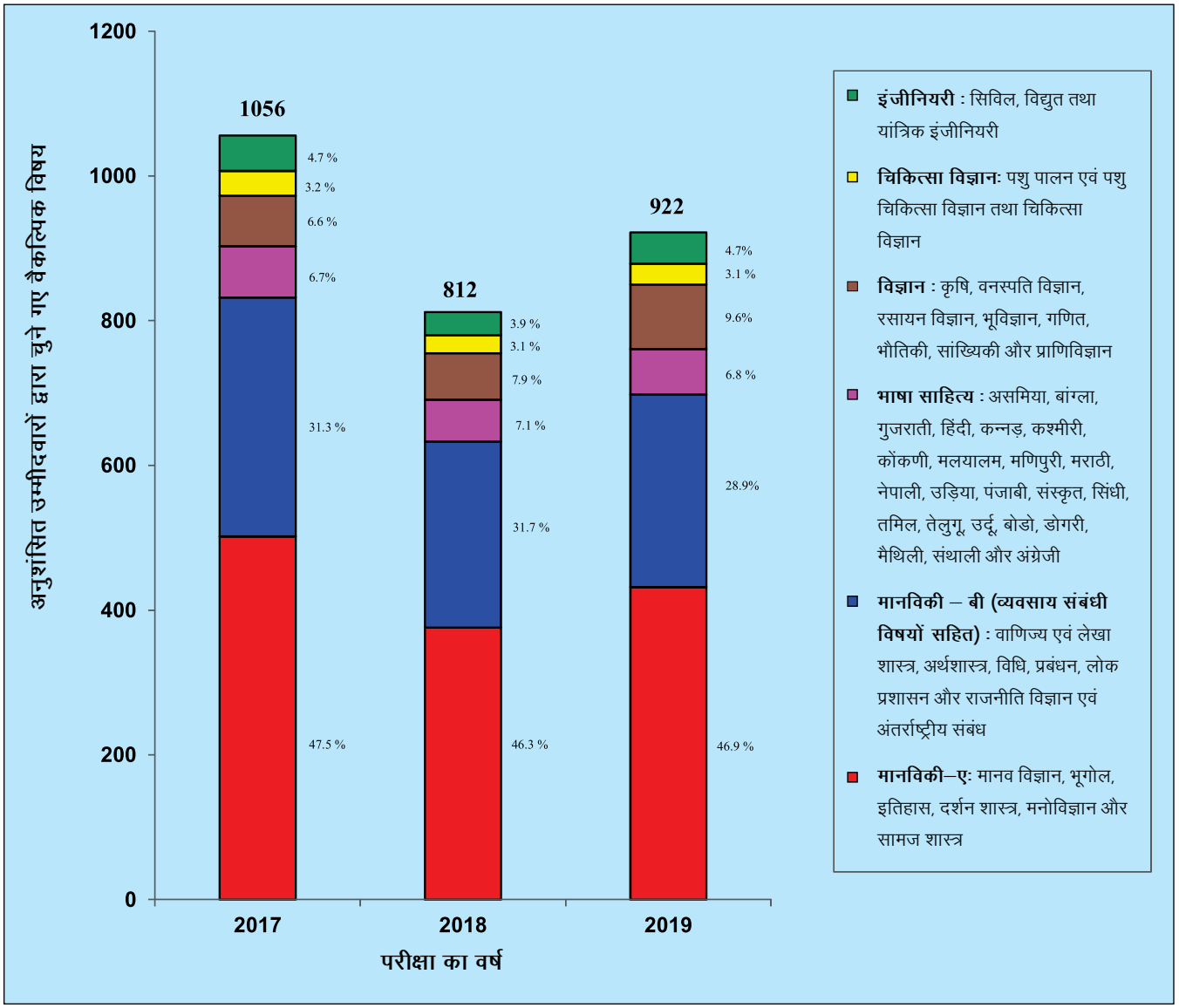

7. नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का पृथक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 130 उम्मीदवार या 14.1% अनुसूचित जाति समुदाय के, 67 उम्मीदवार या 7.3% अनुसूचित जनजाति के, 265 उम्मीदवार या 28.7% अन्य पिछड़े वर्ग से, 82 उम्मीदवार या 8.9% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से तथा 378 उम्मीदवार या 41.0% सामान्य वर्ग से संबंधित थे।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में बैठे और अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय आयु तथा लिंगवार विवरण क्रमशः **तालिका 6–क, 6–ख** और **6–ग** में दिया गया है।

तालिका 6–कः सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 में बैठे उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंगवार विवरण [01.08.2019 को किए गए गणना के अनुसार आयु]

समुदाय	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार			आयु वर्ग									
				21–24 वर्ष		24–26 वर्ष		26–28 वर्ष		28–30 वर्ष		30 वर्ष तथा उससे अधिक	
	पु.	म.	कुल	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	**88939** 71.6%	**35262** 28.4%	**124201** 100%	**22331** 25.1%	**11546** 32.7%	**18669** 21.0%	**7889** 22.4%	**15251** 17.1%	**5824** 16.5%	**11715** 13.2%	**3903** 11.1%	**20973** 23.6%	**6100** 17.3%
अ.ज.जा.	**30912** 69.7%	**13441** 30.3%	**44353** 100%	**7518** 24.3%	**3916** 29.1%	**7119** 23.0%	**3426** 25.5%	**5735** 18.6%	**2462** 18.3%	**4169** 13.5%	**1611** 12.0%	**6371** 20.6%	**2026** 15.1%
अ.पि.व.	**117356** 71.2%	**47549** 28.8%	**164905** 100%	**33318** 28.4%	**17827** 37.5%	**26141** 22.3%	**10973** 23.1%	**20168** 17.2%	**7384** 15.5%	**14797** 12.6%	**4662** 9.8%	**22932** 19.5%	**6703** 14.1%
ईडब्ल्यूएस	**21900** 77.0%	**6526** 23.0%	**28426** 100.0%	**5699** 26.0%	**2301** 35.3%	**5210** 23.8%	**1596** 24.4%	**4522** 20.6%	**1141** 17.5%	**3517** 16.1%	**844** 12.9%	**2952** 13.5%	**644** 9.9%
सामान्य	**131564** 63.7%	**74833*** 36.3%	**206397*** 100.0%	**35741** 27.2%	**26476** 35.4%	**31035** 23.6%	**18077** 24.2%	**26879** 20.4%	**13718** 18.3%	**20602** 15.7%	**9447*** 12.6%	**17307** 13.1%	**7115** 9.5%
कुल	**390671** **68.7%**	**177611*** **31.3%**	**568282*** **100.0%**	**104607** **26.8%**	**62066** **35.0%**	**88174** **22.6%**	**41961** **23.6%**	**72555** **18.6%**	**30529** **17.2%**	**54800** **14.0%**	**20467*** **11.5%**	**70535** **18.0%**	**22588** **12.7%**

प. → पुरुष; म. → महिला; कु → कुल;
*आंकडों में एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है।

तालिका 6–खः सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 में बैठे उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंगवार विवरण [01.08.2019 को किए गए गणना के अनुसार आयु]

समुदाय	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार			आयु वर्ग									
				21–24 वर्ष		24–26 वर्ष		26–28 वर्ष		28–30 वर्ष		30 वर्ष तथा उससे अधिक	
	पु.	म.	कुल	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	**1485** 88.1%	**200** 11.9%	**1685** 100%	**148** 10.0%	**25** 12.5%	**305** 20.5%	**49** 24.5%	**328** 22.1%	**61** 30.5%	**280** 18.9%	**28** 14.0%	**424** 28.5%	**37** 18.5%
अ.ज.जा.	**766** 89.2%	**93** 10.8%	**859** 100%	**93** 12.1%	**12** 12.9%	**167** 21.8%	**27** 29.0%	**175** 22.9%	**31** 33.4%	**163** 21.3%	**11** 11.8%	**168** 21.9%	**12** 12.9%
अ.पि.व.	**2817** 90.0%	**314** 10.0%	**3131** 100%	**334** 11.9%	**42** 13.4%	**631** 22.4%	**92** 29.3%	**731** 25.9%	**92** 29.3%	**520** 18.5%	**49** 15.6%	**601** 21.3%	**39** 12.4%
ईडब्ल्यूएस	**624** 89.9%	**70** 10.1%	**694** 100%	**136** 21.8%	**14** 20.0%	**158** 25.3%	**26** 37.2%	**147** 23.6%	**12** 17.1%	**91** 14.6%	**13** 18.6%	**92** 14.7%	**5** 7.1%
सामान्य	**4272** 83.7%	**833** 16.3%	**5105** 100%	**581** 13.6%	**153** 18.4%	**1160** 27.2%	**256** 30.7%	**1169** 27.4%	**216** 25.9%	**792** 18.5%	**128** 15.4%	**570** 13.3%	**80** 9.6%
कुल	**9964** 86.8%	**1510** 13.2%	**11474** 100%	**1292** 13.0%	**246** 16.3%	**2421** 24.3%	**450** 29.8%	**2550** 25.6%	**412** 27.3%	**1846** 18.5%	**229** 15.2%	**1855** 18.6%	**173** 11.4%

प. → पुरुष; म. → महिला; कु → कुल

तालिका 6–गः सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 में अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंगवार विवरण [01.08.2019 को किए गए गणना के अनुसार आयु]

समुदाय	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार			आयु वर्ग									
				21–24 वर्ष		24–26 वर्ष		26–28 वर्ष		28–30 वर्ष		30 वर्ष तथा उससे अधिक	
	पु.	म.	कुल	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	**102** 78.5%	**28** 21.5%	**130** 100%	**21** 20.6%	**4** 14.3%	**24** 23.5%	**8** 28.6%	**24** 23.5%	**4** 14.3%	**18** 17.7%	**8** 28.5%	**15** 14.7%	**4** 14.3%
अ.ज.जा.	**56** 83.6%	**11** 16.4%	**67** 100%	**7** 12.5%	**0** 0.0%	**15** 26.8%	**3** 27.3%	**12** 21.4%	**5** 45.4%	**13** 23.2%	**1** 9.1%	**9** 16.1%	**2** 18.2%
अ.पि.व.	**204** 77.0%	**61** 23.0%	**265** 100%	**29** 14.2%	**12** 19.7%	**45** 22.1%	**17** 27.9%	**62** 30.4%	**19** 31.1%	**39** 19.1%	**5** 8.2%	**29** 14.2%	**8** 13.1%
ईडब्ल्यूएस	**71** 86.6%	**11** 13.4%	**82** 100%	**9** 12.7%	**2** 18.2%	**22** 31.0%	**4** 36.3%	**17** 23.9%	**2** 18.2%	**15** 21.1%	**1** 9.1%	**8** 11.3%	**2** 18.2%
सामान्य	**269** 71.2%	**109** 28.8%	**378** 100%	**45** 16.7%	**20** 18.3%	**68** 25.3%	**39** 35.8%	**76** 28.2%	**22** 20.2%	**47** 17.5%	**19** 17.4%	**33** 12.3%	**9** 8.3%
कुल	**702** 76.1%	**220** 23.9%	**922** 100%	**111** 15.8%	**38** 17.3%	**174** 24.8%	**71** 32.3%	**191** 27.2%	**52** 23.6%	**132** 18.8%	**34** 15.4%	**94** 13.4%	**25** 11.4%

प. → पुरुष; म. → महिला; कु → कुल

8. **आरेख–3,** सिविल सेवा परीक्षा, 2019 में बैठे **पुरुष उम्मीदवारों** के रूझान को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 में बैठे पुरूष उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशतता (26.8%) 21–24 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवारों की थी लेकिन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 में बैठे अधिकतम 25.6% पुरूष उम्मीदवार 26–28 वर्ष के आयु वर्ग के थे। तथापि, अनुशंसित उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशतता (27.2%) 26–28 वर्ष के आयु वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों की थी।

आरेख – 3 : सिविल सेवा परीक्षा, 2019 में पुरूष उम्मीदवारों का आयु–वार विवरण

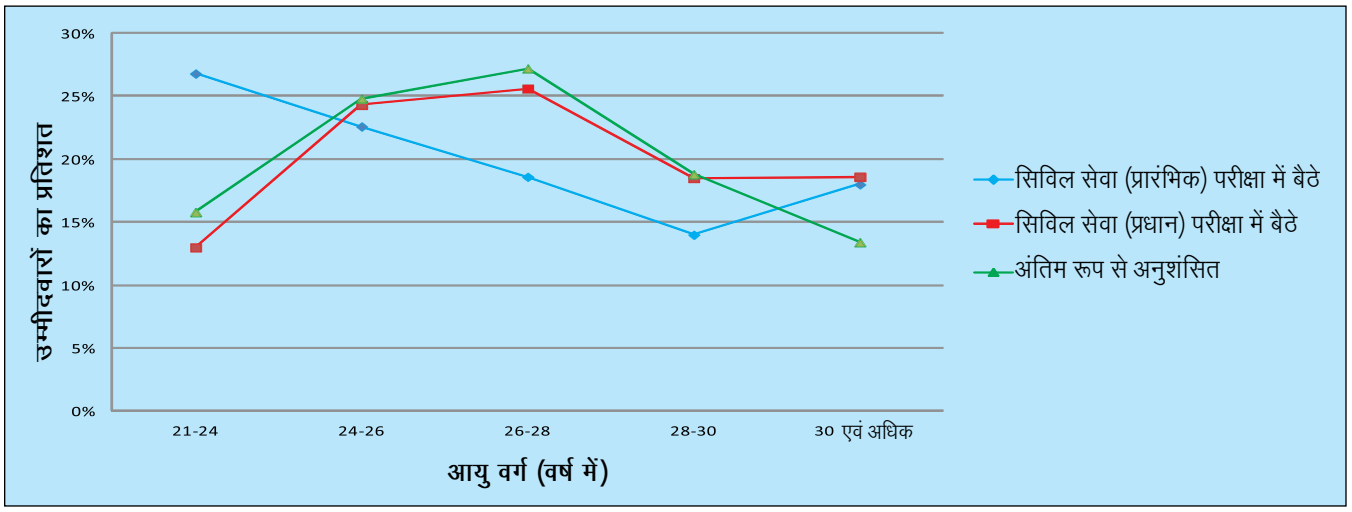

9. **आरेख –4,** सिविल सेवा परीक्षा, 2019 में शामिल हुई **महिला उम्मीदवारों** के रूझान को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 में बैठने वाली महिला उम्मीदवारों में से अधिकतम प्रतिशतता (35.0%) 21–24 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवारों की थी लेकिन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 में बैठने वाली अधिकतम 29.8% महिला उम्मीदवार 24–26 वर्ष के आयु वर्ग की थीं और अनुशंसा के चरण में अनुशंसित महिला उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशतता (32.3%) 24–26 वर्ष के आयु वर्ग की महिला उम्मीदवारों की थी।

आरेख – 4 : सिविल सेवा परीक्षा, 2019 में पुरूष उम्मीदवारों का आयु–वार विवरण

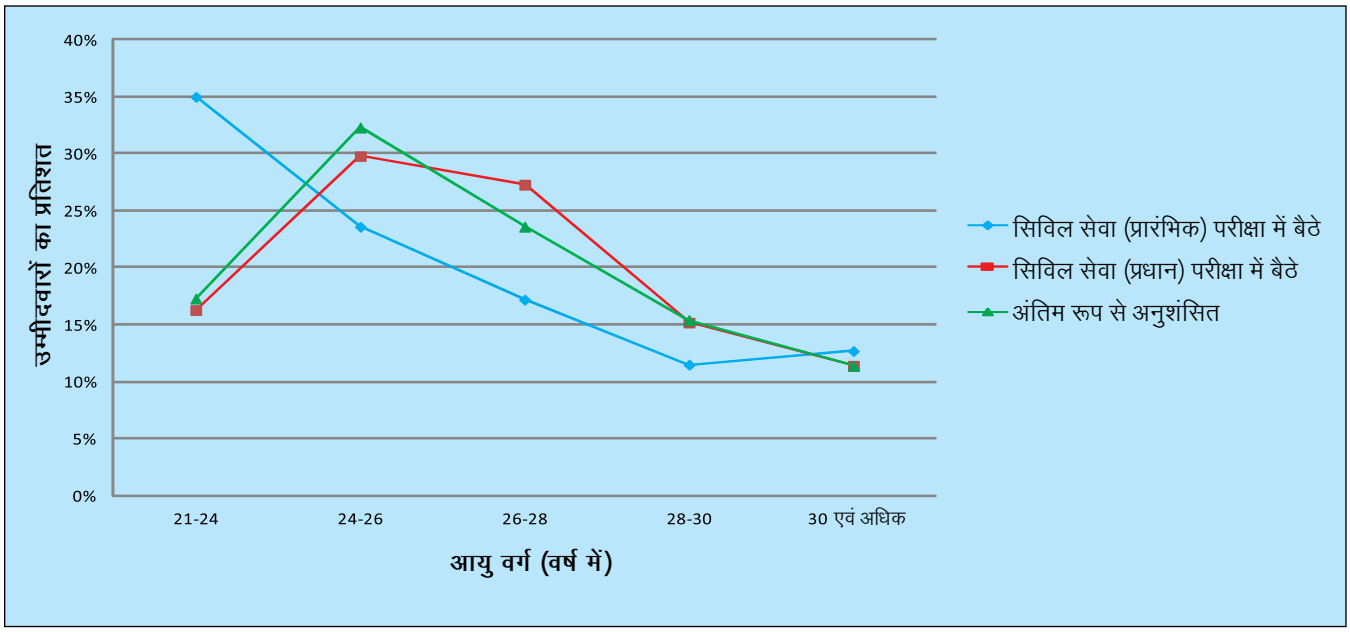

9.1 तालिका 6–ग यह दर्शाती है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशतता 24–26 वर्ष के आयु वर्ग के (26.6%) उम्मीदवारों की थी, उसके बाद 26–28 वर्ष (26.3%), 28–30 वर्ष के आयु वर्ग के (18.0%), 21–24 वर्ष के आयु वर्ग के (16.2%) और 30 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के (12.9%) उम्मीदवारों की थी।

10. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019, में सम्मिलित 1,510 महिला उम्मीदवारों में से कुल 220 की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई और इस प्रकार इनकी सफलता दर 14.6% रही। इसके विपरीत 9,964 पुरूष उम्मीदवारों में से 702 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई, जिनकी सफलता दर 7.0 प्रतिशत रही। इस प्रकार, महिला उम्मीदवारों की सफलता दर पुरूष उम्मीदवारों की तुलना में अपेक्षाकृत काफी अधिक रही।

11 उम्मीदवारों की समुदाय और लिंग–वार सफलता दर– **तालिका–7** में दी गई है:

तालिका–7 : उम्मीदवारों की समुदाय और लिंग–वार सफलता दर–सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019

समुदाय	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार			सफलता दर (प्रतिशत)		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
अ.जा.	1485	200	1685	102	28	130	6.9%	14.0%	7.7%
अ.ज.जा.	766	93	859	56	11	67	7.3%	11.8%	7.8%
अ.पि.व.	2817	314	3131	204	61	265	7.2%	19.4%	8.5%
ईडब्ल्यूएस	624	70	694	71	11	82	11.4%	15.7%	11.8%
सामान्य	4272	833	5105	269	109	378	6.3%	13.1%	7.4%
कुल	9964	1510	11474	702	220	922	7.0%	14.6%	8.0%

11.1 तालिका – 7 से स्पष्ट है कि विभिन्न समुदायों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य श्रेणी से सम्बद्ध महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन उस समुदाय के पुरूष उम्मीदवारों से काफी बेहतर रहा।

12. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कुल 15,768 व्यक्तियों ने आवेदन किया, उनमें से कुल 7,360 उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में उपस्थित हुए और उनमें से 374 उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की। लेकिन केवल 349 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में बैठे और ऐसे 43 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। उनमें से अ.जा. के दो, अ.ज.जा. का एक, अन्य पिछड़े वर्ग के 10, ईडब्ल्यूएस का एक और 29 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार थे। इनमें नियुक्ति के लिए अनुशंसित छह महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा, चार ऐसे उम्मीदवार थे, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में ही परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली। इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले इन 43 उम्मीदवारों में से पांच उम्मीदवार 21–24 आयु–समूह के थे।

12.1 यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि इस परिशिष्ट में दी गई सभी तालिकाओं तथा आरेखों में शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को उनसे संबंधित समुदायों अर्थात अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., आर्थिक रूप से कमजोर तथा सामान्य वर्ग के अनुसार दर्शाया गया है।

13. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में सम्मिलित और अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के लिए किए गए प्रयासों की संख्या का समुदाय और लिंग–वार विवरण **तालिका 8–क, 8–ख** और **8–ग** के साथ–साथ **आरेख–5** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 8– क : परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या : समुदाय और लिंग–वार – सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2019

समुदाय	लिंग	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 और इससे अधिक	
अ.जा.	पुरूष	**44355**	**17476**	**10063**	**6007**	**3782**	**2645**	**1634**	**2977**	**88939**
		49.9%	19.6%	11.3%	6.8%	4.3%	3.0%	1.8%	3.3%	**100%**
	महिला	**21475**	**6520**	**3252**	**1686**	**984**	**567**	**334**	**444**	**35262**
		60.9%	18.5%	9.2%	4.8%	2.8%	1.6%	0.9%	1.3%	**100%**
अ.ज.जा.	पुरूष	**15010**	**6143**	**3561**	**2223**	**1368**	**932**	**595**	**1080**	**30912**
		48.6%	19.9%	11.5%	7.2%	4.4%	3.0%	1.9%	3.5%	**100%**
	महिला	**8209**	**2530**	**1222**	**648**	**372**	**198**	**128**	**134**	**13441**
		61.1%	18.8%	9.1%	4.8%	2.8%	1.5%	0.9%	1.0%	**100%**
अ.पि.व.	पुरूष	**59705**	**23882**	**13143**	**8042**	**5065**	**3433**	**2193**	**1893**	**117356**
		50.9%	20.3%	11.2%	6.9%	4.3%	2.9%	1.9%	1.6%	**100%**
	महिला	**29409**	**9225**	**4187**	**2195**	**1216**	**700**	**381**	**236**	**47549**
		61.8%	19.4%	8.8%	4.6%	2.6%	1.5%	0.8%	0.5%	**100%**
ईडब्ल्यूएस	पुरूष	**10680**	**5128**	**2864**	**1666**	**1040**	**505**	**9**	**8**	**21900**
		48.8%	23.4%	13.1%	7.6%	4.7%	2.3%	0.1%	0.0%	**100%**
	महिला	**3670**	**1516**	**681**	**395**	**183**	**79**	**2**	**0**	**6526**
		56.3%	23.2%	10.4%	6.1%	2.8%	1.2%	0.0%	0.0%	**100%**
सामान्य	पुरूष	**74493**	**27652**	**14082**	**8097**	**4657**	**2471**	**62**	**50**	**131564**
		56.6%	21.0%	10.7%	6.2%	3.5%	1.9%	0.1%	0.0%	**100%**
	महिला	**48572**	**14556***	**6430**	**3111**	**1512**	**646**	**2**	**4**	**74833**
		64.9%	19.4%	8.6%	4.2%	2.0%	0.9%	0.0%	0.0%	**100%**
कुल	पुरूष	**204243**	**80281**	**43713**	**26035**	**15912**	**9986**	**4493**	**6008**	**390671**
		52.3%	20.5%	11.1%	6.7%	4.1%	2.6%	1.2%	1.5%	**100%**
	महिला	**111335**	**34347***	**15772**	**8035**	**4267**	**2190**	**847**	**818**	**177611**
		62.7%	19.3%	8.9%	4.5%	2.4%	1.2%	0.5%	0.5%	**100%**
	कुल	**315578**	**114628***	**59485**	**34070**	**20179**	**12176**	**5340**	**6826**	**568282**
		55.5%	20.2%	10.5%	6.0%	3.6%	2.1%	0.9%	1.2%	100%

टिप्पणी 1: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल छह अवसरों की अनुमति है। तथापि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए तीन अतिरिक्त अवसरों की अनुमति है।
*आंकड़ों में एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल है।

तालिका 8– ख : परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या : समुदाय और लिंग–वार – सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2019

समुदाय	लिंग	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 – और इससे अधिक	
अ.जा.	पुरूष	**65**	**173**	**214**	**209**	**229**	**197**	**138**	**260**	**1485**
		4.4%	11.6%	14.4%	14.1%	15.4%	13.3%	9.3%	17.5%	100%
	महिला	**10**	**27**	**27**	**38**	**36**	**25**	**19**	**18**	**200**
		5.0%	13.5%	13.5%	19.0%	18.0%	12.5%	9.5%	9.0%	100%
अ.ज.जा.	पुरूष	**35**	**76**	**114**	**110**	**121**	**97**	**78**	**135**	**766**
		4.6%	9.9%	14.9%	14.3%	15.8%	12.7%	10.2%	17.6%	100%
	महिला	**7**	**16**	**18**	**6**	**18**	**16**	**6**	**6**	**93**
		7.5%	17.2%	19.3%	6.5%	19.3%	17.2%	6.5%	6.5%	100%
अ.पि.व.	पुरूष	**162**	**416**	**465**	**474**	**466**	**408**	**238**	**188**	**2817**
		5.8%	14.8%	16.5%	16.8%	16.5%	14.5%	8.4%	6.7%	100%
	महिला	**22**	**52**	**68**	**53**	**53**	**33**	**21**	**12**	**314**
		7.0%	16.6%	21.6%	16.9%	16.9%	10.5%	6.7%	3.8%	100%
ईडब्ल्यूएस	पुरूष	**83**	**135**	**151**	**94**	**91**	**69**	**0**	**1**	**624**
		13.3%	21.6%	24.2%	15.1%	14.6%	11.0%	0.0%	0.2%	100%
	महिला	**5**	**22**	**16**	**16**	**6**	**5**	**0**	**0**	**70**
		7.1%	31.4%	22.9%	22.9%	8.6%	7.1%	0.0%	0.0%	100%
सामान्य	पुरूष	**378**	**885**	**885**	**955**	**697**	**439**	**22**	**11**	**4272**
		8.8%	20.7%	20.7%	22.4%	16.3%	10.3%	0.5%	0.3%	100%
	महिला	**95**	**165**	**191**	**191**	**129**	**62**	**0**	**0**	**833**
		11.4%	19.8%	22.9%	22.9%	15.5%	7.5%	0.0%	0.0%	100%
कुल	पुरूष	**723**	**1685**	**1829**	**1842**	**1604**	**1210**	**476**	**595**	**9964**
		7.2%	16.9%	18.4%	18.5%	16.1%	12.1%	4.8%	6.0%	100%
	महिला	**139**	**282**	**320**	**304**	**242**	**141**	**46**	**36**	**1510**
		9.2%	18.7%	21.2%	20.1%	16.0%	9.3%	3.1%	2.4%	100%
	कुल	**862**	**1967**	**2149**	**2146**	**1846**	**1351**	**522**	**631**	**11474**
		7.5%	17.1%	18.7%	18.7%	16.1%	11.8%	4.6%	5.5%	100%

टिप्पणी 1: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल छः अवसरों की अनुमति है। तथापि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए तीन अतिरिक्त अवसरों की अनुमति है।

तालिका 8– ग : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 में बैठे अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या : समुदाय और लिंग–वार

समुदाय	लिंग	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 – और इससे अधिक	
अ.जा.	पुरूष	**3**	**20**	**16**	**16**	**18**	**15**	**8**	**6**	**102**
		2.9%	19.6%	15.7%	15.7%	17.7%	14.7%	7.8%	5.9%	**100%**
	महिला	**1**	**2**	**7**	**6**	**4**	**3**	**3**	**2**	**28**
		3.6%	7.1%	25.0%	21.5%	14.3%	10.7%	10.7%	7.1%	**100%**
अ.ज.जा.	पुरूष	**2**	**6**	**8**	**8**	**10**	**13**	**5**	**4**	**56**
		3.6%	10.7%	14.3%	14.3%	17.9%	23.2%	8.9%	7.1%	**100%**
	महिला	**1**	**1**	**2**	**0**	**4**	**1**	**1**	**1**	**11**
		9.1%	9.1%	18.2%	0.0%	36.3%	9.1%	9.1%	9.1%	**100%**
अ.पि.व.	पुरूष	**17**	**34**	**28**	**40**	**34**	**28**	**18**	**5**	**204**
		8.3%	16.7%	13.7%	19.6%	16.7%	13.7%	8.8%	2.5%	**100%**
	महिला	**6**	**9**	**17**	**14**	**8**	**4**	**2**	**1**	**61**
		9.8%	14.8%	27.9%	22.9%	13.1%	6.6%	3.3%	1.6%	**100%**
ईडब्ल्यूएस	पुरूष	**6**	**8**	**22**	**14**	**12**	**9**	**0**	**0**	**71**
		8.4%	11.3%	31.0%	19.7%	16.9%	12.7%	0.0%	0.0%	**100%**
	महिला	**0**	**6**	**0**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**11**
		0.0%	54.5%	0.0%	18.2%	9.1%	18.2%	0.0%	0.0%	**100%**
सामान्य	पुरूष	**21**	**47**	**58**	**57**	**47**	**35**	**3**	**1**	**269**
		7.8%	17.5%	21.5%	21.2%	17.5%	13.0%	1.1%	0.4%	**100%**
	महिला	**14**	**19**	**24**	**26**	**17**	**9**	**0**	**0**	**109**
		12.8%	17.4%	22.0%	23.9%	15.6%	8.3%	0.0%	0.0%	**100%**
कुल	पुरूष	**49**	**115**	**132**	**135**	**121**	**100**	**34**	**16**	**702**
		7.0%	16.4%	18.8%	19.2%	17.2%	14.3%	4.8%	2.3%	**100%**
	महिला	**22**	**37**	**50**	**48**	**34**	**19**	**6**	**4**	**220**
		10.0%	16.8%	22.7%	21.8%	15.5%	8.7%	2.7%	1.8%	**100%**
	कुल	**71**	**152**	**182**	**183**	**155**	**119**	**40**	**20**	**922**
		7.7%	16.5%	19.7%	19.9%	16.8%	12.9%	4.3%	2.2%	**100%**

टिप्पणी 1: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल छह अवसरों की अनुमति है। तथापि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए तीन अतिरिक्त अवसरों की अनुमति है।

आरेख – 5 : सिविल सेवा परीक्षा, 2019 में उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या

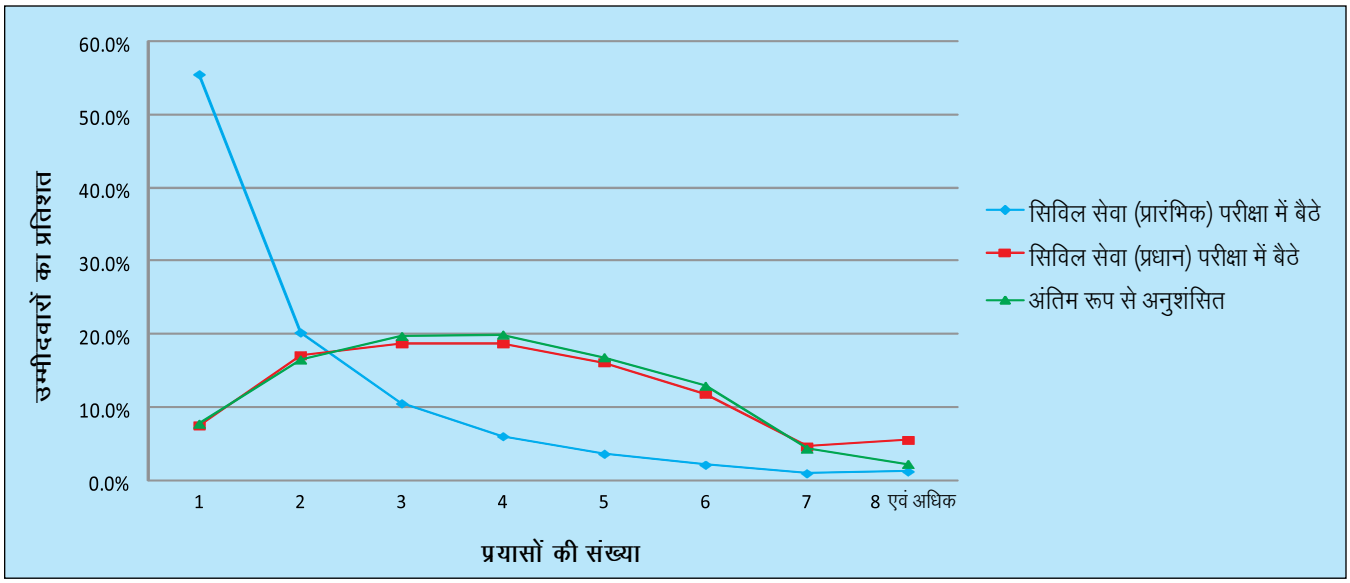

13.1 **तालिका 8–क** और **8–ग** से यह स्पष्ट होता है कि 55.5% उम्मीदवार प्रथम प्रयास में सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 में बैठे, लेकिन उनमें से केवल 7.7% उम्मीदवार ही अपने प्रथम प्रयास में परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर सके। इसके अलावा द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रयास में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 16.5%, 19.7%, 19.9% था।

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2020 एवं भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 के परिणाम, दिनांक 31.03.2021 तक जारी नहीं किया गया था एवं इसकी सूचना आयोग की 72वीं वार्षिक रिपोर्ट में दी जाएगी।

परिशिष्ट–12
(अध्याय–4 देखें)

इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पदों की मंत्रालयवार संख्या, जिन्हें वर्ष 2020–21 के दौरान विज्ञापित किया गया

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या				कुल
		इंजीनियरिंग	चिकित्सा	वैज्ञानिक एवं तकनीकी (इंजीनियरिंग को छोड़कर)	गैर–तकनीकी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	-	-	2	1	3
2.	आयुष	-	36	1	-	37
3.	चंडीगढ़ प्रशासन	2	-	-	-	2
4.	रसायन एवं उर्वरक	-	-	1	-	1
5.	वाणिज्य एवं उद्योग	-	-	5	-	5
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	6	-	-	-	6
7.	कारपोरेट कार्य मामले	-	-	-	3	3
8.	संस्कृति	4	-	-	-	4
9.	रक्षा	37	2	14	-	53
10.	वित्त	-	-	-	2	2
11.	मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी	1	3	-	-	4
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	-	7	184	80	271
13.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	482	9	-	491
14.	गृह मंत्रालय	-	-	26	11	37
15.	जल शक्ति	1	4	1	-	6
16.	श्रम एवं रोजगार	10	-	-	-	10
17.	विधि एवं न्याय	-	-	-	3	3
18.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	18	-	-	-	18
19.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	-	-	-	69	69
20.	पोत परिवहन	6	-	-	-	6
21.	पर्यटन	-	-	-	13	13
कुल		85	534	243	182	1044

परिशिष्ट—13
(अध्याय—4 देखें)

इंजीनियरी पदों का विषयवार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2020—21 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय		के लिए आरक्षित पद					आवेदन किया					साक्षात्कार के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार लिया गया					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत
		पद	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	**29**
1.	वास्तुकला	15	1	0	3	0	11	248	22	358	0	785	4	1	12	0	26	4	1	10	0	22	2	0	4	0	7	86.67
2.	सिविल	9	1	0	1	1	6	191	40	386	3	754	7	1	13	0	37	4	1	7	0	22	1	0	2	0	5	88.89
3.	विद्युत	8	0	0	2	0	6	27	10	164	4	267	0	0	8	0	9	0	0	7	0	7	0	0	1	0	1	25.00
4.	विद्युत / यांत्रिकी	1	0	0	0	0	1	19	4	83	0	136	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	100.00
5.	यांत्रिकी	10	1	2	2	1	4	337	102	749	20	1166	18	9	27	2	32	14	5	23	1	30	1	2	2	0	4	90.00
6.	धातुविज्ञान	7	1	0	1	0	5	147	17	129	0	231	16	0	12	0	35	15	0	8	0	29	1	0	1	0	5	100.00
7.	विद्युत/ इलेक्ट्रॉनिक्स	2	0	1	1	0	0	0	66	259	0	0	0	5	7	0	0	0	5	6	0	0	0	1	1	0	0	100.00
8.	इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार	1	0	0	0	0	1	62	19	209	0	369	2	0	6	0	7	0	0	4	0	4	0	0	1	0	0	100.00
9.	पर्यावरणीय इंजीनियरी	2	0	0	1	0	1	9	1	15	0	35	0	0	2	0	14	0	0	1	0	11	0	0	0	0	1	50.00
10.	सूचना प्रोद्यौगिकी	1	0	0	0	0	1	160	29	262	0	520	1	0	1	0	7	0	0	1	0	5	0	0	0	0	1	100.00
11.	प्लास्टिक/ पॉलीमर प्रोद्यौगिकी	7	1	1	0	0	5	34	5	78	0	147	5	2	0	0	24	3	2	0	0	13	1	0	0	0	4	71.43
12.	विविध	1	0	0	0	0	1	7	1	6	0	43	1	1	0	0	14	1	0	0	0	5	0	0	0	0	1	100.00
	कुल	64	5	4	11	2	42	1241	316	2698	27	4453	54	19	90	2	206	41	14	69	1	148	6	3	13	0	29	**79.69**
			अ.जा. : अनुसूचित जाति ;					अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति					अ.पि.व. : अन्य पिछड़ा वर्ग					ई.डब्ल्यू.एस. : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					अना : अनारक्षित					
			कुल पद : 64					आवेदन किए गए : 8735					साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार : 371					साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार : 273					अनुशंशित : 51					

परिशिष्ट–14
(अध्याय–4 देखें)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का विषयवार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2020–21 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय		के लिए आरक्षित पद					आवेदन किया					साक्षात्कार के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार लिया गया					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत
		पद	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	कृषि / कृषिविज्ञान / कीटविज्ञान	7	1	0	2	0	4	55	15	144	0	120	28	0	44	0	42	25	0	31	0	32	1	0	3	0	3	100.00
2.	जैव–रसायन शास्त्र	1	0	0	0	0	1	11	2	35	2	115	0	0	1	0	5	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	100.00
3.	वनस्पति विज्ञान	1	0	0	0	0	1	64	13	169	3	545	1	0	2	0	8	1	0	2	0	7	0	0	0	0	1	100.00
4.	रसायन विज्ञान	19	2	0	2	1	14	369	35	952	23	1545	30	5	57	0	88	23	1	35	0	57	2	0	5	0	10	89.47
5.	भू–विज्ञान	50	5	3	12	5	25	629	299	1562	135	1752	17	10	73	17	43	6	9	65	13	39	5	3	21	5	16	100.00
6.	भू–भौतिकी	4	0	1	1	0	2	19	18	132	0	130	2	6	20	0	13	2	6	14	0	12	0	1	2	0	1	100.00
7.	शूक्ष्मजीवविज्ञान/ जीवाणुविज्ञान/ पैथोलॉजी	2	0	1	0	1	0	0	66	0	71	0	0	7	0	8	0	0	5	0	6	0	0	1	0	1	0	100.00
8.	भौतिकी	1	0	0	0	0	1	4	1	9	0	14	0	0	2	0	5	0	0	2	0	5	0	0	1	0	0	100.00
9.	कंप्यूटर विज्ञान / एप्लीकेशन	1	0	0	0	0	1	61	8	153	5	379	1	0	2	0	9	1	0	2	0	6	0	0	0	0	1	100.00
	कुल	**86**	**8**	**5**	**17**	**7**	**49**	**1212**	**457**	**3156**	**239**	**4600**	**79**	**28**	**201**	**25**	**213**	**58**	**21**	**152**	**19**	**162**	**8**	**5**	**32**	**6**	**33**	**97.67**
			अ.जा. : अनुसूचित जाति ;					अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति					अ.पि.व. : अन्य पिछड़ा वर्ग					ई.डब्ल्यू.एस. : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					अना : अनारक्षित					
			कुल पद : 86					आवेदन किए गए : 9664					साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार : 546					साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार : 412					अनुशंशित : 84					

परिशिष्ट–15
(अध्याय–4 देखें)

गैर–तकनीकी पदों का विषयवार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2020–21 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय		के लिए आरक्षित पद					आवेदन किया					साक्षात्कार के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार लिया गया					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत
		पद	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	लागत निर्धारण सहित लेखा शास्त्र	11	2	0	3	0	6	114	12	400	6	1305	7	0	14	0	23	7	0	12	0	21	2	0	3	0	4	81.82
2.	प्रशासन/ लोक प्रशासन	9	1	1	2	0	5	994	334	1784	0	3302	4	2	10	0	8	4	1	9	0	4	1	1	3	0	4	100.00
3.	कला–ललित/ वाणिज्य	8	1	0	0	0	7	99	14	106	0	260	9	1	7	0	33	7	0	4	0	26	1	0	1	0	6	100.00
4.	वाणिज्य	1	0	0	0	0	1	17	1	20	2	62	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00
5.	इतिहास	1	0	0	0	0	1	26	14	48	0	117	1	1	1	0	6	0	1	1	0	6	0	0	1	0	0	100.00
6.	भाषा – विदेशी	1	0	0	0	0	1	22	4	36	3	87	1	0	5	1	10	0	0	3	1	7	0	0	1	0	0	100.00
7.	विधि	17	3	2	4	1	7	338	89	449	63	983	16	8	30	6	22	15	8	26	6	19	3	2	7	0	4	94.12
8.	सामाजिक विज्ञान / सामाजिक कार्य	1	0	0	1	0	0	0	0	231	0	0	0	0	8	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	100.00
9.	पुस्तकालय विज्ञान	3	1	0	0	0	2	24	2	20	2	61	3	0	6	1	13	3	0	5	1	9	1	0	1	1	0	100.00
	कुल	52	8	3	10	1	30	1634	470	3094	76	6177	42	12	82	8	115	37	10	67	8	92	9	3	18	1	18	94.23
			अ.जा. : अनुसूचित जाति ;					अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति					अ.पि.व. : अन्य पिछड़ा वर्ग					ई.डब्ल्यू.एस. : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					अना : अनारक्षित					
			कुल पद : 52					आवेदन किए गए : 11451					साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारः 259					साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार : 214					अनुशंशित : 49					

परिशिष्ट–16
(अध्याय–4 देखें)

विषयवार चिकित्सा पद, जिनके लिए वर्ष 2020–21 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय		आरक्षित पदों के लिए					आवेदन किया					साक्षात्कार के लिए बुलाए गए					साक्षात्कार लिया गया					अनुशंसित					पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत
		पद	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	अ जा	अ ज जा	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ ना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	हृदयरोग विज्ञान	19	4	3	5	0	7	4	4	12	0	71	3	4	8	0	62	3	3	7	0	35	3	3	5	0	6	89.47
2.	जठरांत्र विज्ञान	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	100.00
3.	मेडीसीन	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	20	1	0	0	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	100.00
4.	नेफ्रोलॉजी	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5.	तंत्रिकाविज्ञान/ तंत्रिका–शल्यचिकित्सा	7	1	1	2	1	2	0	0	3	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	28.57
6.	बालचिकित्सा	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	11	0	0	1	0	9	0	0	1	0	5	0	0	0	0	1	100.00
7.	पैथोलॉजी/ जीवाणुविज्ञान/ सूक्ष्मजीवविज्ञान	2	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	100.00
8.	फिजियोलॉजी	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	10	1	0	1	0	8	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	100.00
9.	निवारक एवं जन चिकित्सा	1	0	0	0	0	1	4	0	2	0	21	2	0	2	0	13	1	0	0	0	5	0	0	0	0	1	100.00
10.	मूत्रविज्ञान	7	1	0	1	0	5	3	0	4	0	37	2	0	3	0	28	0	0	1	0	18	0	0	0	0	5	71.43
11.	एनोक्रिनोलोजी	14	2	2	5	1	4	0	1	0	0	12	0	1	0	0	9	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	21.43
12.	ऑनकोलोजी	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	33.33
13.	सिद्धा	1	0	0	0	0	1	26	2	77	1	26	2	0	9	0	2	1	0	6	0	2	0	0	1	0	0	100.00
14.	पशुचिकित्सा विज्ञान/ पशुपालन	1	0	0	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	100.00
15.	विविध	9	1	0	2	0	6	7	0	4	0	24	5	0	1	0	13	5	0	0	0	8	1	0	0	0	5	66.67
	कुल	**70**	**9**	**8**	**17**	**2**	**34**	**46**	**12**	**119**	**2**	**249**	**16**	**10**	**30**	**0**	**168**	**11**	**6**	**18**	**0**	**91**	**4**	**5**	**8**	**0**	**27**	**62.86**
			अ.जा. : अनुसूचित जाति ;					अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति					अ.पि.व. : अन्य पिछड़ा वर्ग					ई.डब्ल्यू.एस. : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					अना : अनारक्षित					
			कुल पद : 70					आवेदन किए गए : 428					साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार: 224					साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार : 126					अनुशंशित : 144					

परिशिष्ट–17
(अध्याय–4 देखें)

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सी.बी.आर.टी.)

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹)	आवेदन करने वाले उम्मीदवार	परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार
1–2	चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (होम्योपैथी), आयुष मंत्रालय और सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	36 7	56100–177500 (लेवल–11) 56100–177500 (लेवल–11)	9281 3716	5457 2529
3–4	चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद), आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	37 9	56100–177500 (लेवल–11) 56100–177500 (लेवल–11)	15000 6508	7668 3561

परिशिष्ट–18
(अध्याय–4 देखें)

वर्ष 2020–21 के दौरान अंतिम रूप दिए गए विपुल (बल्क) भर्ती वाले मामले

क्र. सं.	पद का नाम/मंत्रालय एवं वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रशासनिक अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, रक्षा मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 56100–177500)	8	5386	8
2.	सहायक जलभूविज्ञानी, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (लेवल 8: ₹ 47600–151100)	50	4377	50
3.	सहायक निदेशक (लागत), मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 56100–177500)	10	1610	8
4.	उप वास्तुकार, मिलिटरी इंजीनियरी सेवाएं, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	7	1346	7
5.	प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, पशुपालन विभाग, डेयरी एवं मत्स्य पालन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 56100–177500)	1	1028	1
6.	उप अधीक्षक पुरातत्व रसायनज्ञ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	2	1009	2

क्र. सं.	पद का नाम/मंत्रालय एवं वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	वैज्ञानिक–बी (रसायनज्ञ), केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	6	979	6
8.	सूचना प्रौद्योगिकी में व्याख्याता, शासकीय पॉलीटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन और दीव प्रशासन (लेवल 11: ₹ 56100–177500)	1	971	1
9.	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल), लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय, जहाजरानी मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 56100–177500)	4	950	4
10.	ट्रेड मार्क और भौगोलिक संकेतकों के वरिष्ठ परीक्षक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	10	879	9
11.	कंपनी अभियोजक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900–142400)	5	822	5
12.	वैज्ञानिक 'बी' (जीव विज्ञान), केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	1	794	1

क्र. सं.	पद का नाम/मंत्रालय एवं वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	1	659	1
14.	सहायक निदेशक (स्टाफ प्रशिक्षण/उत्पादकता), कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	1	607	1
15.	सिस्टम एनालिस्ट, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	1	606	1
16.	रसायनज्ञ एवं धातुविद्, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 67700–208700)	7	524	7
	कुल	**115**	**22547**	**112**

परिशिष्ट–19

(अध्याय–7 देखें)

संवर्ग को दर्शाने वाला विवरण, जहां भा.प्र.से. (रा.सि.से.), भा.पु.से. एवं भा.व.से. संवर्ग और भा.प्र.से. (गैर–रा.सि.से.) के संबंध में 2019 में कोई चयन सूची तैयार की जानी अपेक्षित नहीं थी–शून्य रिक्ति/कोई पात्र नहीं

क्र.सं.	संवर्ग/उप–संवर्ग	सेवा
1.	आंध्र प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
2.	बिहार	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
3.	हरियाणा	भा.प्र.से.
4.	हिमाचल प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
5.	हिमाचल प्रदेश	भा.व.से.
6.	झारखंड	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
7.	मध्य प्रदेश	भा.प्र.से (गैर–राज्य सिविल सेवा)
8.	मणिपुर	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
9.	मेघालय	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
10.	ओडिशा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
11.	पंजाब	भा.व.से.
12.	सिक्किम	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
13.	सिक्किम	भा.पु.से.
14.	तेलंगाना	भा.व.से.
15.	त्रिपुरा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
16.	उत्तर प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
17.	मिजोरम	भा.प्र.से.
18.	मिजोरम	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
19.	गोवा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
20.	गोवा	भा.पु.से.
21.	संघ राज्य क्षेत्र	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)

संकेतक :

भा.प्र.से. – भारतीय प्रशासनिक सेवा

भा.पु.से. – भारतीय पुलिस सेवा

भा.व.से. – भारतीय वन सेवा

रा.सि.से.– राज्य सिविल सेवा

परिशिष्ट–20
(अध्याय–7 देखें)

अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन– वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बैठकें

1. **आयोजित बैठकें**:– वर्ष 2020–21 के दौरान, आयोग ने 53 चयन समिति की बैठकें आयोजित कीं, जिनमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य सिविल सेवाओं, गैर–राज्य सिविल सेवाओं, राज्य पुलिस सेवाओं तथा राज्य वन सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा में समावेशन के लिए 1463 अधिकारियों के मामले शामिल थे।

   (i) **भा.प्र.से. (रा.सि.से.)**:– आयोग को वर्ष 2019 तथा पूर्व वर्षों की विद्यमान रिक्तियों की चयन सूचियां तैयार करने के लिए 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 23 संवर्गों के संबंध में राज्य सिविल सेवा से भा.प्र.से. में समावेशन के लिए चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। एक संवर्ग के प्रस्ताव में कमी थी, जिसके संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।

   (ii) **भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)**:– वर्ष के दौरान, आयोग में वर्ष 2019 के लिए भा.प्र.से. में चयन द्वारा नियुक्ति हेतु गैर–राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए 09 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 08 संवर्गों के संबंध में बैठकें आयोजित की गईं। एक संवर्ग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विलंब से सूचना प्राप्त होने पर चयन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

   (iii) **भा.पु.से.**:– आयोग को वर्ष 2019 की विद्यमान रिक्तियों और पिछले वर्ष की रिक्तियों के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 16 संवर्गों के लिए राज्य पुलिस सेवा से भा.पु.से. में समावेशन हेतु चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। पांच संवर्गों के प्रस्तावों में कमी थी जिनके संबंध में संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।

   (iv) **भा.व.से.**:– आयोग को वर्ष 2019 की विद्यमान रिक्तियों और पिछले वर्षों की रिक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य वन सेवा से भा.व.से. में समावेशन हेतु 06 संवर्ग/उप–संवर्गों के संबध में चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। आठ संवर्गो के प्रस्तावों में कमी थी तथा जिनके संबंध में संबंधित राज्य सरकार के दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।

2. **वर्षवार चयन सूचियां तैयार करना**:– वर्ष 2020–21 के दौरान, निम्नलिखित संवर्गों/उप–संवर्गों के संबंध में पिछले वर्षों की चयन सूचियां भी तैयार की गईं:–

संवर्ग	सेवा	तैयार की गई चयन सूचियां
बिहार	भा.प्र.से.	2016 एवं 2017
झारखंड	भा.प्र.से.	2017 एवं 2018
केरल	भा.प्र.से.	2018
केरल	भा.पु.से.	2017
महाराष्ट्र	भा.प्र.से.	2018
महाराष्ट्र	भा.पु.से.	2017 एवं 2018
मेघालय	भा.व.से.	2017 एवं 2018
ओडिशा	भा.व.से.	2015, 2016, 2017 एवं 2018
पंजाब	भा.पु.से.	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018
सिक्किम	भा.व.से.	2018
अरुणाचल प्रदेश	भा.प्र.से.	2017
अरुणाचल प्रदेश	भा.पु.से.	2014, 2015, 2016 एवं 2017

3. **पुनरीक्षा चयन समिति बैठकें**:– केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, वर्ष 2020–21 के दौरान पुनरीक्षण चयन समिति की 06 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 112 अधिकारियों के मामले शामिल थे। **(परिशिष्ट–21)**

परिशिष्ट–21
(अध्याय–7 देखें)

2020–21 में आयोजित पुनरीक्षा चयन समिति (आरएससीएम) बैठकें

क्र. सं.	राज्य	न्यायालय का नाम	ओए/डब्ल्यूपी/ सीपी संख्या	श्री/श्रीमती के मामले में	निर्णय की तारीख	बैठक की तारीख	विचार किए गए अधि.की सं.	अनुसंशित अधिकारियों की संख्या	संबंधित सेवा	चयन सूची
1.	उत्तराखंड	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	डब्ल्यूपी सं. 45178/2004	अशोक कुमार	12.12.2017	09.06.2020	1	1	भा.प्र.से.	2010
2.	राजस्थान	उच्च न्यायालय, जयपुर	डीबी सीडब्ल्यूपी सं. 7472/13 में डीबीसीएमए सं. 104/16	रमेश चंद्र जैन एवं अन्य	23.09.16	25.09.2020	90	64	भा.प्र.से.	2013 से 2018
3.	ओडिशा	केन्द्रीय प्रशा. अधि., कटक	ओ.ए. सं. 260/944/15	दुर्योधन बेहरा	15.03.19	17.12.2020	1	1	भा.व.से.	2003
4.	ओडिशा	केन्द्रीय प्रशा. अधि., कटक	ओ.ए. सं. 260/620/12	पी.के. मिश्रा	05.08.2019	18.12.2020	1	शून्य	भा.प्र.से.	2010
5.	जम्मू एवं कश्मीर	उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू	एसडब्ल्यूपी सं. 1290/2013	देव लता	05.06.2018	28.12.2020	18	6	भा.प्र.से.	2010
6.	उत्तर प्रदेश	उच्च न्यायालय, लखनऊ	डब्ल्यूपी सं. 1731/2014	विनय कृष्णा मिश्रा	01.04.2019	05.03.2021.	1	शून्य	भा.व.से.	2009

परिशिष्ट–22
(अध्याय–7 देखें)

अखिल भारतीय सेवाएं–चयन सूची 2019 के संदर्भ में वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित नहीं की गई चयन समिति की बैठकें

क्र. सं.	संवर्ग	सेवा	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
2.	आंध्र प्रदेश	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
3.	असम	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
4.	असम	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
5.	बिहार	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
6.	छत्तीसगढ़	भा.पु.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
7.	छत्तीसगढ़	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
8.	गुजरात	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
9.	हरियाणा	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
10.	जम्मू–कश्मीर	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
11.	जम्मू–कश्मीर	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
12.	जम्मू–कश्मीर	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
13.	जम्मू–कश्मीर	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
14.	झारखंड	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
15.	झारखंड	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
16.	झारखंड	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
17.	कर्नाटक	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

क्र. सं.	संवर्ग	सेवा	कारण
18.	कर्नाटक	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
19.	कर्नाटक	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
20.	केरल	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
21.	केरल	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
22.	केरल	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
23.	केरल	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
24.	महाराष्ट्र	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
25.	महाराष्ट्र	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
26.	महाराष्ट्र	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
27.	महाराष्ट्र	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
28.	मध्य प्रदेश	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
29.	मणिपुर	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
30.	मणिपुर	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
31.	मेघालय	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
32.	ओडिशा	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
33.	ओडिशा	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
34.	पंजाब	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
35.	राजस्थान	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
36.	सिक्किम	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
37.	तमिलनाडु	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	अपूर्ण प्रस्ताव।
38.	तमिलनाडु	भा.पु.से.	वरिष्ठता के मुद्दे के कारण एस.सी.एम. स्थगित।
39.	तमिलनाडु	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

क्र. सं.	संवर्ग	सेवा	कारण
40.	तेलंगाना	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
41.	तेलंगाना	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
42.	तेलंगाना	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
43.	त्रिपुरा	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
44.	त्रिपुरा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
45.	त्रिपुरा	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
46.	उत्तर प्रदेश	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
47.	उत्तराखंड	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
48.	उत्तराखंड	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
49.	उत्तराखंड	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
50.	पश्चिम बंगाल	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
51.	पश्चिम बंगाल	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
52.	पश्चिम बंगाल	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
53.	पश्चिम बंगाल	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव।
54.	अरुणाचल प्रदेश	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
55.	अरुणाचल प्रदेश	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
56.	अरुणाचल प्रदेश	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
57.	गोवा	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।
58.	संघ शासित क्षेत्र	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई।

परिशिष्ट–23
(अध्याय–7 देखें)

मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2020–21 के दौरान ग्रुप 'क' एवं ग्रुप'ख' पदों/ सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियों की अर्ध–वार्षिक विवरणियां नहीं भेजीं

क्र..सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम
1.	**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
	⊞ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
	⊞ कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
2.	**आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय**
3.	**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**
	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
	उर्वरक विभाग
	औषध विभाग
4.	**नागरिक उड्डयन मंत्रालय**
5.	**कोयला मंत्रालय**
6.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
	⊞ वाणिज्य विभाग
	⊞ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
7.	**संचार मंत्रालय**
	⊞ डाक विभाग
	⊞ दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.)
8.	**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**
	⊞ उपभोक्ता मामले विभाग
9.	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**
10.	**संस्कृति मंत्रालय**

क्र..सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम
11.	**रक्षा मंत्रालय**
	⊞ रक्षा विभाग
	⊞ सैन्य कार्य विभाग
	⊞ रक्षा उत्पादन विभाग
	⊞ रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
	⊞ भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
12.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**
13.	**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**
	⊞ भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)
14.	**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
15.	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
16.	**विदेश मंत्रालय**
17.	**वित्त मंत्रालय**
	⊞ आर्थिक कार्य विभाग
	⊞ व्यय विभाग
	⊞ वित्तीय सेवाएं विभाग
	⊞ निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
	⊞ राजस्व विभाग
18.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**
19.	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
	⊞ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
	⊞ स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
20.	**भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय**
	⊞ भारी उद्योग विभाग
	⊞ सार्वजनिक उद्यम विभाग

क्र..सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम
21.	**गृह मंत्रालय**
	⊞ सीमा प्रबंधन विभाग
	⊞ गृह विभाग
	⊞ आंतरिक सुरक्षा विभाग
	⊞ जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग
	⊞ राजभाषा विभाग
	⊞ राज्य विभाग
22.	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
23.	**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**
	⊞ उच्च शिक्षा विभाग
	⊞ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
24.	**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**
25.	**जल शक्ति मंत्रालय**
	⊞ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
	⊞ पेयजल और स्वच्छता विभाग
26.	**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
27.	**विधि और न्याय मंत्रालय**
	⊞ न्याय विभाग
	⊞ विधि कार्य विभाग
	⊞ विधायी विभाग
28.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**
29.	**खान मंत्रालय**
30.	**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**
31.	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**
32.	**पंचायती राज मंत्रालय**

क्र..सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम
33.	**संसदीय कार्य मंत्रालय**
34.	**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय**
	⊞ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)
	⊞ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
	⊞ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
35.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
36.	**योजना मंत्रालय**
37.	**विद्युत मंत्रालय**
38.	**रेल मंत्रालय**
39.	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**
40.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
	⊞ भूमि संसाधन विभाग (डीएलआर)
	⊞ ग्रामीण विकास विभाग (डीआरडी)
41.	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
	⊞ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
	⊞ जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीडी)
	⊞ वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)
42.	**पोत परिवहन मंत्रालय**
43.	**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय**
44.	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**
	⊞ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
	⊞ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
45.	**इस्पात मंत्रालय**
46.	**वस्त्र मंत्रालय**
47.	**पर्यटन मंत्रालय**

क्र..सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम
48.	**जनजातीय कार्य मंत्रालय**
49.	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
50.	**युवा मामले और खेल मंत्रालय**
	⊞ खेल विभाग
	⊞ युवा कार्यक्रम विभाग
51.	**आणविक ऊर्जा विभाग**
52.	**अंतरिक्ष विभाग**
53.	**कैबिनेट सचिवालय**
54.	**राष्ट्रपति सचिवालय**
55.	**प्रधानमंत्री कार्यालय**
56.	**नीति आयोग**
57.	**राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय**
58.	**संघ शासित क्षेत्र**
	⊞ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
	⊞ चंडीगढ़
	⊞ दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव
	⊞ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
	⊞ जम्मू और कश्मीर
	⊞ लक्षद्वीप
	⊞ लद्दाख
	⊞ पुदुचेरी

परिशिष्ट–24
(अध्याय–7 देखें)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का मंत्रालय/विभागवार विवरण तथा विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या			अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या		
		अ. जा.	अ. ज. जा	कुल	अ. जा.	अ. ज. जा	कुल	अ. जा.	अ. ज. जा	कुल
1.	पर्यटन	4	3	7	0	3	3	0	0	0
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	1	1	0	1	1	2	1	3
3.	श्रम एवं रोजगार	2	1	3	2	1	3	0	3	3
4.	शिक्षा	2	0	2	1	0	1	0	1	1
5.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	9	7	16	9	4	13	0	1	1
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7.	गृह मंत्रालय	87	48	135	49	31	80	23	9	32
8.	जल संसाधन एवं, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	11	3	14	10	3	13	3	0	3
9.	आवासन तथा शहरी कार्य	8	0	8	0	1	1	9	4	13
10.	राजस्व	53	33	86	46	28	74	60	39	99
11.	आर्थिक कार्य	0	0	0	0	0	0	8	5	13

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या			अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या		
		अ. जा.	अ. ज. जा	कुल	अ. जा.	अ. ज. जा	कुल	अ. जा.	अ. ज. जा	कुल
12.	व्यय	2	1	3	1	1	2	5	1	6
13.	सांख्यिकी	15	8	23	21	8	29	12	11	23
14.	नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक	34	41	75	25	7	32	7	3	10
15.	गृह मंत्रालय (राजभाषा)	5	4	9	5	1	6	1	0	1
16.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	0	0	0	0	0	0	4	1	5
17.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	0	1	1	0	1	4	0	4
18.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	46	12	58	56	12	68	52	8	60
19.	निर्वाचन आयोग	5	2	7	0	0	0	0	0	0
20.	रक्षा	51	23	74	22	7	29	36	18	54
21.	संचार	4	3	7	4	1	5	4	0	4
22.	विद्युत	3	1	4	3	1	4	1	0	1
23.	विदेश मंत्रालय	58	35	93	45	18	63	21	0	21
24.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0	3	3	0	0	0	0	1	1
25.	वस्त्र	1	0	1	1	0	1	1	1	2
26.	वाणिज्य	0	1	1	0	1	1	1	2	3
27.	रेल	29	14	43	6	0	6	31	10	41
28.	सूचना एवं प्रसारण	1	1	2	0	1	1	0	1	1
29.	कृषि एवं किसान कल्याण	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30.	संस्कृति	1	1	2	1	0	1	0	0	0
	कुल	**434**	**246**	**680**	**311**	**130**	**441**	**287**	**120**	**407**

परिशिष्ट–25
(अध्याय–5 देखें)

वर्ष 2020–21 में पूर्ण की गई परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अनु.जाति/अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	अनुसूचित जाति						अनुसूचित जनजाति						अन्य पिछड़ा वर्ग						आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					
		आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	सिविल सेवा परीक्षा, 2019	129	1685	130	129	..	01	67	859	67	67	..	..	251	3131	265	251	..	14	83	694	@82	@81	@02	01
2.	केन्द्रीय सशत्र पुलिस बल (सहायक ककमांडेंट) परीक्षा, 2019	30	14208	30	30	..	..	21	6650	21	20	..	01	82	28579	81 –	44	..	37	#	#	#	#	#	#
3.	सम्मलित चिकित्सा सेवा, 2020	25	2884	29	20	..	09	27	913	28	26	..	02	225	5852	241	198	..	43	56	608	57	54	..	03
4.	अनुभाग अधिकारी / आशुलिपीक (ग्रेड 'बी' / ग्रेड –I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015	206	223	102	102	104	..	136	72	20	20	116	.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
	कुल	**390**	**19000**	**291**	**281**	**104**	**$10**	**251**	**8494**	**136**	**133**	**116**	**$03**	**558**	**37562**	**587**	**493**	**..**	**$94**	**139**	**1302**	**139**	**135**	**02**	**$04**

@लंबित अदालती मामले के अंतिम फैसलों के अधीन।

#मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

&न्यायालय के निर्देश पर एक पद खाली रखा गया है।

$(क) सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदवार : सामान्य स्तर पर 38 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई (04–01–2021 को जारी आरक्षित सूची के अनुरुप सिविल सेवा परीक्षा 2019 के संदर्भ में अनुसूचित जाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 01 उम्मीदवार एवं संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 के संदर्भ में अनुसूचित जाति के 04, अनुसूचित जनजाति का 01, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 01 उम्मीदवार, चूंकि श्रेणी–I पदों के संबंध में आरक्षित सूची नियम लागू नहीं है।)

(ख) सामान्य मानक के साथ–साथ उनके लिए आरक्षित पदों हेतु अनुशंसित उम्मीदवार : 73 उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित पदों के साथ–साथ सामान्य मानकों के अनुरूप सिफारिश की गई (जिनमें केन्द्रीय सशत्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के (01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 37 उम्मीदवार हैं तथा श्रेणी–II के पदों हेतु सम्मिलित चिकित्सा सेवा, 2020 के संदर्भ में अनुसूचित जाति के 05, अनुसूचित जनजाति के 01, अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 02 उम्मीदवार शामिल हैं।) उनकी अंतिम स्थिति आरक्षित सूची नियम के अनुसार आरक्षित सूची जारी होने के समय ही पता चलेगी।

ला.न.– लागू नहीं

परिशिष्ट–26
(अध्याय–5 देखें)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित उन पदों की सूची, जिनके लिए इन वर्गों के किसी भी उम्मीदवार ने वर्ष 2020–21 के दौरान आवेदन नहीं किया

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	आरक्षित पदों की संख्या				कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
1.	वरिष्ठ मंडलीय चिकित्सा अधिकारी (कैंसर सर्जरी), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (लेवल 112: ₹ 78800–209200)	0	0	1	0	1
2.	वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी (एंडोक्रिनोलॉजी), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (लेवल 112: ₹ 78800–209200)	0	1	1	0	2
3.	वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी (न्यूरोलॉजी), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (लेवल 112: ₹ 78800–209200)	1	1	0	1	3
4.	वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी (यूरोलॉजी), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (लेवल 112: ₹ 78800–209200)	0	0	1	0	1
5.	एंडोक्रिनोलॉजी के सहायक प्रोफेसर विशेषज्ञ ग्रेड–III, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 111: ₹ 67700–208700)	2	0	4	1	7
	कुल	**3**	**2**	**7**	**2**	**14**

परिशिष्ट–27
(अध्याय–5 देखें)

वर्ष 2020–21 के दौरान चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वैज्ञानिक–बी (बैलिस्टिक्स), केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय (लेवल 11: ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1
2.	व्याख्याता (प्लास्टिक प्रौद्योगिकी), प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	1	0	0	0	1
3.	बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला में रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (लेवल 7: ₹ 44900–142400)	0	0	1	0	1
4.	नौटिकल सर्वेयर–सह–उप महानिदेशक (तकनीकी), नौवहन महानिदेशालय, जहाजरानी मंत्रालय (लेवल 12: ₹ 78800–209200)	1	0	0	0	1

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	सहायक प्रोफेसर (एप्लाइड आर्ट), कला कॉलेज, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (15600–39100+6000) (संशोधन– पूर्व)	0	0	1	0	1
6.	सहायक प्रोफेसर (इतिहास), आर्मी कैडेट कॉलेज विंग, भारतीय सैन्य अकादमी, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+6000) (संशोधन–पूर्व)	0	0	1	0	1
7.	सहायक नियोजन अधिकारी, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय (लेवल 6: ₹ 35400–112400)	1	0	0	0	1
8.	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (हिंदी), केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय (लेवल 7 : ₹ 44900–142400)	0	0	0	1	1
9.	सहायक निदेशक (कीट विविज्ञान), पौधा संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (लेवल 10 : ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1
10.	चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध), आयुष मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	वैज्ञानिक–बी (जूनियर भूभौतिकीविद्), केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1
12.	अभियोजक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (लेवल 8: ₹ 47600–151100)	0	0	1	0	1
13.	सहायक रसायनज्ञ, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण (लेवल 8: ₹ 47600–151100)	0	0	1	0	1
14.	इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1
15.	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल), लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय, जहाजरानी मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1
16.	सहायक जलविज्ञानी, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण (लेवल 8: ₹ 47600–151100)	0	0	9	0	9

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	व्यापार चिह्न और भौगोलिक संकेतकों के वरिष्ठ परीक्षक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1
18.	प्रशासनिक अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1
19.	उप वास्तुकार, सैन्य अभियंता सेवाएं, रक्षा मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	1	0	2	0	3
20.	निदेशक (विधि और संधियां), विधि और संधि प्रभाग, विदेश मंत्रालय (लेवल 13: ₹ 123100–215900)	0	0	1	0	1
21.	उप अधीक्षण पुरातत्व केमिस्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	0	0	2	0	2
22.	व्याख्याता (अंग्रेज़ी), राजकीय पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन और दीव प्रशासन (लेवल 10: ₹ 56100–177500)	0	0	1	0	1
23.	प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी राष्ट्रीय पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय (लेवल 13: ₹ 123100–215900)	0	0	1	0	1
	कुल	**4**	**0**	**29**	**1**	**34**

परिशिष्ट–28
(अध्याय–8 देखें)

वर्ष 2020–21 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले

अग्रानीत	:	386
वर्ष के दौरान प्राप्त	:	502
कुल	:	888
निपटाए गए कुल मामले	:	487
अन्तिम शेष	:	401

क्र. सं.		मामले जिनमें परामर्श संसूचित किया गया														पुनर्विचार करके दोहराए गए परामर्श	नए सिरे से कार्यवाही	विविध परामर्श	जारी किए गए परामर्श पत्रों की कुल संख्या	अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु वापस किए गए	मामले का संदर्भ नहीं	सरकार द्वारा वापस लिए गए	निपटाए गए कुल मामले
		समूहवार ब्यौरा				शास्ति, जिसका परामर्श दिया गया																	
		समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल 2 से 4	वर्खास्तगी	निष्कासन	अनिवार्य सेवानिवृत	रैंक घटाना	**आर्थिक शास्तियां	पदोन्नति रोकना	परिनिन्दा	पेंशन में कटौती	कार्यवाही त्यागी/छोड़ दी	कुल प्रभावी परामर्श								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	दोषसिद्धि	21	28	15	64	12	3	1	0	0	0	0	48	0	**64**	0	0	0	**64**	0	0	0	**64**
2.	भ्रष्टाचार / अनाचार	5	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	4	1	**6**	0	0	0	**6**	0	0	0	**6**
3.	बेईमानी / गबन	18	9	10	37	0	0	1	1	6	0	1	26	2	**37**	0	0	0	**37**	0	0	0	**37**
4.	अनैतिक आचरण	6	4	0	10	1	0	0	2	4	0	0	3	0	**10**	0	0	0	**10**	0	0	0	**10**
5.	बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से अनुपस्थित	19	8	3	30	7	2	0	1	12	0	0	6	2	**30**	0	0	0	**30**	0	0	0	**30**
6.	बाहरी रोजगार / व्यवसाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
7.	अवज्ञा	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**
8.	कर्तव्य की अवहेलना / नियमों की अवमानना	44	20	31	95	2	0	1	2	19	0	4	60	7	**95**	0	0	0	**95**	0	0	0	**95**
9.	संपत्ति के लेन–देन में अनियमितताएं	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**2**	0	0	0	**2**	0	0	0	**2**
10.	दुर्व्यवहार	5	4	1	10	0	0	0	0	6	0	0	4	0	**10**	0	0	0	**10**	0	0	0	**10**
11.	अन्य आरोप / कदाचार	118	37	23	178	6	1	0	4	57	0	17	76	17	**178**	0	0	0	**178**	54	0	0	**232**
	कुल	**239**	**111**	**83**	**433**	**28**	**6**	**3**	**11**	**107**	**0**	**22**	**227**	**29**	**433**	**0**	**0**	**0**	**433**	**54**	**0**	**0**	**487**

**इसमें वेतन को समय वेतममान के निचले स्तर पर घटाने, वेतन वृद्धि रोकने, सुविधा पास को रोकने (रेल कर्मचारी के मामले में) और लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन होने पर सरकार को हुई धन संबंधी हानि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वेतन से वसूली करने संबंधी शास्तियां शामिल हैं।

परिशिष्ट–29
(अध्याय–8 देखें)

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा अनुशासनिक मामलों में दिए गए परामर्श का मंत्रालय–वार विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/राज्य सरकार का नाम	सत्यनिष्ठा से संबंधित मामले				सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के अलावा अन्य मामले				नए सिरे से कार्यवाही आरंभ करने का परामर्श	विविध स्वरूप का परामर्श	कॉलम 6, 10, 11 एवम् 12 का कुल योग
		उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति का परामर्श दिया है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति का परामर्श दिया गया है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति का परामर्श नहीं दिया गया है	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति का परामर्श दिया है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति का परामर्श दिया गया है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति का परामर्श नहीं दिया गया है	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
2.	परमाणु ऊर्जा	1	0	0	1	4	4	0	8	0	0	9
3.	मंत्रिमंडल सचिवालय	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
4.	नागरिक उड्डयन	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.	वाणिज्य एंव उद्योग	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
6.	संचार	64	2	5	71	13	4	2	19	0	0	90
7.	रक्षा	7	0	0	7	6	1	1	8	0	0	15
8.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
9.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	3
10.	विदेश मंत्रालय	4	0	1	5	1	1	0	2	0	0	7
11.	वित्त	49	1	3	53	2	4	2	8	0	0	61
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	4
.13.	गृह मंत्रालय	30	5	3	38	17	18	1	36	0	0	74

क्र. सं.	मंत्रालय/राज्य सरकार का नाम	सत्यनिष्ठा से संबंधित मामले				सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के अलावा अन्य मामले				नए सिरे से कार्यवाही आरंभ करने का परामर्श	विविध स्वरूप का परामर्श	कॉलम 6, 10, 11 एवम् 12 का कुल योग
		उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति का परामर्श दिया है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति का परामर्श दिया गया है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति का परामर्श नहीं दिया गया है	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति का परामर्श दिया है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति का परामर्श दिया गया है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति का परामर्श नहीं दिया गया है	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	मानव संसाधन विकास	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2
15.	सूचना और प्रसारण	4	1	0	5	2	1	0	3	0	0	8
16.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
17.	खान	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
18.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	10	2	1	13	3	0	1	4	0	0	17
19.	प्रधान मंत्री कार्यालय	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	3	0	0	3	0	1	0	1	0	0	4
21.	रेलवे	39	10	6	55	6	8	2	16	0	0	71
22.	ग्रामीण विकास	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
23.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2	1	0	3	0	1	0	1	0	0	4
24.	अंतरिक्ष	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
25.	आवासन और शहरी कार्य	20	2	0	22	4	2	0	6	0	0	28
.26.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	7	2	0	9	0	0	0	0	0	0	9
27.	बिहार	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	2
28.	ओडिशा	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
29.	छत्तीसगढ़	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	**262**	**31**	**20**	**313**	**64**	**47**	**9**	**120**	**0**	**0**	**433**

परिशिष्ट–30

(अध्याय–6 एवं 10 देखें)

सरकार द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित न किए जाने वाले मामलों की संख्या और विलंब की अवधि दर्शाने वाला विवरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	> 5 वर्ष से कम	4–5 वर्ष	3–4 वर्ष	2–3 वर्ष	1–2 वर्ष	0–1 वर्ष	कुल
1.	**कृषि**							
	कृषि एवं सहकारिता	0	0	0	0	13	1	**14**
	पशुपालन एवं डेयरी	0	0	0	0	0	0	**0**
2.	**मंत्रिमंडल सचिवालय**							
	मंत्रिमंडल सचिवालय	0	0	0	0	0	0	**0**
3.	**रसायन एवं उर्वरक**							
	रसायन एवं पेट्रो–रसायन	0	0	0	0	0	0	**0**
	उर्वरक	0	0	0	0	0	0	**0**
4.	**नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण**							
	उपभोक्ता मामले	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	**वाणिज्य एवं उद्योग**							
	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0	**0**
	उद्योग नीति एवं संवर्धन	0	0	0	0	5	11	**16**
6.	**संचार**							
	डाक	0	0	0	0	0	0	**0**
	दूर संचार	0	0	0	0	0	1	**1**
7.	**रक्षा**							
	रक्षा उत्पादन	0	0	0	0	3	0	**3**
	रक्षा (डी/निनियुक्ति)	0	0	0	0	0	0	**0**
	रक्षा अनुसंधान एवं विकास	0	0	0	0	1	0	**1**
	रक्षा (सी.ए.ओ.)	0	0	0	0	0	4	**4**
	रक्षा	0	0	0	0	1	0	**1**
8.	**पर्यावरण एवं वन**							
	पर्यावरण, वन एव वन्यजीव	0	0	0	5	0	3	**8**
9.	**विदेश मंत्रालय**							
	विदेशी मामले	0	0	0	0	3	0	**3**
10.	**वित्त**							

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	> 5 वर्ष से कम	4–5 वर्ष	3–4 वर्ष	2–3 वर्ष	1–2 वर्ष	0–1 वर्ष	कुल
	व्यय	0	0	0	1	0	4	**5**
	राजस्व	0	0	0	2	4	2	**8**
	आर्थिक कार्य	0	0	0	0	1	0	**1**
	कंपनी कार्य	0	0	0	0	0	0	**0**
11.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**							
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	0	0	0	0	0	0	**0**
12.	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**							
	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	0	0	0	0	0	0	**0**
	स्वास्थ्य	0	0	0	4	33	28	**65**
	परिवार कल्याण	0	0	0	0	1	0	**1**
13.	**गृह मंत्रालय**							
	राजभाषा	0	0	0	0	0	1	**1**
	गृह	0	0	0	2	45	33	**80**
	आंतरिक सुरक्षा	0	0	0	1	11	4	**16**
	राज्य	0	0	0	2	0	0	**2**
14.	**मानव संसाधन विकास**							
	माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा	0	0	0	0	5	0	**5**
	प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता	0	0	0	0	0	0	**0**
15.	**भारी उद्योग**							
	भारी उद्योग	0	0	0	0	0	0	**0**
16.	**सूचना एवं प्रसारण**							
	सूचना एवं प्रसारण	0	0	0	0	0	0	**0**
17.	**श्रम**							
	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	0	0	0	0	0	0	**0**
	खान सुरक्षा	0	0	0	1	3	0	**4**
	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	0	0	0	0	0	1	**1**
	श्रम	0	0	0	0	5	0	**5**
	राज्य कर्मचारी बीमा निगम	0	0	0	0	0	8	**8**
18.	**विधि एवं न्याय**							
	विधि कार्य	0	0	0	0	0	0	**0**
	विधायी विभाग	0	0	0	0	0	1	**1**
	कंपनी कार्य	0	0	0	0	0	0	**0**
19.	**संसदीय कार्य**							

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	> 5 वर्ष से कम	4–5 वर्ष	3–4 वर्ष	2–3 वर्ष	1–2 वर्ष	0–1 वर्ष	कुल
	संसदीय कार्य	0	0	0	0	0	0	**0**
20.	**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन**							
	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत	0	0	0	0	0	0	**0**
	कार्मिक और प्रशिक्षण	0	0	0	0	6	0	**6**
21.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस**							
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	0	0	0	0	0	0	**0**
22.	**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन**							
	सांख्यिकी	0	0	0	0	0	0	**0**
23.	**रेलवे**							
	रेलवे	0	0	0	0	0	3	**3**
24.	**विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी**							
	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	0	0	0	0	0	2	**2**
25.	**इस्पात एवं खान**							
	इस्पात	0	0	0	0	0	0	**0**
26.	**कारपोरेट कार्य**							
	कारपोरेट कार्य	0	0	0	0	0	0	**0**
27.	**वस्त्र**							
	वस्त्र	0	0	0	3	1	2	**6**
28.	**पर्यटन एवं संस्कृति**							
	पर्यटन	0	0	0	0	0	0	**0**
	संस्कृति	0	0	0	5	11	4	**20**
29.	**संघ लोक सेवा आयोग**							
	संघ लोक सेवा आयोग	0	0	0	0	4	5	**9**
30.	**शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन**							
	शहरी विकास	0	0	0	1	1	0	**2**
	शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	0	0	0	0	0	0	**0**
31.	**जल संसाधन**							
	जल संसाधन	0	0	0	0	2	8	**10**
32.	**अंडमान एवं निकोबार प्रशासन**							
	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	0	0	0	1	0	0	**1**
33.	**चंडीगढ़ प्रशासन**							
	चंडीगढ़ प्रसासन	0	0	0	0	0	1	**1**
34.	**दमन, दीव और दादरा नगर हवेली**							

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	> 5 वर्ष से कम	4–5 वर्ष	3–4 वर्ष	2–3 वर्ष	1–2 वर्ष	0–1 वर्ष	कुल
	दमन, दीव, और दादरा नगर हवेली	0	0	0	0	0	3	**3**
35.	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**							
	भूमि तथा भवन	0	0	0	0	0	0	**0**
	प्रशासन	0	0	0	0	0	1	**1**
	शिक्षा एवं भाषाएं	0	0	0	0	1	2	**3**
	श्रम	0	0	0	0	0	0	**0**
	विकास	0	0	0	0	0	0	**0**
	गृह	0	0	0	0	0	2	**2**
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0	0	0	0	0	**0**
	तकनीकी शिक्षा	0	0	0	2	1	4	**7**
	सेवाएं	0	0	0	0	2	0	**2**
36.	**लक्षद्वीप प्रशासन**							
	लक्षद्वीप प्रशासन	0	0	0	0	0	1	**1**
37.	**पुदुचेरी सरकार**							
	पुदुचेरी सरकार	0	0	0	0	1	1	**2**
38.	**दिल्ली नगर निगम**							
	दिल्ली नगर निगम	0	0	0	0	0	0	**0**
39.	**नीति आयोग**							
	नीति आयोग	0	0	0	0	0	0	**0**
40.	**प्रधानमंत्री सचिवालय**							
	प्रधानमंत्री सचिवालय	0	0	0	0	0	0	**0**
41.	**नई दिल्ली नगर पालिका परिषद**							
	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	0	0	0	0	4	10	**14**
42.	**ग्रामीण विकास**							
	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार	0	0	0	0	0	0	**0**
	ग्रामीण विकास	0	0	0	0	0	0	**0**
	पेयजल एवं आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	**0**
	भू–संसाधन	0	0	0	0	0	0	**0**
43.	**उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण**							
	उपभोक्ता मामले	0	0	0	0	0	0	**0**
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	0	0	0	1	12	0	**13**
44.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**							
	लघु उद्योग विकास संगठन	0	0	0	0	0	0	**0**

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	> 5 वर्ष से कम	4–5 वर्ष	3–4 वर्ष	2–3 वर्ष	1–2 वर्ष	0–1 वर्ष	कुल
45.	**नागर विमानन**							
	नागर विमानन	0	0	0	0	0	0	**0**
46.	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता**							
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	0	0	0	0	0	0	**0**
47.	**दिल्ली जल बोर्ड**							
	दिल्ली जल बोर्ड	0	0	0	0	0	0	**0**
48.	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**							
	सड़क परिवहन और राजमार्ग	0	0	0	0	2	0	**2**
49.	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**							
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	0	0	0	0	0	0	**0**
50.	**पोत परिवहन मंत्रालय**							
	पोत परिवहन	0	0	0	0	1	0	**1**
51.	**खान मंत्रालय**							
	खान	0	0	0	0	5	3	**8**
52.	**कोयला मंत्रालय**							
	कोयला	0	0	0	1	5	0	**6**
53.	**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**							
	पृथ्वी विज्ञान	0	0	0	0	0	0	**0**
54.	**जनजातीय कार्य मंत्रालय**							
	जनजातीय कार्य	0	0	0	0	0	0	**0**
55.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास**							
	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	0	0	0	0	0	0	**0**
56.	**भारतीय मौसम विज्ञान विभाग**							
	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	0	0	0	0	0	0	**0**
57.	**पंचायती राज**							
	पंचायती राज	0	0	0	0	0	0	**0**
58.	**आयुष मंत्रालय**							
	आयुष मंत्रालय	0	0	0	0	4	0	**4**
59.	**कौशल विकास मंत्रालय**							
	कौशल विकास	0	0	0	0	1	0	**1**
	कुल	**0**	**0**	**0**	**32**	**198**	**154**	**384**

परिशिष्ट–31

(अध्याय– 12 देखें)

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के जारी होने से आयोग के अधिकार–क्षेत्र से पृथक किए गए पद/सेवाएं

अनुसूची– I

(संविधान के अनुच्छेद 320(3) (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए अलग किए गए पद)

क्र. सं.	पद / सेवाओं के पदनाम	दिनांक जब से अलग किए गए
1.	मद (7) में सम्मिलित मद से अन्यथा, उच्च न्यायालय या न्यायिक आयुक्त न्यायालय के नियंत्रणाधीन संघ शासित क्षेत्र के सभी सिविल और आपराधिक न्यायिक पद	01.09.1958
2.	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सचिवालय में और वैयक्तिक स्टाफ संबंधी पद	26.03.1962
3.	विदेश मंत्रालय के अधीन राजकीय आतिथ्य संगठन के पद	26.03.1962
4.	शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के पद	25.03.1963
5.	योजना आयोग में परामर्शदाता तथा मुख्य परामर्शदाता# के पद	25.04.1964
6.	भारत के सॉलिसिटर जनरल तथा भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल के निजी सचिव के पद	14.04.1965
7.	संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्त, अपर न्यायिक आयुक्त, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अपर जिलाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश	09.03.1966
8.	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अनुपूरक विनियमावली, 1970 के अंतर्गत भारत सरकार में विदेश आसूचना से संबद्ध संगठन के अधीन या उससे संबंधित समस्त सेवाएं और पद	14.08.1970
9.	आसूचना ब्यूरो में अनुभाग अधिकारी के पदों से भिन्न, ग्रुप 'ख' अनुसचिवीय पद	12.02.1973
10.	(क) अंतरिक्ष विभाग और (ख) अंतरिक्ष आयोग में अथवा उनके अधीन सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक पद	14.11.1974
11.	(क) इलेक्ट्रॉनिक विभाग और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी आयोग में अथवा उनके अधीन सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक पद	13.08.1975
12.	रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की भर्ती/पदोन्नति	18.05.1985
13.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अथवा उसके अधीन सभी ग्रुप 'क' और 'ख' पद	10.01.1986
14.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 39018/2/86–स्था.ख, दिनांक 1.4.87 के अनुबंध में यथानिर्दिष्ट विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महासागर विकास विभाग, गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग और पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग में वैज्ञानिक पद, इनमें वे पद शामिल नहीं हैं जिन पर नियुक्ति विभागीय पदोन्नति समिति (कार्मिक एवंप्रशिक्षण विभाग की दिनांक 6.5.96 की अधिसूचना सं. 39018/1/196 स्था.ख. द्वारा संशोधन) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जानी है।	06.05.1996

क्र. सं.	पद / सेवाओं के पदनाम	दिनांक जब से अलग किए गए
15.	खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सहायक ग्रुप 'ख' (अराजपत्रित) तथा आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के पद	07.09.1989
16.	योजना आयोग में ग्रेड वेतन ₹ 10000/– सहित ₹ 37,400– ₹ 67,000/– के वेतनबैंड–4 अथवा ₹ 67,000/–(3% की वार्षिक वेतन वृद्धि) – के ₹79,000/– के एचएजी वेतनमान अथवा ₹ 80,000/– के शीर्ष वेतन मान में सलाहकार के समस्त पद, किंतु इसमें वे पद शामिल नहीं हैं जो सीनियर स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत भरे जाने अपेक्षित हैं या जो किसी संगठित सेवा में सम्मलित हैं।**	07.09.1989
17.	दूरसंचार विभाग में समूह 'बी' अराजपत्रित पद।	29.12.1989
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप प्रशासन के तहत समूह 'बी' अराजपत्रित पद।	18.09.1990
19.	पद/सेवाएं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली की अनुसूची के मद (20) के अंतर्गत अलग रखना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था : (i) विदेश मंत्रालय के अधीन विशेष सीमा सुरक्षा योजना से संबद्ध पद (ii) केंद्रीय रिजर्व पुलिस और भारत–तिब्बत सीमा बल के अंतर्गत पद (iii) भारत के उच्चायोग, लंदन और विदेशों में अन्य भारतीय मिशनों में पद जिन पर संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा स्थानीय भर्ती की जाती है।	1963-64 22.07.1960 04.08.1988
20.	औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय में पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक; सहायक पेटेंट एवं डिजाइन नियंत्रक; पेटेंट एवं डिजाइन उप नियंत्रक, पेटेंट एवं डिजाइन संयुक्त नियंत्रक; वरिष्ठ पेटेंट एवं डिजाइन संयुक्त नियंत्रक; उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी; वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी; वरिष्ठ रेपोग्राफी अधिकारी; कनिष्ठ प्रलेखन अधिकारी; रिपोग्राफी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रोगामर के पद।	06.07.1999
21.	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय में लेफ्टी.जनरल, वैज्ञानिक ''एच'' मेजर जनरल, वैज्ञानिक ''जी'', सचिव*, अपर सचिव*, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव, प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक*, अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी, सहायक, अनुसंधान सहायक, वैयक्तिक सहायक, प्रोटोकॉल सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक तथा ड्राफ्ट्समैन ग्रेड ''I'' के पद।	31.01.2001
22.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में विधि प्रोफेसर।	31.01.2003
23.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अंतर्गत सभी पद।	14.07.2005
24.	संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, और राष्ट्रीय संस्कृति संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ के महानिदेशक के पद तथा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता के निदेशक का पद और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद।$	30.04.2009 और 11.12.2013

क्र. सं.	पद / सेवाओं के पदनाम	दिनांक जब से अलग किए गए
25.	मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली का पद।	22.07.2009
26.	सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) में सभी समूह 'क' और 'ख' पद।	21.06.2011
27.	भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक डी, ई, एफ एवं जी (ग्रुप ए पद) के पदों पर भर्ती। %	15.07.2015
28.	गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एस एफ आई ओ), कारपोरेट कार्य मंत्रालय का पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर (आई एस टी सी)।^	04.07.2019
29.	नेशनल इंस्ट्रीट्यूशन फॉर ट्रांसफोर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के डवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफिस (डीईएमओ) में एक भर्ती चक्र पूरा करने के लिए निदेशक/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/आर्थिक अधिकारी/आर्थिक अन्वेषक के पदों को भरने के लिए एक बारगी छूट।@	07.10.2020
30.	नेशनल इंस्ट्रीट्यूशन फॉर ट्रांसफोर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग में फ्लेक्सी पूल में संयुक्त सलाहकार (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में) या उप सलाहकार (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में) 39 पदों तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में) या अनुसंधान अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में) या आर्थिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में) 72 पदों को भरने के लिए एक बारगी छूट। ##	

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 25 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना द्वारा शामिल।

* कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 31 जनवरी, 2003 की अधिसूचना द्वारा शामिल।

** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 7 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।

$ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 11 दिसंबर, 2013की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।

% कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 15 जुलाई, 2015की अधिसूचना द्वारा शामिल।

^ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 4 जुलाई, 2019की अधिसूचना द्वारा शामिल।

@ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना द्वारा शामिल।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 6 जनवरी, 2021 की अधिसूचना द्वारा शामिल।

अनुसूची– II

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ख) के प्रयोजन के लिए अलग किए गए पद)

क्र. सं.	पद/ सेवाओं के नाम	दिनांक, जिससे अलग किए गए
1.	जल संसाधन मंत्रालय के अधीन ग्रुप 'ख' अराजपत्रित पद	13.11.1991
2.	सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती, पद से सम्बद्ध ग्रेड वेतन का विचार किए बिना @	21.05.1999 & 24.07.2012
3.	₹4600/– के ग्रेड वेतन सहित ₹ 9300 – ₹34,800 के वेतनबैंड–2 में सभी अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती*	29.09.2005 & 28.09.2010
4.	प्रवर्तन निदेशालय में ₹8900/– के ग्रेड वेतन सहित ₹37,400/–₹67,000/– रुपए के वेतन बैंड–4 में विशेष प्रवर्तन निदेशक का पद $	01.06.2006
5.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में ₹7600/– के ग्रेड वेतन सहित ₹15,600–39,100 के वेतन बैंड–3 में उप सचिव का पद और ग्रेड वेतन ₹8700/– सहित ₹ 37,400–67,000 के वेतन बैंड–4 में निदेशक का पद। $ & #	30.07.2008 & 03.02.2010
6.	31 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी में पुलिस अधीक्षक (गैर–भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, प्रोगामर, सहायक प्रोगामर, प्रशासनिक अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ निजी सचिव, आशुलिपिक ग्रेड–सी और सहायक के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती। **	06.01.2010 & 11.09.2013
7.	गृह मंत्रालय के अधीन आसूचना ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रैंक तक के सभी समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर गैर–भारतीय पुलिस सेवा कार्मिक की प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती। *	28.09.2010
8.	31 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी में उप महानिरीक्षक (गैर–भा.पु.से.), साइबर फोरेंसिक परीक्षक, क्राइम सीन सहायक और फोरेंसिक शरीर क्रिया विज्ञानी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती। ***	11.09.2013
9.	कार्मिक, शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिए तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय की जाने वाली भर्ती। ##	10.10.2013
10.	प्रतिनियुक्ति की विधि द्वारा भरे गए (अल्पकालिक संविदा समेत) सभी ग्रुप 'ख' पद जिनमें ₹9300/– से ₹34800/– के वेतन बैंड–2 में ग्रेड वेतन ₹4800/– से कम हैं।^	03.06.2015
11.	प्रधानमंत्री कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आसूचना ब्यूरो से कार्मिकों की भर्ती। $$	18.08.2015

क्र. सं.	पद/ सेवाओं के नाम	दिनांक, जिससे अलग किए गए
12.	आमेलन विधि और मिश्रित विधि द्वारा भरे गए ₹9300/– से ₹34800/– के वेतन बैंड–2 में ₹ 4800/– रुपए से कम के ग्रेड वेतन वाले सभी ग्रुप 'ख' पद। ###	22.12.2015
13.	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी के ₹9300 से ₹34800 के वेतन बैंड–2 में ₹4800/– ग्रेड वेतन वाले ग्रुप 'ख' (राजपत्रित) पदों पर सीधी भर्ती। ^^	17.02.2016
14.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अंतर्गत भारत के महालेखाकार नियंत्रक कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी (समूह ''ख' राजपत्रित) के वेतन मैट्रिक्स ₹ 47600 से 51100 के लेवल 8 में सीधी भर्ती। ^^^	19.09.2019
15.	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय में एक वर्ष के लिए उप निदेशक, समूह 'क', वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 रु. 67700–208700 और सहायक निदेशक, समूह 'क', वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में रु. 56100–177500 में प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्प अवधि संविदा सहित) भर्ती। $$$	
16.	विकास अनुवीक्षण एवं आकलन कार्यालय (डीएमइओ),, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफोरमिंग इण्डिया (नीति) आयोग में महानिदेशक का पद वरिष्ठ सलाहकार के समकक्ष (वेतन मैट्रिक्स में लेवल–15 के ₹ 182200–224100), / उप महानिदेशक सलाहकार के समकक्ष (वेतन मैट्रिक्स में लेवल–14 में ₹ 144200–218200) ,^^^^	07.10.2020

$ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 7 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
# कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।
* कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 28 सितंबर, 2010 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
@ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 24 जुलाई, 2012 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
** कार्मिक और प्रशिक्षण विभागकी अधिसूचना दिनांक 11 सितंबर, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।
*** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 11 सितंबर, 2013 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 द्वारा शामिल ।
^ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 3 जून, 2015 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
$$ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 18 अगस्त, 2015 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
^^ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 17 फरवरी, 2016 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
^^^ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 19 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
$$$ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 15 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
^^^^ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 7 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना द्वारा शामिल।

परिशिष्ट–32
(अध्याय– 11 देखें)

आयोग के स्टाफ की संवर्ग एवं समूहवार संख्या तथा पदों की संख्या का विस्तृत विवरण

तालिका 1 : आयोग के कर्मचारियों की संवर्ग–वार, समूह–वार संख्या

विवरण	समूह क		समूह ख				समूह ग		कुल	
			राजपत्रित		अराजपत्रित					
	31.3.20	31.3.21	31.3.20	31.3.21	31.3.20	31.3.21	31.3.20	31.3.21	31.3.20	31.3.21
सचिवालय संवर्ग	153	153	213	213	396	396	203	161	965	923
संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग	60	60	61	61	85	85	587	587	793	793
अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग	7	7	3	3	14	14	3	3	27	27
विभागीय कैंटीन					3	3	40	40	43	43
कुल	220	220	277	277	498	498	833	791	1828	1786

तालिका–2: वर्ष 2020–21 के दौरान जिन संवर्गों/पदों की स्वीकृत संख्या में परिवर्तन आया है।

31–03–2020 को कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या	31–03–2021 को कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या	अंतर
1828	1786	-42

क्र. सं.	पद का नाम	31–3–2020 को स्वीकृत कार्मिक संख्या	31–3–2021 को स्वीकृत कार्मिक संख्या	अंतर
1.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	96	59	-37
2.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	68	63	-5
		कुल अंतर		**-(42)**

तालिका–3: कर्मचारियों की संख्या का समूह–वार, संवर्ग–वार और पदनाम–वार विवरण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1.	2.	3.	4.
क.	**समूह 'क'**	220	220
I.	**सचिवालय संवर्ग**	153	153
1.	सचिव	1	1
2.	अपर सचिव	2	2
3.	अपर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक	1	1
4.	अपर सचिव (परीक्षा सुधार)	1	1
5.	संयुक्त सचिव	11	11
6.	प्रधान स्टाफ अधिकारी	3	3
7.	उप सचिव	36	36
8.	वरिष्ठ पीपीएस	9	9
9.	अवर सचिव	72	72
10.	प्रधान निजी सचिव	17	17
II.	**संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग**	60	60
11.	भाषाई प्रशासक	1	1
12.	कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रणाली)	1	1
13.	निदेशक (सूचना प्रणाली)	1	1
14.	निदेशक (परीक्षा सुधार)	2	2
15.	संयुक्त निदेशक (अनुसंधान सांख्यिकी एवं विश्लेषण)	1	1
16.	संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार)	3	3
17.	संयुक्त निदेशक (सूचना प्रणाली)	4	4
18.	ओएसडी (समन्वय सामान्य)	1	1

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1.	2.	3.	4.
19.	वित्त और बजट अधिकारी	1	1
20.	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	1
21.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1
22.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आरएस एंड ए)	2	2
23.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम)	1	1
24.	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक	8	8
25.	उप निदेशक (परीक्षा सुधार)	4	4
26.	सहायक निदेशक (सतर्कता)	1	1
27.	सहायक नियंत्रक (डीपी)	3	3
28.	अनुसंधान अधिकारी (आरएस एंड ए)	4	4
29.	प्रणाली विश्लेषक	11	11
30.	सहायक निदेशक (गोपनीय)	3	3
31.	उप निदेशक (गोपनीय)	2	2
32.	वरिष्ठ संपदा प्रबन्धक एवं बैठक अधिकारी	1	1
33.	अध्यक्ष के स्टाफ अधिकारी	1	1
34.	मुख्य स्वागत एवं प्रोटोकॉल अधिकारी	1	1
35.	मुख्य संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी	1	1
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग**	7	7
36.	निदेशक (राजभाषा)	1	1
37.	उप निदेशक (राजभाषा)	2	2
38.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	4	4
B.	**समूह 'ख'**	772	772

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1.	2.	3.	4.
	समूह ''ख'' राजपत्रित	277	277
I.	**सचिवालय संवर्ग**	213	213
39.	अनुभाग अधिकारी	158	158
40.	निजी सचिव	55	55
II.	**संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग**	61	61
41.	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	8	8
42.	लेखा अधिकारी	6	6
43.	अधीक्षक (डीपी)	14	14
44.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	16	16
45.	उप मुख्य स्वागत एवं प्रोटोकॉल अधिकारी	2	2
46.	संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी	2	2
47.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	1
48.	सुरक्षा अधिकारी	1	1
49.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1
50.	सचिव के स्टाफ अधिकारी	1	1
51.	सहायक अधीक्षक (टेलीफोन)	1	1
52.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	8	8
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों / विभागों के संवर्ग**	3	3
53.	भुगतान और लेखा अधिकारी	1	1
54.	सहायक लेखा अधिकारी (पी एंड एओ)	2	2
	समूह ''ख'' अराजपत्रित	495	495

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1.	2.	3.	4.
I.	**सचिवालय संवर्ग**	396	396
55.	सहायक अनुभाग अधिकारी	358	358
56 .	वैयक्तिक सहायक (के.स.आ.से. का ग्रेड 'ग')	38	38
II.	**संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग**	85	85
57.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड ''क''	21	21
58.	सतर्कता सहायक	2	2
59.	पर्यवेक्षक (गोपनीय)	4	4
60.	संपदा पर्यवेक्षक	1	1
61.	हाउस कीपर	1	1
62.	तकनीकी सहायक (लेखा)	12	12
63.	मोटर परिवहन पर्यवेक्षक	1	1
64.	सुरक्षा सहायक	1	1
65.	प्रधान टंकक (हिंदी)	1	1
66.	डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड ''घ'')	32	32
67.	पुस्तकालय और सूचना सहायक	1	1
68.	गोपनीय सहायक		1
69.	स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	1	1
70.	केयर टेकर	3	3
71.	वरिष्ठ स्वागत और प्रोटोकॉल अधिकारी	3	3
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग**	14	14
72.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	5	5
73.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	4	4

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1.	2.	3.	4.
74.	वरिष्ठ लेखाकार	5	5
C.	**समूह 'ग'**	793	751
I.	**सचिवालय संवर्ग**	203	161
75.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	96	59*
76.	आशुलिपिक (सीएसएस का ग्रेड ''डी'')	22	22
77.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	68	63#
78.	स्टाफ कार चालक	17	17
II.	**संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग**	587	587
79.	वरिष्ठ टाइपिस्ट (हिंदी)	2	2
80.	कनिष्ठ स्वागत एंड प्रोटोकॉल अधिकारी	5	5
81.	बढ़ई	1	1
82.	मशीन प्रचालक	1	1
83.	जनरल ड्यूटी क्लर्क	1	1
84.	डिस्पैच राइडर	2	2
85.	वरिष्ठ रिकॉर्ड कीपर	8	8
86.	कुक (सलाहकार स्यूट)	6	6
87.	बैरा (सलाहकार स्यूट)	8	8
88.	वॉश बॉय (सलाहकार स्यूट)	4	4
89.	सहायक रसोइया (सलाहकार स्यूट)	3	3
90.	पुस्तकालय लिपिक	2	2
91.	टाइपिस्ट (हिंदी)	1	1
92.	लाईनमैन	1	1

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1.	2.	3.	4.
93.	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	537	537
94.	पुस्तकालय परिचारक	3	3
95.	नर्सिंग अर्दली	1	1
96.	कार्यकारी सहायक (सामान्य)	1	1
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग**	3	3
97.	वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार (पी एंड एओ यूनिट)	3	3
D.	**कैंटीन कर्मचारी**	43	43
I.	**ग्रुप ''बी''**	03	03
98.	महाप्रबंधक (कैंटीन)	1	1
99.	प्रबंधक–सह–लेखाकार	1	1
100.	प्रबंधक ग्रेड II	1	1
II.	**ग्रुप 'ग'**	40	40
101.	सहायक प्रबंधक सह स्टोर कीपर	2	2
102.	कैंटीन क्लर्क	6	6
103.	हलवाई–सह–कुक	4	4
104.	सहायक हलवाई–सह–कुक	4	4
105.	कैंटीन सहायक	24	24

*दिनांक 01.03.2021 के आदेश सं.ए. 32016/01/2016–प्रशा. III के द्वारा वरिष्ठ सचिवालय सहायक के 37 पदों को समाप्त कर दिया गया है।

#दिनांक 17.02.2020 और 18.08.2020 के आदेश सं. ए–11019/04/94–प्रशासन I के द्वारा कनिष्ठ सचिवालय सहायक के 05 पद समाप्त कर दिए गए हैं।

परिशिष्ट–33

(अध्याय– 11 देखें)

आयोग का संगठन चार्ट (31 मार्च, 2021 के अनुसार)

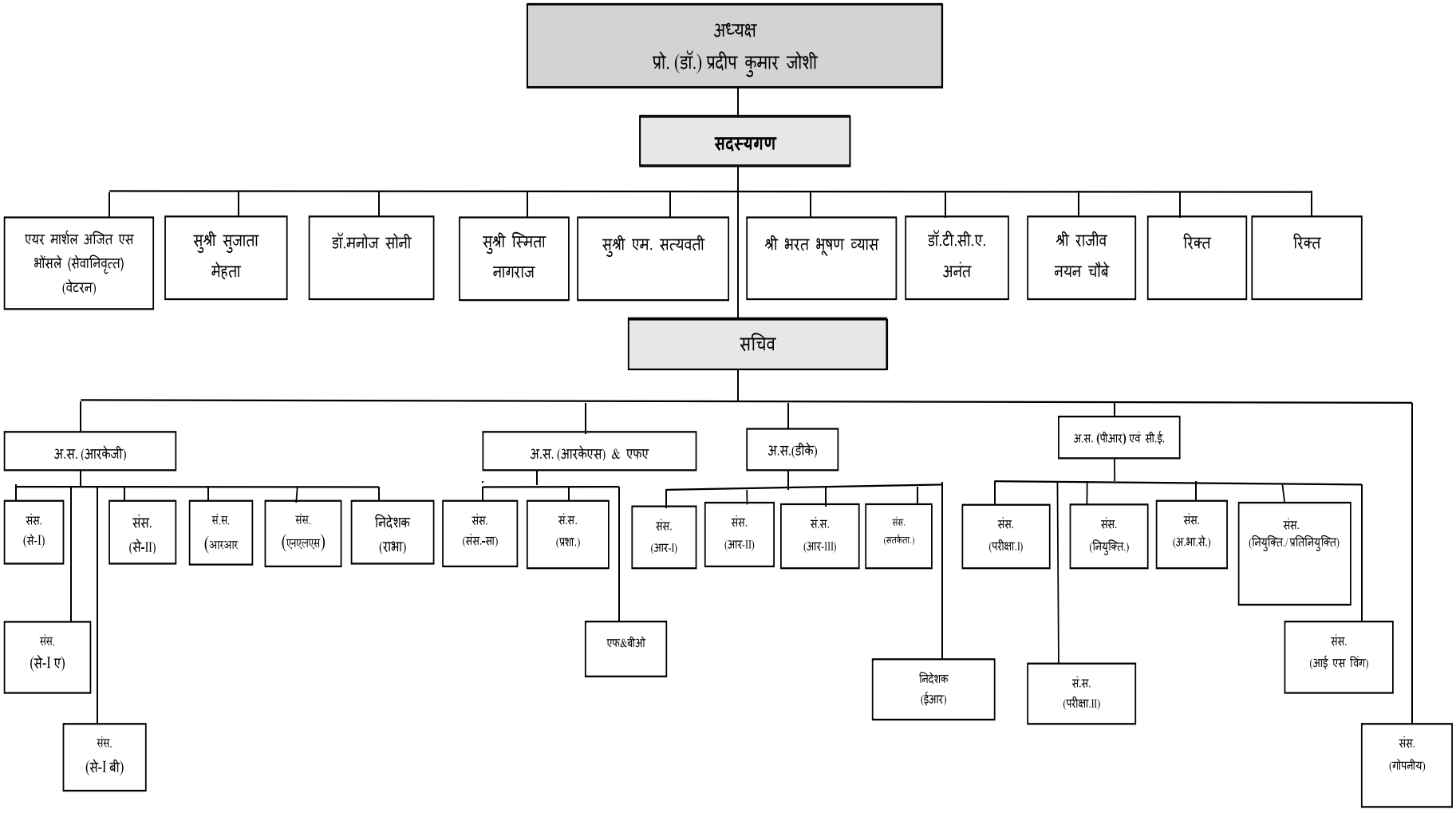

पूर्व पृष्ठ से जारी

31.03.2021 के अनुसार

संक्षिप्तियां

अ.स. (आरकेजी)	अपर सचिव (सेवा–I, सेवा–II, भर्ती नियम, पुस्तकालय, नोडल विधिक अनुभाग और हिंदी)	अ.स. (डीके)	अपर सचिव (भर्ती, परीक्षा सुधार, सतर्कता एवं विभागीय अभिलेख कक्ष)।
अ.स. (आरकेएस) एवं एफए	अपर सचिव (प्रशासन, सामान्य शाखा एवं वित्तीय सलाहकार)।	अ.स. (पीआर) और सीई	अपर सचिव (परीक्षा एवं परीक्षा नियंत्रक, नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं एवं आईएस विंग)
सं.सचिव	स. सचिव	सेवा–।	सेवा–।
गोपनीय	गोपनीय	सेवा–।।	सेवा–।।
आरआर	भर्ती नियम	एनएलएस	नोडल विधिक अनुभाग
राजभाषा	राजभाषा	प्रशा.	प्रशासन
एफ एंड बीओ	वित्त और बजट अधिकारी	भर्ती–।	भर्ती–।
भर्ती–।।	भर्ती–।।	भर्ती–III	भर्ती–III
सतर्कता	सतर्कता	ईआर	परीक्षा सुधार
परीक्षा–I	परीक्षा–I	परीक्षा II	परीक्षा– II
नियुक्ति	नियुक्ति	आईएस	सूचना प्रणाली

परिशिष्ट–34
(अध्याय– 11 देखें)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

तालिक 1 : अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य विधि द्वारा		
	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.प. वि.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.प. वि.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	186	27	20	14	-	-	-	-	05	01	-	02	-	-
समूह ख	492	84	49	76	21	07	07	04	05	-	01	02	-	-
समूह ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	453	135	21	62	01	-	-	01	03	-	-	01	-	-
समूह ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1131	246	90	152	22	07	07	05	13	01	01	05	-	-

तालिका 2 : दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या					सीधी भर्ती							पदोन्नति						
						आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियाँ				आरक्षित रिक्तियाँ			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	प्रतिशतता	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	186	01	-	-	0.54%	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	492	01	03	04	1.63%	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	453	02	04	06	2.65%	05	02	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1131**	**04**	**07**	**10**	**1.86%**	**06**	**04**	**06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

परिशिष्ट–35

(अध्याय– 11 देखें)

वर्ष 2020–21 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण

क. प्राप्तियां

क्र.सं.	प्राप्तियों का नाम	(लाख रूपए में)
1.	अन्य प्राप्तियां	51.86
2.	सं.लो.से.आ. परीक्षा शुल्क	1973.66*

ख. व्यय

क्र.सं.	प्रशासनिक व्यय	(लाख रूपए में)
1.	वेतन	11029.89
2.	मजदूरी	69.91
3.	उपरिसमय भत्ता	1.45
4.	चिकित्सा उपचार	279.95
5.	घरेलू यात्रा व्यय	25.00
6.	विदेश यात्रा व्यय	1.25
7.	कार्यालय व्यय	1300.17
8.	प्रकाशन	2.30
9.	अन्य प्रशासनिक व्यय	11.32
10.	लघु कार्य	115.21
11.	व्यावसायिक सेवाएं	880.34
12.	सहायता अनुदान (सामान्य)	0.64
13.	अन्य प्रभार	1.25
	परीक्षा और चयन पर व्यय	
14.	घरेलू यात्रा व्यय	497.09
15.	व्यावसायिक सेवाएं	904.00
16.	अन्य प्रभार	12759.94
17.	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	520.49
	अन्य व्यय (लघु शीर्ष)	
18.	विभागीय कैंटीन–वेतन	93.42
	कुल योग	**28493.62**

*परीक्षा/भर्ती शुल्क के तहत प्राप्तियों का हिसाब संघ लोक सेवा आयोग/लेखा नियंत्रक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सरकारी खाते में डाला जाता है।

परिशिष्ट–36
(अध्याय– 2 के अनुसार)

संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों की सूची (1926 से)

तालिका–1 पूर्व अध्यक्षों की सूची

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख
1.	सर रॉस बार्कर	अक्तूबर, 1926	अगस्त, 1932
2.	सर डेविड पेट्री	अगस्त, 1932	1936
3.	सर आइरे गॉर्डन	1937	1942
4.	सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन	1942	1947
5.	श्री एच.के. कृपलानी	01.04.1947	13.01.1949
6.	श्री आर.एन. बनर्जी	14.01.1949	09.05.1955
7.	श्री एन गोविंदराजन	10.05.1955	09.12.1955
8.	श्री वी.एस.हेजमदी	10.12.1955	09.12.1961
9.	श्री बी.एन.झा	11.12.1961	22.02.1967
10.	श्री के.आर. दामले	18.04.1967	02.03.1971
11.	श्री आर.सी.एस. सरकार	11.05.1971	01.02.1973
12.	डॉ. ए.आर. किदवई	05.02.1973	04.02.1979
13.	डॉ.एम.एल. शहरे	16.2.1979 (अप.)	16.02.1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18.02.1985	05.03.1990
15.	श्री जे.पी.गुप्ता	05.03.1990 (अप.)	02.06.1992
16.	श्रीमती आर.एम. बाथेव (खरबुली)	23.09.1992	23.08.1996
17.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	23.08.1996 (अप.)	30.09.1996
18.	श्री जे.एम. कुरैशी	30.09.1996 (अप.)	11.12.1998

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख
19.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सुरिंदर नाथ	11.12.1998(अप.)	25.06.2002
20.	श्री पी.सी. होता	25.06.2002(अप.)	08.09.2003
21.	श्री माता प्रसाद	08.09.2003(अप.)	04.01.2005
22.	डॉ. एस.आर. हाशिम	04.01.2005(अप.)	01.04.2006
23.	श्री गुरबचन जगत	01.04.2006(अप.)	30.06.2007
24.	श्री सुबीर दत्ता	30.06.2007(अप.)	16.08.2008
25.	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16.08.2008 (अप.)	16.08.2014
26.	श्रीमती रजनी राजदान	16.08.2014(अप.)	22.11.2014
27.	श्री दीपक गुप्ता	22.11.2014(अप.)	20.09.2016
28.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	03.04.2017	21.01.2018
29.	श्री अरविंद सक्सेना	29.11.2018	07.08.2020

तालिका–2 पूर्व सदस्यों की सूची (वर्ष 1926 से)

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
1.	सर फिलिप हतोग	1.10.1926	5.4.1930	
2.	श्री ए.एच. ले	1.10.1926	1.10.1931	
3.	श्री सैयद रज़ा अली	1.10.1926	31.11.1931	
4.	सर टी.वी. राघवचारी	1.10.1926		
5.	श्री एम. कीने			
6.	खानबहादुर सर अब्दुल कादिर	13.7.1929	30.11.1929	
7.	श्री जे.एन. रॉय	16.9.1929	2.4.1930	
8.	रायबहादुर ए.एन. चटर्जी	6.1.1930	1.10.1930	

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
9.	श्री जे.आर. चुनिंघम	20.1.1930	5.4.1930	
10.	सर जे. चार्ल्स वेयर	16.6.1930	16.12.1935	
11.	रायबहादुर बी.पी. वर्मा	1.10.1930	1.10.1935	
12.	सर डेविड पेट्री	1.10.1931	8.8.1932	अध्यक्ष नियुक्त हुए
13.	डॉ. एल.के. हैदर	2.1.1932	31.12.1936	
14.	श्री एच.एस. क्रॉस्थवेट	16.2.1935	1.5.1939	
15.	सर शफात अहमद खान	18.5.1935	10.9.1935	
16.	श्री पी एल धवन	18.5.1935	20.9.1940	
17.	श्री डी. रैनेल	31.8.1936	29.11.1936	
18.	सर ए.एफ.रहमान	7.1.1937	7.5.1942	
19.	श्री एल.पी. मिश्रा	18.7.1938	4.9.1938	
20.	सर सी.सी. चिथम	2.12.1938	15.4.1939	
21.	सर जॉन रदरफोर्ड डेन	8.5.1939	16.2.1942	
22.	श्री के. संजीवा राव	20.9.1940	1.4.1947	
23.	श्री डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ	16.2.1942	1.4.1947	
24.	श्री डब्ल्यू ए कॉसग्रेव	7.4.1944	25.10.1944	
25.	श्री एन.जे. रॉफटन	1.1.1945	20.9.1945	
26.	श्री एस जी ग्रब	1.11.1945 9.12.1946	16.10.1946 – 23.2.1950	
27.	कर्नल एम ए रहमान	1.1.1946	30.6.1946	
28.	श्री एफ.सी. एडमंड्स	12.4.1946	6.6.1946	
29.	श्री ओ.ई. विंडले	1.7.1946	6.8.1946	

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
30.	मेजर नौनिहाल सिंह मान	31.7.1946	17.11.1946	
31.	श्री आर.पी. पटवर्धन	5.2.1947	5.8.1947	
32.	श्री जवाद हुसैन	14.3.1947	31.3.1952	
33.	श्री डब्ल्यू.आर. पुराणिक	1.4.1947	31.3.1952	
34.	श्री के. जकारिया	1.7.1947	18.1.1950	
35.	श्री जे. एल. कपूर	4.12.1947	31.5.1949	
36.	श्री बलवंत सिंह पुरी	1.6.1948 17.9.1948	31.7.1948 30.4.1949	
37.	श्री एस.सी. त्रिपाठी	5.6.1948	14.2.1950	
38.	डॉ. एल.डी. जोशी	12.6.1948	18.2.1949	
39.	श्री जी.सी. चटर्जी	1.8.1949	31.10.1953	
40.	श्री एन गोविंदराजन	31.5.1950	9.5.1955	अध्यक्ष नियुक्त हुए
41.	श्री सी.बी. नागरकर	18.12.1950	18.12.1956	
42.	श्री एन.के. सिद्धांत	16.4.1951	31.7.1955	
43.	श्री ए.ए.ए. फ़ैज़ी	2.6.1952	31.5.1957	
44.	श्री एस.वी. कानूनगो	29.9.1952	29.9.1958 (पूर्वा.)	
45.	श्री जे.एस. पिल्लै	17.8.1955	16.8.1961 (अप.)	
46.	श्री सी.वी. महाजन	2.1.1956	2.1.1960(पूर्वा.)	
47.	डॉ. जे.एन. मुखर्जी	1.9.1956	22.4.1958	
48.	श्री पी.एल. वर्मा	24.11.1956	24.11.1962 पूर्वा.)	
49.	श्री एस.एच. जहीर	1.6.1957	31.5.1963 (अप.)	
50.	डॉ. जी.एस. महाजनी	1.7.1957	30.6.1963 (अप.)	
51.	डॉ. ए.टी. सेन	1.9.1958	31.8.1964 (अप.)	

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
52.	श्री एम.एल. चतुर्वेदी	1.3.1960	6.7.1964 (अप.)	
53.	श्री एम.ए.वी. नायडू	11.3.1960	14.1.1965 (अप.)	
54.	श्री ए.वी.रामास्वामी	14.12.1961	14.7.1964 (अप.)	
55.	श्री बटुक सिंह	19.4.1963	20.9.1968 (अप.)	
56.	श्री एन.एल.अहमद	1.6.1963	25.4.1967 (अप.)	
57.	श्रीमती बी.खोंगमेन	9.1.1964	8.1.1970 (अप.)	
58.	श्री देसराज मेहता	29.1.1964	20.11.1967 (अप.)	
59.	डॉ. ए.अप्पादोरई	9.12.1964	15.3.1967 (अप.)	
60.	श्री. एम.एस.दोरईस्वामी	14.9.1965 (अप.)	14.11.1967 (अप.)	
61.	श्री आर.सी.एस.सरकार	31.1.1966	11.05.1971	अध्यक्ष नियुक्त हुए
62.	श्री हरी शर्मा	22.5.1967 (अप.)	22.05.1973	
63.	डॉ.ए.आर.किदवई	29.9.1967	05.02.1973	अध्यक्ष नियुक्त हुए
64.	मे. जन. पी.सी. गुप्ता	3.2.1968	02.02.1974	
65.	डॉ. एम.एल. शहारे	14.2.1968	13.2.1974	अध्यक्ष नियुक्त हुए
66.	श्री डी.पी. कोहली	16.10.1968	08.02.1972	
67.	प्रो. एच.एन. रामचंद्र राव	9.5.1969	08.05.1975	
68.	श्री आर.एन. मुत्तू	25.6.1971	24.6.1977	
69.	डॉ. ए.के. धान	28.6.1971	5.11.1975	
70.	श्री आर.जी. राजवाड़े	23.8.1973	5.1.1974	
71.	प्रो. पी.एल. भटनागर	1.10.1973	18.7.1975	
72.	श्री अशोक सेन	22.1.1974	21.1.1980	
73.	एयर मार्शल टी.एस. विर्क	22.4.1974	21.4.1980	

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
74.	श्री एम. सिंगारवेलू	24.7.1974	16.3.1980	
75.	डॉ. सरूप सिंह	12.2.1975	14.3.1978	
76.	श्री एन.एस. सक्सेना	4.6.1977	4.6.1983	
77.	डॉ. पी.सी. वैद्य	1.7.1977	22.10.1978	
78.	प्रो. एस. संपत	10.8.1977	28.8.1981	
79.	डॉ. एन.ए. नूर मुहम्मद	30.11.1978	17.10.1981	
80.	श्रीमती आर.ओ. धान	1.12.1978	30.11.1984	
81.	प्रो.भुवनेश्वर बेहेरा	12.12.1978	31.12.1980	
82.	श्री एस.आर.मेहता	17.3.1980	16.12.1982	
83.	श्री जे.आर.बंसल	17.5.1980	16.5.1986	
84.	एयर वाईस मार्शल ए.के.एस. बक्शी	27.7.1981	14.11.1986	
85.	श्री ए.एम. अब्दुल हामिद	11.12.1981	25.3.1986	
86.	डॉ. के.वेंकट रमैया	24.12.1981	23.12.1987	
87.	श्री एस. सामद्दार	24.5.1982	23.5.1988	
88.	श्री जगदीश राजन	25.9.1984	25.9.1990	
89.	श्री जे.पी. गुप्ता	1.7.1985	5.3.1990(पूर्वा.)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
90.	डॉ. आर. अरोक्यासामी	5.7.1985	4.7.1991	
91.	श्री सुरेंद्र नाथ	23.12.1985	7.8.1991(पूर्वा.)	
92.	श्री काज़ी मुख्तार अहमद	4.4.1986	14.3.1991	
93.	श्रीमती आर.एम. बाथयू (खारबुली)	8.6.1987	22.9.1992	अध्यक्ष नियुक्त हुई
94.	ले.जन. आर.एस. दयाल	31.7.1987	13.5.1988	

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
95.	वाईस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी	13.4.1989	12.4.1995	
96.	श्री ए. पद्मानाभन	17.4.1989	13.12.1993	
97.	श्री जे.ए. कल्याणकृष्णन	29.12.1989	28.12.1995	
98.	श्री हरीश चंद्र	15.1.1990	14.1.1996	
99.	श्रीमती ओटिमा बोर्डिया	11.5.1990	10.05.1996	
100.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	14.1.1991	23.8.1996 (अप.)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
101.	श्री जे.एम. कुरैशी	1.4.1991	30.09.1996 (अप.)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
102.	श्री एस.के. मिश्रा	21.8.1991 (अप.)	21.08.1997	
103.	डॉ. (सुश्री) पी.सेल्वी दास	19.9.1991	28.05.1997	
104.	श्री बी. कृष्णा मोहन	20.09.1993 (अप.)	25.01.1998	निधन हो गया
105.	श्रीमती कांता कथूरिया	24.05.1995	22.08.1998	
106.	लेफ्टी. जन. (सेवानिवृत्त) सुरिंदर नाथ	20.09.1995	11.12.1998	अध्यक्ष नियुक्त हुए
107.	श्री पी.सी.होता	27.09.1996 (अप.)	25.06.2002	अध्यक्ष नियुक्त हुए
108.	श्री के.के. मदान	01.11.1996 (अप.)	01.11.2002	
109.	डॉ. के.जी. आदियोगी	14.11.1996 (अप.)	28.05.2001	28.05.2001 को निधन हुआ
110.	श्री पी. अब्राहम	05.06.1997	04.06.2003	
111.	श्री. एम.के. देब बर्मा	06.06.1997	05.06.2003	
112.	डॉ. एल. सिद्दावीरे गौड़ा	11.6.1997 (अप.)	05.09.2001	
113.	श्री टी.के. बनर्जी	21.08.1997 (अप.)	21.08.2003	
114.	श्री माता प्रसाद	23.4.1998 (अप.)	08.09.2003	अध्यक्ष नियुक्त हुए
115.	कु. अरूंधती घोष	03.09.1998	02.09.2004	

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
116.	डॉ. ओम नागपाल	05.04.1999 (अप.)	02.03.2002	2.3.2002 को निधन हो गया
117.	डॉ. एस.डी. कार्निक	18.09.2001	16.07.2002	16.07.2002 को त्यागपत्र दे दिया
118.	डॉ. एस.आर. हाशिम	19.03.2002 (अप.)	04.01.2005 (अप.)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
119.	डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	20.03.2002 (अप.)	07.02.2005	
120.	श्री गुरबचन जगत	14.08.2002 (अप.)	01.04.2006	अध्यक्ष नियुक्त हुए
121.	श्री बी.एन. नवलवाला	05.12.2002 (अप.)	14.04.2007	
122.	श्री सुबीर दत्ता	04.07.2003 (अप.)	30.06.2007	अध्यक्ष नियुक्त हुए
123.	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	31.10.2003	16.08.2008	अध्यक्ष नियुक्त हुए
124.	एयर मार्शल सतीश गोविंद ईनामदार	12.12.2003 (अप.)	09.01.2008	
125.	सुश्री परवीन तलहा	30.09.2004 (अप.)	03.10.2009	
126.	डॉ. भूरे लाल	14.10.2004 (अप.)	08.02.2008	
127.	सुश्री चोकिला अय्यर	01.02.2005 (अप.)	28.06.2007	
128.	श्री के. रॉय पॉल	18.05.2005 (अप.)	08.06.2009	
129.	प्रो. के.एस. चलम	01.06.2005 (अप.)	01.06.2011	
130.	प्रो. ई. बालागुरूसामी	20.12.2006 (अप.)	02.05.2010	
131.	श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी	17.05.2007 (अप.)	05.06.2012	
132.	प्रो. पुरूषोत्तम अग्रवाल	02.07.2007 (पूर्वा.)	01.07.2013	
133.	डॉ. के.के. पॉल	26.07.2007 (पूर्वा.)	05.02.2013	
134.	ले. जनरल (सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा	07.05.2008	10.10.2011	
135.	श्री आई.एम.जी. खान	09.06.2008 (अप.)	01.07.2013	
136.	श्री प्रशांत कुमार मिश्रा	08.08.2008 (पूर्वा.)	06.08.2013	

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
137.	श्री विजय सिंह	19.11.2009 (पूर्वा.)	30.04.2013	त्याग–पत्र दे दिया
138.	श्रीमती रजनी राजदान	19.04.2010 (पूर्वा.)	16.08.2014	अध्यक्ष नियुक्त हुई
139.	डॉ. वेंकटारामी रेड्डी वाई.	30.06.2011 (अप.)	15.02.2014	
140.	श्रीमती अल्का सिरोही	04.01.2012 (अप.)	03.01.2017	संविधान के अनुच्छेद 316 (1क) के अंतर्गत दिनांक 21.09.2016 से अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त
141.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	25.06.2012 (पूर्वा.)	02.04.2017	नियमित नियुक्ति किए जाने तक संविधान के अनुच्छेद 316–(1क) के अंतर्गत दिनांक–04.01.2017 से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त। संविधान के अनुच्छेद 316–(1) के अंतर्गत दिनांक 03.04.2017 को संघ लोक सेवा आयोग के नियमित अध्यक्ष नियुक्त
142.	श्री मनबीर सिंह	03.09.2012	12.09.2016	
143.	श्री ए.पी. सिंह	13.02.2013 (पूर्वा.)	09.01.2015	त्याग–पत्र दे दिया
144.	वाईस एडमिरल (सेवानिवृत्त) डी.के. दीवान	01.07.2013	19.08.2016	
145.	श्री विनय मित्तल	08.08.2013	19.06.2018	संविधान के अनुच्छेद 316–(1क) के अंतर्गत दिनांक 22.01.2018 से 19.06.2018 तक अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त।
146.	डॉ. श्रीमती पी. किलेमसुंग्ला	19.08.2013 (पूर्वा.)	29.02.2016	
147.	श्री छतर सिंह	02.09.2013 (अप.)	22.09.2017	त्याग–पत्र दे दिया
148.	प्रो. हेम चंद्र गुप्ता	15.05.2014	17.02.2017	

क्र. सं.	नाम	प्रभार लिए जाने की तारीख	कार्यभार छोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
149.	श्री अरविंद सक्सेना	08.05.2015 (अप.)	19.06.2018	संविधान के अनुच्छेद 316–(1क) के अंतर्गत दिनांक 20.06.2018 से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त। संविधान के अनुच्छेद 316–(1) के अंतर्गत 29.11.2018 से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग नियुक्त।
150.	प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी	12.05.2015 (अप.)	07.08.2020	संविधान के अनुच्छेद 316–(1) के अंतर्गत दिनांक–07.08.2020 (अपराहन) से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग नियुक्त।
151.	श्री भीम सैन बस्सी	31.05.2016 (अप.)	19.02.2021	

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110069

http://www.upsc.gov.in